शुक्रवार,
११ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, ११ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समधेन हुई

[अध्यक्ष-महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

जोतों की गणना

*८४२. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राज्य सरकारों को कोई परिपत्र भेजा गया है या भेजा जाने वाला है जिसमें यह बताया गया हो कि वे अपने अपने राज्य में जोतों की गणना किस आधार पर करें ; तथा

(ख) यदि हां, तो वह परिपत्र किस मुख्य नीति पर आधारित है और उस पर किस प्रकार अमल किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) एक पत्र शीघ्र ही निर्गमित किया जायेगा ।

(ख) इसका उद्देश्य कृषि भूमि की जोतों के सम्बन्ध में ऐसे आंकड़े इकट्ठा

करना है जिनकी सहायता से राज्य सरकार यह निर्धारित कर सके कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी ज़मीन रख सकता है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार योजना आयोग द्वारा निर्धारित इस नीति पर कायम है कि जोतों की सीमा निश्चित कर दी जानी चाहिये ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : निस्सन्देह, जोतों की सीमा निश्चित की जायेगी ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने संघ के कृषि मंत्री के उस भाषण पर ध्यान दिया है जो उन्होंने राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में दिया था और जिसमें उन्होंने इसके विपरीत बात कही थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : यह ठीक है कि संघ के कृषि मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था । यह भी सच है कि राज्यों के अधिकांश कृषि मंत्री उससे सहमत थे । परन्तु इस पर अमल किया जाना राज्य सरकारों पर निर्भर है जोकि अपने विधान-मंडलों की स्वीकृति से ऐसा करेंगी । अतः यहां किसी राय विशेष का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या संघ सरकार ने दिल्ली और आसाम राज्यों को, जब वे

अपने राज्यों में जोतों की सीमा निश्चित करना चाह रहे थे; निरुत्साहित किया था ?

श्री किदवई: योजना आयोग के प्रतिवेदन में जो कुछ है उस पर अमल करने के लिये हमें पहले यह मालूम करना होगा कि कुल कितने व्यक्ति हैं और कितनी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होगी।

श्री ए० एम० टामस: संघ कृषि मंत्री, डा० पंजाबराव देशमुख, द्वारा दिये गये भाषण से तो हमने ये महसूस किया कि कृषि मंत्रालय और योजना आयोग में परस्पर मतभेद है। क्या हमारा ख्याल ठीक है ?

श्री किदवई: योजना आयोग का प्रतिवेदन सामने है और उनके भाषण का सार भी समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है।

रिंडरपेस्ट का टीका

*८४३. **डा० राम सुभग सिंह:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पशुओं की रिंडरपेस्ट नामक बीमारी का टीका भारत में तैयार किया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो कहां और कितनी मात्रा में ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) जी हां।

(ख) टीका इंडियन वैटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर ; उत्तर प्रदेश सरकार के बायेलोजिकल प्रोडक्ट्स सेक्शन, लखनऊ तथा रिसर्च इंस्टीट्यूट, रानीपेट, मद्रास, में तैयार किया जाता है। इन केन्द्रों में टीका कितनी कितनी मात्रा में तैयार किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन-पटल पर रख दी जायेगी ;

डा० राम सुभग सिंह: क्या इज्जत-नगर में इस समय तैयार किया जाने वाला टीका देश की वर्तमान आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: यह पर्याप्त नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह: इस समय कितनी मात्रा में टीका बाहर से मंगाया जा रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

सेठ अचल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रिन्डरपेस्ट की बीमारी से प्रति वर्ष कितने बच्चे मर जाते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त: इस टीके के निर्माण के लिये कौन सी प्रतिक्रिया स्वीकार की गई है—"फ्रीजेडरिंग" प्रक्रिया या कि "फील्ड आर्गनाइजेशन" प्रक्रिया ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: 'फ्रीजेडरिंग' (ठंडा करके सुखाने की) प्रक्रिया। यह टीका शुष्क रूप में तैयार किया जाता है।

सरदार हुक्म सिंह: इस टीके के बड़े पैमाने पर निर्माण के विषय में परामर्श देने के लिये दो विशेषज्ञ खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा भेजे गये थे। क्या उन्होंने इस दिशा में कुछ प्रगति की है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: इन सब बातों के लिये तो मुझे सूचना चाहिये।

सोन नदी के ऊपर सड़क का पुल

*८४४. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार में देहरी के निकट सोन नदी पर एक सड़क के पुल के निर्माण की योजना और प्राक्कलन तैयार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पुल को बनाने पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ; तथा

(ग) निर्माण कार्य के कब तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आशा है कि काम एक साल के अन्दर प्रारम्भ हो जायेगा।

डा० राम सुभग सिंह: क्या इस पुल के निर्माण की योजना तथा प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अलगेशन: योजना तथा प्राक्कलन बाद में बनाये जायेंगे । इस सिलसिले में कई स्थानों की जांच की गई थी । अंत में हमारा इंजीनियर वहां गया और बिहार के इंजीनियरों के परामर्श से एक स्थान चुन लिया गया । उसकी भी अभी और पड़ताल की जानी है । प्राक्कलन उसके बाद बनाये जायेंगे और स्वीकृत किये जायेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह: माननीय उपमंत्री ने अन्तिम स्थान का निर्देश किया । क्या यह अन्तिम रूप से नहीं, अस्थायी रूप से चुना गया है ?

श्री अलगेशन: चुना हुआ स्थान वर्तमान बांध से चार-पांच मील ऊपर की ओर है । वहां एक बांध है ।

तिलहन पर्यालोकन

*८४५. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री त्रावनकोर-कोचीन राज्य में अमुख्य तिलहनों के पर्यालोकनार्थ योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय तिलहन समिति के ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन के पृष्ठ ४४ की अन्तिम कंडिका का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उसमें निर्दिष्ट योजना त्रावनकोर-कोचीन की सरकार द्वारा भारत सरकार की मंजूरी के लिये भेज दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस योजना तथा उसकी मंजूरी की प्रतिलिपि सदन-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य की सरकार को वित्तीय सहायता दी है ; तथा

(घ) यदि हां, तो क्या ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) :(क) जी हां ।

(ख) योजना तथा मंजूरी की एक प्रतिलिपि सदन-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९]**

(ग) जी हां।

(घ) कुल व्यय का ५० प्रतिशत, जो १९४२ रुपये हैं।

श्री वी० पी० नायर: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि काजू यहां अधिक परिमाण में उपलब्ध है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि काजू का तेल एक ऐसी चीज़ है जिसके लिये विदेशों में बहुत विक्रय हो सकता है, क्या भारत सरकार ने अधिक काजू का तेल निकाले जाने की सम्भावनाओं की जांच करने के लिये कुछ किया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: जी हां । काजू भी अमुख्य तिलहनों के अन्तर्गत आता है । इस पर्यालोकन में, जो त्रावनकोर-कोचीन राज्य में किया जा रहा है, और चीजों के अलावा, जैसे, नीम-मलिया एजेडिक्टा ; उंगो-पोंगेमिया ग्लैबरा ;

एलप्पा-बेसिया लेतिफोलिया आदि, यह भी शामिल हैं।

श्री वी० पी० नायर: क्या भारत सरकार ने, खुद या त्रावनकोर-कोचीन सरकार के द्वारा, अमुख्य तिलहनों से निकाले जाने वाले तेल के सम्बन्ध में कोई पर्यालोकन किया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस पर्यालोकन में सब बातें आ जायेंगी। केन्द्रीय तिलहन समिति अमुख्य तिलहन के पर्यालोकन के बारे में बहुत उत्सुक थी और इसी लिये उसने यह समिति नियुक्त की है। उसका प्रतिवेदन मिलने पर केन्द्रीय तिलहन समिति इस पर विचार करेगी।

श्री वी० पी० नायर : योजना सदन-पटल पर रख दी गई है और उस में इसका कोई संकेत नहीं है। इसीलिये मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सदन-पटल पर केवल योजना रखी गई है ; प्रतिवेदन नहीं रखा गया है। जैसा कि मैंने कहा योजना क्रियान्वित की जा रही है और पर्यालोकन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे। यह तो कोई १००० रुपये का ही मामला है।

श्री वी० पी० नायर : इस पर लाखों रुपये व्यय होने चाहियें थे।

मछली पकड़ना

*८४६. **श्री वी० पी० नायर :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्याय २३ की कंडिका २७ का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने 'पर्स-सेनर्स' और 'ट्रालर्स' चलाये जा चुके हैं ?

(ख) इन जहाजों में काम करने के लिये अब तक कितने सामुद्रिक मछुओं को प्रशिक्षित किया गया है ?

(ग) ये जहाज अब किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं ?

(घ) क्या वे प्रयोगात्मक 'ट्रालरों' से काम ले रहे हैं या व्यापारिक 'ट्रालरों' से ?

(ङ) क्या सरकार के पास इस विषय में कोई सामग्री है कि ये शक्ति-चालित जहाज कितने क्षेत्र में कार्य करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जिन 'पर्स-सेनर्स' और 'ट्रालरों' की पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था है उनके मंगाने का आर्डर अभी नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सौराष्ट्र, बम्बई, मलाबार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के तटवर्ती सामुद्रिक मीन-क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ सामग्री तो संग्रहीत की जा चुकी है।

श्री वी० पी० नायर : मछुओं को मोटर से चलने वाले जहाजों का प्रयोग करने के लिये अपेक्षित प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाता है या दिया जायेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारे पास जापान के विशेषज्ञ हैं और वे हमारे मछुओं को प्रशिक्षण देंगे। ज्यों ही हमारे मछुए प्रशिक्षित हो जायेंगे, हम जापानी विशेषज्ञों को वापस भेज देंगे और हमारे प्रशिक्षित मछुए अन्य मछुओं को प्रशिक्षण देंगे।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को विदित है कि पर्याप्त सामग्री के अभाव

के कारण वर्तनाम दशाओं में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना असम्भव है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी नहीं। मीन-क्षेत्रों की जांच बहुत दिनों पहले से की जाती रही है। १९१३ से ही जांच की जाती रही है और चार-पांच बार पर्यालोकन करने का प्रयत्न किया जा चुका है। हमारे पास वह सब सामग्री मौजूद है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये हमारी केन्द्रीय संस्था का भी बम्बई में एक केन्द्र है। वह भी पर्यालोकन कर रहा है। सारे तट पर मीन-क्षेत्रों का पता लगाया गया है और हम इस सारे क्षेत्र में मछलियां पकड़ने की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री वी० पी० नायर : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य में 'वाजे बैंक' के बारे में भारत सरकार के पास क्या जानकारी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : 'वाजे बैंक' का पर्यालोकन १९०४ में ही भारतीय तथा लंका सरकारों द्वारा किया गया था। अब वहां मछलियां लंका सरकार द्वारा निकाली जा रही हैं, हमारे द्वारा नहीं।

श्री अच्युतन : क्या सरकार निकट भविष्य में इस प्रकार के 'ट्रालर' प्रयोग करने का इरादा कर रही है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां। 'पर्स-सेनर्स' और 'ट्रालर्स' मंगाने के लिये आर्डर दिया जा चुका है। 'पर्स-सेनर' भारत के लिये नया है, इसलिये हम वैसे जहाजों को मंगाने से पहले कोई ऐसा आदमी चाहते थे जिसे उस प्रकार के जहाजों के प्रयोग का अनुभव हो, क्योंकि वह गहरे पानी में चलता है। अभी यह पता लगाना होगा कि हमारे तटों पर तथा गहरे पानी में मछलियां पकड़ने के लिये किस प्रकार के जहाजों की आवश्यकता है। उस के बाद हम इन जहाजों को खरीद लेना चाहते हैं।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि 'वाजे बैंक' में मछलियां लंका सरकार द्वारा निकाली जा रही हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस स्थान पर भारत का भी उतना ही अधिकार है जितना कि लंका का, क्या हम यह समझें कि भारत ने लंका सरकार को वहां मछलियां निकालने का अधिकार दे दिया है या हम भी वहां मछलियां निकालने का विचार रखते हैं।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह दोनों सरकारों के लिये है, और जब हम वहां मछलियां नहीं निकाल रहे हैं तो लंका सरकार निकाल रही है। जब हम अपने जहाज मंगा लेंगे तो हम भी वहां मछलियां निकलबाना चाहेंगे।

मीन-क्षेत्र

*८४७. **श्री वी० पी० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री प्रथम पंचवर्षीय योजना में मीन-क्षेत्रों सम्बन्धी अध्याय में 'समुद्री मीन-क्षेत्र' शीर्षक के अन्तर्गत निश्चित की गई पूर्ववर्तिताओं की ओर निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कितनी देशीय नौकाओं का अब तक यंत्रीकरण हुआ है ;

(ख) पंचवर्षीय योजना की कालावधि में कितनी नोकाओं के यंत्रीकरण की आशा है ;

(ग) क्या योजना के अन्तर्गत बन्दर-गाह सम्बन्धी सुविधाएं रखी गई हैं।

(घ) यदि रखी गई हैं, तो किन किन स्थानों पर; तथा

(ङ) योजना के अन्तर्गत उपरोक्त भाग (क) तथा भाग (ग) में दी गई मदों पर

कुल कितनी धनराशि अब तक व्यय की गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) (क) से (ङ)। सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे मामलों में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिये । यदि सूचना एकत्रित की जा रही है तो हम किस सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछ लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री वी० पी० नायर : फिर सदन का समय क्यों व्यर्थ में लिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप यह प्रश्न पूछ कर सदन का समय ले रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि भविष्य में ऐसी बातें न होने पायें ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : क्या मैं निवेदन करूं .....

अध्यक्ष महोदय : निवेदन करने का कोई प्रश्न नहीं । सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : माननीय सदस्य .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

कृषि सम्बन्धी कालिज

*८४८. **श्री डी० सी० शर्मा :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त, १९४७ से भारत में कितने कृषि संबंधी डिग्री कालिज खोले गए हैं ?

(ख) इन में से कितने कालिज अभी अभिज्ञात नहीं किये गए हैं ?

(ग) कितने राज्यों के अपने कृषि सम्बन्धी डिग्री कालिज हैं ?

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इन में से किसी को अनुदान देती है तथा यदि देती है तो प्रत्येक को कितना ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) भारत सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार ८ ।

(ख) एक ।

(ग) सैण्ट्रल अग्रीकलचरल कालिज, देहली को छोड़ कर १३ ऐसे कालिज हैं ।

(घ) जी नहीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मंत्रालय उन राज्यों में और कृषि कालिज खोलने का विचार रखती है जो कि अन्न के आधिक्य के लिए प्रसिद्ध हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : राज्य सरकारें इन राज्यों में कालिज खोलने की व्यवस्था कर रही है । उदाहरणतः उड़ीसा सरकार उस राज्य में एक कृषि कालिज खोलने का विचार रखती है तथा पंजाब सरकार उस राज्य में दूसरा कृषि कालिज खोलने की व्यवस्था कर रही है ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन कालिजों के पाठ्यक्रमों के संशोधन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है जिस से कि हमें अपनी सामुदायिक परियोजनाओं के लिये अच्छे कार्यकर्ता मिल सकें ?

श्री किदवई : उड़ीसा सरकार 'विस्तार सेवा' के सम्बन्ध में ट्रेनिंग देने के लिए एक कालिज खोलने का विचार रखती है, तथा यह कालिज अपने आस पास के क्षेत्र की कृषि सम्बन्धी गतिविधियों के साथ सम्पर्क स्थापित किये रहेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या केन्द्रीय सरकार अपनी कुछ कृषि परियोजनाएं इन कालिजों को अनुसन्धान कार्य के लिये देने का विचार रखती है ?

श्री किदवई : यदि ऐसी कोई प्रस्थापना हो तो हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

विश्व स्वास्थ्य संघटन

*८४९. **श्री डी० सी० शर्मा :** (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संघटन के तत्वावधान में भारत में इस समय तक कितने अनुसन्धान कार्य हुए हैं ?

(ख) इन में से कितने अभी चल रहे हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) विश्व स्वास्थ्य संघटन के सहयोग से इस समय तक तीन अनुसन्धान परियोजनाओं का कार्य संचालन हुआ है जो कि ये हैं : पश्चिमी बंगाल में हैज़े जैसी छूत की बीमारी से सम्बन्धित अध्ययन, उत्तर प्रदेश में प्लेग जांच परियोजना तथा मदनापल्ले में क्षयरोग तथा बी० सी० जी० टीका सम्बन्धी विशेष अनुसन्धान परियोजना ।

(ख) उत्तर प्रदेश स्थित प्लेग जांच परियोजना को छोड़ कर बाक़ी दो परियोजनाओं का काम चल रहा है । प्लेग जांच परियोजना के सम्बन्ध में इस समय काम इसलिए बन्द पड़ा है कि विश्व स्वास्थ्य संघटन का विशेषज्ञ यहां से चला गया है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संघटन के सहयोग से कुष्ट-रोग के सम्बन्ध में भी जांच कराने का विचार रखता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : विश्व स्वास्थ्य संघटन के सहयोग से नहीं, किन्तु हम मद्रास में एक अनुसन्धान इन्स्टीट्यूट स्थापित कर रहे हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संघटन के सहयोग से उन रोगों के सम्बन्ध में जांच कराने का विचार रखता है जो कि पहाड़ी तथा अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में विशेष रूप से पाये जाते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : मंत्रालय के पास इस समय ऐसी कोई परियोजना नहीं है, परन्तु जब कभी भी सम्भव होता है, हम विश्व स्वास्थ्य संघटन से सहायता लेते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय नई अनुसन्धान परियोजनाएं शुरू करने के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संघटन के साथ कोई पत्र व्यवहार कर रहा है ?

राजकुमारी अमृतकौर : वह हमें बाद में सहायता दे सकते हैं ।

रेल विभाग का कार्यक्षमता ब्यूरो

*८५०. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र में कोई कार्यक्षमता ब्यूरो स्थापित किया गया है; तथा

(ख) क्या प्रत्येक रेलवे के प्रधान कार्यालय में ऐसे ही ब्यूरो खोलने की कोई प्रस्थापना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इसे जनवरी १९५४ के शुरू में स्थापित किये जाने की आशा है ।

(ख) प्रत्येक रेलवे के प्रधान कार्यालय में ऐसे ही ब्यूरो खोलने का इस समय कोई विचार नहीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि इस ब्यूरो के कृत्य क्या होंगे ?

श्री अलगेशन : यह एक प्रकार का विशेषज्ञ संघटन होगा जोकि रेल संचालन से सम्बन्धित विशेष समस्याओं जैसे कि प्रवर्तन-क्षेत्र, वर्कशाप उत्पादन आदि; की जांच करेगा ताकि काम क्रमबद्ध हो तथा मितव्ययता प्राप्त हो ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या औद्योगिक प्रबन्ध की समस्याएं भी इस ब्यूरो के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आ जायेंगी ?

श्री अलगेशन : मैं औद्योगिक प्रबन्ध तथा रेलवे के आपसी सम्बन्धों की बात को ठीक तरह से नहीं समझ सका हूं । वह रेल संचालन से सम्बन्धित सभी समस्याओं का निवारण करेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : मेरा आशय कम-करों आदि से है ।

श्री अलगेशन : कर्मचारी वर्ग से सम्बन्धित समस्याओं पर भी वह विचार कर सकते हैं तथा उन का निपटारा कर सकते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवे अधिकारियों तथा यात्रियों के आपसी सम्बन्ध भी इस ब्यूरो के कार्यक्षेत्र में आ जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ कह सकते हैं ?

श्री अलगेशन : मैं समझता हूं कि इस उद्देश्य के लिए मंत्री स्वयं एक कड़ी है ।

अन्तर्देशीय जल यातायात

*८५१. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ श्री बे० सुरे ने, जो कि गंगा में जल यातायात आरम्भ करने की व्यवहारिकता का अध्ययन करने के लिये भारत आये थे अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश की है ?

(ख) उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार उन्हें क्रियान्वित करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) श्री सुरे ने संयुक्त राष्ट्र टैकनीकल सहायता प्रशासन को जो प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश की थी, भारत सरकार को उस की एक प्रति मिली है ।

(ख) श्री सुरे की मुख्य सिफारिश का सम्बन्ध गंगा तथा घाघरा नदियों के लिए तैयार की गई एक प्रग्रिम परियोजना से है तथा इस का उद्देश्य इन दो नदियों में दो खींचने वाली नावें तथा आठ सामान ढोने की नावें चालू करना है ।

(ग) जी हां ।

श्री के० पी० सिन्हा : वह यहां कितने समय के लिए ठहरे थे तथा उन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री शाहनवाज खां : वह २३ अक्तूबर से दिसम्बर तक भारत में रहे । उन पर कितना खर्च हुआ यह मुझे याद नहीं, परन्तु मैं समझता हूं कि यह राशि कुल मिला के ८००० रुपये से अधिक नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि सरकार ने यह फैसला किया था कि संयुक्त राष्ट्र टेकनीकल सहायता प्रशासन से जो भी सिफारिशें प्राप्त होंगी उन्हें गत अप्रैल से क्रियान्वित किया जायगा; यदि यह सत्य है तो क्या यह मामला हाथ में लिया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : श्री सुरे ने जो प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश की थी उस पर जल यातायात बोर्ड ने विचार किया है तथा

उन्हों ने इस सारी परियोजना को तैयार करने वाले अधिकारी के वेतन के लिये १५००० रुपये की एक राशि अलग रखी है। श्री सुरे से यह भी प्रार्थना की गई है कि वह डिज़ाइन तैयार करें तथा खींचने वाली नावों तथा माल ढोने की नावों की ड्राइंग मुकम्मल करें।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या श्री सुरे की सिफारिशों के अलावा हमारे केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने भी इस कार्य के सम्बन्ध में कोई जांच की है ?

श्री शाहनवाज खां : इस काम के लिए उस विभाग का एक पदाधिकारी पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।

खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता

*८५२. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि जहां तक गेहूं तथा चावल का सम्बन्ध है, इस वर्ष देश के आत्म-निर्भर हो जाने की आशा है ?

(ख) क्या सरकार अपनी आयात-नीति में परिवर्तन करेगी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). यह आशा की जाती है कि सन् १९५४ के दौरान में, कमी वाले राज्यों की चावल की आवश्यकता आन्तरिक साधनों से पूरा करना संभव हो सकेगा और, छोटी मात्रा में केवल उस चावल को छोड़ कर जो कि प्राइवेट व्यापारी हाल में दी गई छूटों के अन्तर्गत आयात करें अथवा केन्द्रीय सरकार रिजर्व में रखने के लिए आयात करे, कोई चावल आयात नहीं किया जाएगा।

जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, इस समय राज्य तथा केन्द्र सरकारों के पास बड़ा स्टाक है और ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते के अन्तर्गत हमें जो दस लाख टन गेहूं का कोटा मिला है उसे आयात कर के हमारा काम चल जाएगा।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि आगामी वर्ष के रिज़र्व स्टाक में इस वर्ष का कितना फालतू अनाज ले जाया जाएगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : चावल, गेहूं तथा अन्य चीज़ों को मिला कर यह लगभग १६ लाख टन होगा।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि किस आधार पर इस निदान पर पहुंचा गया है कि देश इस वर्ष गेहूं और चावल के मामले में आत्म-निर्भर हो जाएगा।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वास्तविक स्टाक-स्थिति के आधार पर। कमी के राज्यों से हमारे पास लगभग ११ लाख टन की मांग है और हमें बढ़ी के राज्यों से लगभग १२ लाख टन चावल प्राप्त होने की आशा है। इसलिए हम आशा करते हैं कि कमी वाले राज्यों की मांग बढ़ी वाले राज्यों से पूरी की जा सकेगी।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सीज़न में गत वर्ष की तुलना में चावल-उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : अंतिम पर्यवेक्षण की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु हमें आशा है कि यह गत वर्ष से ६ लाख टन अधिक होगा।

ऊन

*८५३. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारे देश में बढ़िया ऊन के उत्पादन के प्रयोजन से सरकार ने हिमालयी प्रदेशों में कोई गवेषणा केन्द्र खोले हैं ?

(ख) हमारे देश में ऊन का कुल वार्षिक उत्पादन क्या है और हमारी मांग से यह कितना कम पड़ता है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां, उत्तर प्रदेश में पीपलकोटी में तथा जम्मू व कश्मीर में वानिहाल में। स्थान चुनने के बाद एक तीसरा केन्द्र हिमाचल प्रदेश में यथासम्भव शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा।

(ख) देश में ऊन का वार्षिक-उत्पादन ५ करोड़, २० लाख पौंड आंका गया है। देश में देशी ऊन का उपभोग लगभग २ करोड़ ४० लाख पौंड प्रति वर्ष प्राक्कलित किया गया है, किन्तु मिल उद्योग के वर्सटेड भाग की आवश्यकता मुख्यतः बढ़िया किस्म की कच्ची ऊन, ऊन के गोलों तथा वर्सटेड ऊनी धागे के आयात द्वारा पूरी की जाती है जिन का आयात लगभग १ करोड़ १० लाख पौंड प्रति वर्ष है।

सरदार हुक्म सिंह : हमारी देशी ऊन बाहर से आयात की गई ऊन की तुलना में कैसी बैठती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उस की तुलना में यह घटिया ही है। इसीलिए हम बढ़िया किस्म की ऊन का आयात करते हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रयोगात्मक गवेषणा की गई कि हमारी देशी भेड़ों से बढ़िया किस्म की ऊन प्राप्त करने की क्या सम्भावनाएं हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह पाने के बाद कि हमारी देशी ऊन आयातित ऊन से घटिया है, हम अपनी देशी ऊन की किस्म में सुधार करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि हिमालय के इलाके में जो रिसर्च स्टेशन खोले गए हैं, उन से अब तक क्या लाभ उठाया गया है और कितने वर्षों में हम ऊन के उत्पादन में स्वावलम्बी होने की आशा रखते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुझे इस के लिए पूर्व-सूचना की आवश्यकता है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा कोई विशेष केन्द्र है जहां विशिष्ट रूप से इस बात की गवेषणा हो रही हो कि हमारी भेड़ों के ऊन की किस्म किस प्रकार सुधारी जा सकती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं पहले ही बतला चुका हूं कि उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में पीपलकोटी पर हमारा एक केन्द्र है जिस की एक प्रयोगशाला देहरादून में भेड़ के ऊन पर परीक्षण करने के लिए है। इस के अतिरिक्त दर्रे बानिहाल में एक केन्द्र है जहां हम ने काश्मीर-मेरिनो भेड़ का विकास किया है। इन भेड़ों को देश भर में वितरित किया जा रहा है। अब हम ने एक नई योजना बनाई है जिस के अनुसार हम इन भेड़ों को देश भर के गडरियों में वितरित करेंगे।

कलकत्ता उप-प्रदेशीय रेलवे

*८५५. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कलकत्ता उपप्रदेशीय रेलवे का विद्युतीकरण करने की योजना तैयार करने के लिये जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं वे पुरानी बंगाल-नागपुर रेलवे के किस भाग का परिमाप करेंगे ;

(ख) क्या इसी प्रकार का कोई परिमाप भूतकाल में भी किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) पहले परिमाप की सिफारिशें ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) इस परिमाप में हावड़ा से चक्रधरपुर तक की मुख्य लाइन

तथा भारी कोयला व अन्य खनिज यातायात को ढोने वाली कोयला क्षेत्र की समस्त ब्रांच लाइनों को सम्मिलित किया गया है ।

(ख) से (घ). भूत काल में इस प्रकार का कोई विस्तृत परिमाप नहीं किया गया है। कलकत्ता टरमीनल फेसिलिटीज़ समिति की जिस ने कि सन् १९४७ में छानबीन की थी, यह सिफारिश की कि हावड़ा से खड़गपुर तक के विद्युतीकरण के लिए हावड़ा-मचादा भाग का विद्युतीकरण कर के प्रथम पग उठाया जाए ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति के, एस० एन० राय समिति के अतिरिक्त, निदेश के पद क्या थे ?

श्री शाहनवाज़ खां : राय समिति का मुख्य कार्य कलकत्ते में एक वृत्ताकार रेलवे की सम्भावनाओं पर विचार करना था । यह समिति बिहार और बंगाल की समस्त औद्योगिक पेटी के सम्बन्ध में है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार ने इस परिमाप की कोई समयावधि निर्धारित की है ?

श्री शाहनवाज़ खां : कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं की जा सकती, किन्तु यह आशा की जाती है कि यह काम लगभग नौ मास में समाप्त हो जाएगा ।

"एन्सन" वायुयान

*८५६. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९ में जो "एन्सन" वायुयान खरीदे गए थे उनसे तब से क्या कार्य लिया जा रहा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : "एन्सन" वायुयानों को इलाहाबाद के नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र में द्वि-इंजन वायुयान उड़ाने का प्रशिक्षण देने प्रयुक्त किए जा रहे हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कभी उन्हें व्यापारिक कार्य के लिए अथवा माल ढोने के लिए प्रयुक्त किया गया था ?

श्री राज बहादुर : जी नहीं । उन्हें इस प्रयोग में नहीं लिया जा सकता ।

सरदार हुक्म सिंह : कितने "एन्सन" वायुयान खरीदे गए थे तथा कितनी लागत पर तथा किस देश से खरीदे गए थे ?

श्री राज बहादुर : १२ "एन्सन" खरीदे गए थे । इनका कुल मूल्य ३५ लाख रुपए था और फुटकर हिस्से ९ लाख रुपए के और खरीदे गए थे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि अधिकतर समय वे बेकार रहे और उनका प्रयोग नहीं किया जा सका ?

श्री राज बहादुर : यह सही नहीं है कि वे बेकार रहे हैं । वास्तव में, सन् १९४७–४८ में—आप जानते ही हैं कि वह कैसा समय था—यह विचार किया गया कि ३०० विमान-चालकों को प्रति वर्ष प्रशिक्षित किया जाए और इसके लिए यह उचित समझा गया कि द्वि-इंजन वायुयान होने चाहिए । "डकोटा" बहुत अधिक महंगा समझा गया, इसलिए हमारे पास दो ही विकल्प थे, "एन्सन" वायुयान या "बीचक्रेफ्ट" वायुयान । "बीच-क्रेफ्ट" यानों को डालर खर्च करके ही खरीदा जा सकता था । इसलिए "एन्सन" को ही चुना गया । इसी बीच स्थिति कुछ शान्त हो गई, युद्धबन्दी हो गई, और हमने पाया कि उन कि उस सीमा तक आवश्यकता नहीं थी जितना कि प्रारम्भ में हमने विचार किया था ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस समय उनका प्रयोग किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : वे प्रशिक्षण कार्य में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बतलाया था ?

तम्बाकू

*८५७. **श्री सी० आर० चौधरी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२–५३ में आन्ध्र राज्य में कितने एकड़ भूमि तम्बाकू के अंतर्गत थी ?

(ख) इस काल में तम्बाकू का कितना उत्पादन हुआ ?

(ग) विक्रय सुविधाओं के अभाव में, उत्पादकों के पास कितना स्टॉक जमा हो गया है ?

(घ) स्टॉक को बेचने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के निमित्त क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) २५२,३०० एकड़ ।

(ख) उत्पादन ७३,७०० टन प्राक्कलित किया गया है ।

(ग) उत्पादकों अथवा दलालों के पास लगभग ५ करोड़ पौंड अ-विक्रीत तम्बाकू इकट्ठी होने का अनुमान है जो अधिकतर निम्न किस्मों की है । इसमें पहले वर्ष का बचा हुआ स्टॉक भी शामिल है ।

(घ) स्टॉक जमा हो जाने का कारण महज आन्तरिक तथा निर्यात विक्रय की सुविधाओं का अभाव ही नहीं है । सन् १९५०-५१ से कुछ विशेष प्रकार की किस्मों के उत्पादन में कमी हो जाने के बावजूद भी उन किस्मों की तम्बाकू की मांग उसकी पूर्ति से कम है जिसके कारण वह अ-विक्रीत पड़ी है । सरकार, अप्रयुक्त तम्बाकू से निकोटीन निकालने को तथा उसका खाद के रूप में प्रयोग करने को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है । निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं । इनमें इंग्लैण्ड के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयोजन से वहां एक पदाधिकारी की नियुक्ति, प्रदर्शिनियों द्वारा प्रचार, प्रदर्शन कक्ष, आयातकों से सम्बन्ध-स्थापन और किस्मों तथा मूल्यों के बारे में सूचना प्रदान करना आदि बातें सम्मिलित हैं ।

श्री सी० आर० चौधरी : निकोटीन निकालने के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कुछ प्राइवेट कम्पनियां यह प्रयत्न कर रही हैं और हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : क्या मैं जान सकता हूं कि इंग्लैण्ड में जो पदाधिकारी नियुक्त किया जाने वाला है उसने चार्ज ले लिया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए यह प्रश्न उसी मंत्रालय को सम्बोधित किया जाना चाहिए ।

डा० रामा राव : हाल के रूसी-भारतीय व्यापारिक समझौते की दृष्टि में, भारत सरकार ने तम्बाकू व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम प्रत्येक देश से वस्तु-विनियम की सम्भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं ।

श्री दाभी : सन् १९५२–५३ में कितनी निकोटीन उत्पादित की गई ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह प्रश्न भी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए ।

सहायक चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य असिस्टेंट

*८५८. **डा० रामा राव :** (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या केन्द्रीय सरकार ने देहाती क्षेत्रों के लिए सहायक चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य असिस्टेंटों के रूप में लोगों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना परिचालित की है ?

(ख) योजना का ब्यौरा क्या है ?

(ग) योजना का प्राक्कलित व्यय कितना है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) देहाती क्षेत्रों के लिए सहायक चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य असिस्टेंटों के रूप में लोगों को प्रशिक्षण देने की एक प्रयोगात्मक योजना को राज्यों में परिचालित किया गया है और उनसे उनकी सम्मति मांगी गई है।

(ख) चूंकि योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और स्वास्थ्य मंत्री परिषद् की आगामी बैठक में उस पर विचार होना है, अतः अभी उसके विवरणों को प्रकाशित करना उचित नहीं समझा जा रहा है।

(ग) जब तक योजना को अन्तिम रूप न दे दिया जाये, व्यय की अनुमानित राशि का कोई ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता है।

डा० रामा राव : किन राज्यों ने इस प्रस्ताव को मान लिया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हम अभी राज्यों से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

डा० रामा राव : क्या यह तथ्य है कि केन्द्रीय सरकार ने व्यय का बहुत थोड़ा सा भाग देने का वचन दिया है, जबकि मद्रास जैसे कुछ राज्यों ने उससे ५० प्रतिशत की मांग की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : श्रीमान्, यह सच नहीं है। किसी भी राज्य ने अभी तक वित्तीय सहायता नहीं मांगी है और इस विषय के सभी पहलुओं और विवरणों पर फरवरी, १९५४ में स्वास्थ्य मन्त्री परिषद् की बैठक में विचार किया जायेगा।

श्री धुलेकर : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि इस योजना का घोर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यह योजना देहाती क्षेत्रों में आयुर्वेदिक वैद्यों का काम बन्द कर देने के लिए शुरू की गई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी नहीं, श्रीमान्।

अध्यक्ष महोदय : वह कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इसका परिणाम यह होगा कि आयुर्वेदिक वैद्यों का काम बन्द हो जायेगा।

राजकुमारी अमृतकौर : श्रीमान्, निश्चय ही नहीं। वस्तुतः मैंने राज्य मंत्रियों से यहां तक कहा है कि जो वैद्य भी इसमें सम्मिलित होना चाहें वह प्रशिक्षण प्राप्त करके इस योजना में सेवायुक्त किये जा सकते हैं।

एक्सरे संयंत्रों का निर्माण

*८५९. **डा० एम० एम० दास :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह तथ्य है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अगस्त, १९५३ में अपने कलकत्ते के दौरे के अवसर पर एक फ़ैक्टरी का निरीक्षण किया था, जहां एक्सरे और विद्युत् चिकित्सा संबंधी अन्य उपकरण बनाये जाते हैं ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि इस फ़ैक्टरी द्वारा बनाये गये विभिन्न प्रकार के एक्सरे संयंत्र और विद्युत् चिकित्सा-सम्बन्धी अन्य उपकरण भारत की विभिन्न संस्थाओं, अस्पतालों और विश्व विद्यालयों को प्रदाय किये जा चुके हैं; तथा

(ग) इस फ़ैक्टरी द्वारा बनाये गये एक्सरे-संयंत्रों तथा अन्य चिकित्सा उपकरणों के मूल्य आयातित उपकरणों की तुलना में कैसे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ते की सर्व श्री रेडन हाउस ने महासंचालक रसद तथा उत्सर्जन द्वारा दिये गये एक व्यादेश के अनुसार सम्बद्ध उपकरणों समेत एक हाई टैन्सन ट्रान्फौर्मर प्रिंसिपल, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स एंड ज्योलौजी (प्रधान अध्यापक, भारतीय खान तथा भूगर्भ विद्या विद्यालय), धनबाद को भेजा है । इस फर्म द्वारा अन्य संस्थाओं को दिये गये संयंत्रों के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) महासंचालक, रसद तथा उत्सर्जन के कुछ मूल्यकथन पत्रों के उत्तर में उक्त फर्म ने एक्सरे संयंत्र तथा हाई टैन्सन ट्रान्सफौर्मरों के जो दाम बताये थे, वह आयात किये जाने वाले संयंत्रों के दामों की तुलना में कम थे ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि इस फर्म द्वारा बनाये गये संयंत्रों के गुण प्रकार विदेशी उपकरणों की तुलना में कैसा है ?

राजकुमारी अमतकौर : जानकार लोगों ने मुझे जो कुछ बताया था, उसके अनुसार शायद वे उतने अच्छे नहीं हैं, परन्तु वे काम में आने योग्य हैं और सस्ते हैं ।

पश्चिमी बंगाल को चावल का संभरण

*८६१. **श्री बी० के० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ में पश्चिमी बंगाल में लेवी (उद्ग्रहण) प्रणाली के अधीन व्यक्तिगत उत्पादकों, चावल मिलों और खुले बाजार से खरीद करके कितने चावल का समाहार किया गया है;

(ख) सन् १९५३ केन्द्र द्वारा राज्य को दिये गये चावल की कुल मात्रा और इसमें से कितनी मात्रा आयात किये गये चावल में से दी गई थी; तथा

(ग) राज्य को सन् १९५४ वर्ष में उसकी राशन सम्बन्धी आवश्यकतायों की पूर्ति के लिए कितना चावल दिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) :

(,००० टनों में)

(क)	(१) व्यक्तिगत उत्पादकों से समाहार	११७
	(२) चावल मिलों से समाहार	४८
	(३) खुले बाज़ार से खरीद	४२
	योग	२०७

(ख) चालू वर्ष में अब तक पश्चिमी बंगाल को २२१ हजार टन चावल का नियतन किया गया है, उसमें से २० हजार टन समुद्र-पार से आया हुआ चावल है ।

(ग) पूरी आवश्यकता भर, जो २० से ३० हजार टन प्रतिमास है ।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल के राशन-क्षेत्रों में राशन की मात्रा बढ़ाने का कुछ विचार है तथा राज्य की मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित मात्रा की संगणना करते समय क्या इस बात को ध्यान में रखा गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान्, पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता राशन-क्षेत्र में हम मात्रा को पहले ही ४½ औंस से ६ औंस

तक बढ़ा चुके हैं और इस वर्ष राशन दूकानों की संख्या में वृद्धि करने के अतिरिक्त हमने तथा कथित विशेष दूकानों में सभी उपभोक्ताओं के लिए चावल उपलब्ध कर दिया है, जहां वे ६ औंस की उक्त मात्रा के अतिरिक्त चावल ख़रीद सकते हैं।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि दिये गये चावल की क़िस्म के सम्बन्ध में की गई शिकायतों का निवारण करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : इस वर्ष अतिरेक वाले राज्य धान देंगे, जिससे बंगाल के उपभोक्ताओं की इच्छा के अनुसार धान का छिलका उतारा जा सकेगा या उसे कूटा जा सकेगा।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इस वर्ष खुले बाजार में कुछ खरीद की जायेगी, जैसा कि कुछ समय पहले बताया गया था कि दाम एक विशिष्ट स्तर से कम हो जाने पर राज्य सरकारें खुले बाजार से खरीद कर सकेंगी ?

श्री किदवई : यह कार्य दो जिलों में शुरू हो चुका है और अन्य क्षेत्रों में भी किया जायेगा।

श्री बी० के० दास : इस खरीद के लिए मूल्य के किस स्तर का ध्यान रखा जायेगा ?

श्री किदवई : यह धान के प्रति मन पर लगभग साढ़े सात रुपये होगा।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल को चावल के स्थान पर धान देने के विषय में कोई अन्तिम निश्चय किया है ?

श्री किदवई : जी हां।

श्री बी० के० दास : इस मात्रा का जिसकी खुले बाजार में खरीदे जाने की सम्भावना है, किस प्रकार से उपयोग किया जायेगा ?

श्री किदवई : हमें वहां संकटकालीन भंडार के रूप में रखा जायेगा।

हिन्दी तार सेवा

*८६२. **श्री भागवत झा आज़ाद :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि हिन्दी तार सेवा का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है ?

(ख) सन् १९५१–५२ और १९५२–५३ वर्षों में भेजे गये तारों की संख्या क्या है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) १९५१–५२.....७,८०१
१९५२–५३.....१८,६३९

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या आप बता सकते हैं कि अनुमानत: कुल तार घरों में से कितनों में अभी हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था है ?

श्री राज बहादुर : कुल तार घरों की संख्या जिन से हिन्दी में तार भेजे जा सकते हैं ४९८ हैं।

श्री भागवत झा आज़ाद : जो तार घर देहातों में खोले गये हैं क्या उन में हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था है ? और अगर है, तो कितने तार घरों में ?

श्री राज बहादुर : नया उपाय जो हम ने हिन्दी में तार भेजने का रखा है वह टेलीफोन द्वारा रखा है जिसे फ़ोनोफ़ोन सर्विस कहते हैं। जहां जहां टेलीफ़ोन की व्यवस्था हो जायेगी शनैः शनैः वहां से हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था हो जायेगी।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि देहातों में जो तार घर खोले गये हैं वहां से हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था है या नहीं क्योंकि देहात में ज्यादातर हिन्दी जानने वाले लोग रहते हैं ?

श्री राज बहादुर : इस दिशा में विचार किया जा रहा है। और जैसा मैंने निवेदन किया, जैसे ही टेलीफ़ोन की व्यवस्था हो जायेगी वैसे ही हिन्दी के तारों की भी व्यवस्था हो जायेगी।

श्री आर० एन० सिंह : क्या पार्लियामेंट में जो पोस्ट आफिस है, उसमें भी हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राज बहादुर : इस सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा।

मद्रास पत्तन

*८६३. **चौ० रघुबीर सिंह :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि मद्रास पत्तन को रेत के हटने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है ?

(ख) यदि है, तो पत्तन प्रन्यास (ट्रस्ट) ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(ग) यह कार्यवाही कहां तक सफल रही है ?

रेल तथा यातायात उपमन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). सन् १९२४–२८ में एक रेत निरोधक बाढ़ (ग्रोइन) या सेंडस्क्रीन को दक्षिणी ब्रेकवाटर (जलरोधक) के पूर्वी किनारे से समुद्र की ओर लगभग ७०० फीट तक बढ़ा दिया गया था और सन् १९५१–५२ में उसे २१६ फीट और बढ़ा दिया गया है। रेत निकालने और उसे छितराने का काम भी चल रहा है और इन उपायों से बन्दरगाह के प्रवेश द्वार पर पानी की अपेक्षित गहराई को बनाये रखा गया है।

गन्ने के मूल्य निश्चित करना

*८६४. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हरिगांव (अहमदनगर) में ११ अक्तूबर, १९५३ को हुए दक्षिण चीनी प्रविधिविज्ञ संघ के दसवें वार्षिक अधिवेशन के अपने उद्घाटन भाषण में प्राप्त होने वाली चीनी के आधार पर गन्ने का दाम निश्चित करने के सम्बन्ध में जिस योजना का आभास दिया गया था; उसकी रूप रेखा;

(ख) क्या सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या प्रत्येक चीनी-कारखाने में गन्ने से निकलने वाली चीनी के वास्तविक परिमाण का निर्धारण करने के लिए सरकार कुछ उपयुक्त और निष्पक्ष व्यवस्था करना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) से (ग). दक्षिण चीनी प्रविधिविज्ञ संघ के समक्ष दिये गये उद्घाटन भाषण में प्राप्त होने वाली चीनी के आधार पर गन्ने का दाम निश्चित करने की कोई विशेष योजना की रूप रेखा नहीं बताई गई थी। केवल इस दृष्टि से एक वंचन संभावना रहित (फूल प्रूफ) सूत्र बनाने की आवश्यकता प्रविधिविज्ञों को समझाई गई थी। अब तक ऐसा कोई सूत्र नहीं बना है। प्राप्त होने वाली चीनी के आधार पर गन्ने का दाम चुकाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, और चीनी कारखानों में गन्ने से निकलने वाली चीनी के वास्तविक परिमाण का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त और निष्पक्ष व्यवस्था करने के प्रश्न पर इस सूत्र के बन जाने के बाद और प्राप्त होने वाली चीनी के आधार पर गन्ने के दाम चुकाने की प्रणाली को अन्तिम रूप से अपनाने का निर्णय हो जाने के बाद विचार किया जायेगा।

श्री विभूति मिश्र : इस फार्मूले को सरकार कितने दिनों में काम में लायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सरकार तो इस को आज भी काम में ला

सकती है लेकिन इससे आनरेबुल मेम्बरों को इतमीनान नहीं होगा इसलिये कुछ देरी की जाती है ।

श्री विभूति मिश्र : सरकार गन्ने के लिये जो फ़ूल प्रूफ़ फार्मूला बनाना चाहती है, उसमें कितनी देरी लगेगी ?

श्री किदवई : यह बहुत जगह रायज हो चुका है । मद्रास स्टेट में सिस्मा फार्मूला निकला है उस से जितनी सरकार को ज़रूरत होती है उस के हिसाब से गन्ने के दाम दिये जाते हैं ।

श्री शिवनजप्पा : क्या सिस्मा सूत्र मैसूर पर लागू होता है ?

श्री किदवई : मैसूर का कारखाना इस वर्ष नहीं चल रहा है । गत वर्ष गन्ने के दाम कम हो जाने पर भी वह पिछले वर्ष का दाम एक रुपया बारह आने देता रहा था । अतः यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री झुनझुनवाला : सरकार द्वारा इस प्रश्न पर कितने वर्षों से विचार किया गया है और क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के सम्बन्ध में इस नीति पर विचार किया गया है ?

श्री किदवई : जैसे मैंने बताया यह सूत्र दक्षिण भारत में बनाया गया है, जहां पर सरकार द्वारा अपेक्षित न्यूनतम दाम गन्ने की खरीद के समय चुकाये जाते हैं और बाद में उनको चीनी से मिले दाम के अनुसार कुछ और दिया जाता है । मुझे पता चला है कि इस वर्ष ३,४ आने प्रति मन अतिरिक्त दिये जा रहे हैं । बिहार, पंजाब या राजस्थान में इस सूत्र का लागू करना कठिन है, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि वहां चीनी कम निकलती है । कुछ मामलों में यदि यह सूत्र लागू किया गया, तो किसानों को कुछ लौटाना ही पड़ेगा । अतः गन्ने की क़िस्म के सुधरने पर इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जायेगा ।

सिंगरेनी कोयला खानें

***८६५. श्री टी० बी० विट्ठल राव :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐंड्रूज़ इंक्लाइन नं० २१, येलैण्डर सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी में एम्बुलेंस की व्यवस्था न करने के, जो खान अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत होनी चाहिये क्या कारण हैं ?

(ख) अधिनियम के इस उपबन्ध को लागू करने के मामले में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि की गई है, तो उस का क्या परिणाम हुआ ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) नं० २१ इंक्लाइन में एक एम्बुलेंस कार की व्यवस्था की गई है ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री विट्ठल राव : मैं जान सकता हूं कि येलैण्डर में एम्बुलेंस की व्यवस्था कब की गई थी; क्या ऐसा केवल तब किया गया जब उन्हें पता लगा कि लोक सभा में इसके बारे में एक प्रश्न किया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि : सम्भवतः ऐसा हो; मुझे मालूम नहीं ।

नूरी शुगर वर्क्स, कटनी

***८६६. श्री विश्वनाथ राय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने नूरी शुगर वर्क्स, कटनी, जिला देवरिया (उत्तर प्रदेश) को फिर से चालू करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : जी नहीं ।

श्री विश्वनाथ राय : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का इस फैक्टरी का प्रबन्ध व्यवस्था को सरकारी नियंत्रक के अधीन दे देने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको आवश्यक नहीं समझा है और उसने गन्ना किसी अन्य फैक्टरी को दे दिया है ।

श्री विश्वनाथ राय : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इस फैक्टरी के लगातार बन्द रहने के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में गन्ने की खेती बहुत कम हो गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां और फैक्टरियां भी हैं । उस स्थान का गन्ना अन्य स्थानों को भेजा जा सकता है ।

सवारी गाड़ी के डब्बे

***८६८. श्री सिंहासन सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वातावस्थापित (एयर कंडीशंड) दूसरे दर्जे, ड्योढ़े दर्जे तथा तीसरे दर्जे के डब्बों के बनाने में क्रमशः कितना खर्च होता है और इन डब्बों में कितने मुसाफिर बैठ सकते हैं और इनसे क्रमशः कितनी आय होती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : एक विवरण, जिसमें यह सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०]**

श्री सिंहासन सिंह : विवरण से यह पता लगता है कि वातावस्थापित डब्बों से होने वाली आय से तीसरे दर्जे से होने वाली आय नौ से दस गुनी तक है, ड्योढ़े दर्जे की चार से पांच गुना तक है, और दूसरे दर्जे की दो से तिगुनी तक है । मैं जान सकता हूं कि दूसरे दर्जों से होने वाली आय की तुलना में इन वातावस्थापित डब्बों से इतना अधिक नुकसान होते हुए भी किन कारणों से सरकार इन्हें बनाती है ?

श्री अलगेशन : मैं इस प्रश्न को आंशिक रूप से समझ सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : बात यह है इनसे जितनी आय होती है वह इनकी लागत के अनुपात में कम है । सरकार ने इन पर इतना खर्च क्यों किया ?

श्री अलगेशन : इस डब्बे से होने वाली आय इसकी लागत के अनुपात में नहीं हो सकती है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जिस बात का सुझाव दिया है वह तर्क पर आधारित नहीं है ।

श्री सिंहासन सिंह : यह बताया गया है कि वातावस्थापित डब्बे से प्रति मील २ रुपये १२ आने आय होती है, जबकि तीसरे दर्जे के डब्बे से, जिसके बनाने की लागत १,२०,००० रुपये होती है, प्रति मील २ रुपये ५ आने आय होती है । वातावस्थापित डब्बे से २ रुपये १२ आने प्रति मील आय होती है जबकि आप उस वातावस्थापित डब्बे के बनाने पर २,६१,००० रुपये खर्च करते हैं । वातावस्थापित डब्बों की लागत की तुलना में दूसरे, ड्योढ़े तथा तीसरे दर्जे के डिब्बों से वातावस्थापित डब्बे की अपेक्षा कई गुनी दस गुनी आय होती है । फिर वातावस्थापित को इतनी लागत पर क्यों बनाया गया था जिससे इतना अधिक घाटा होता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप तर्क कर रहे हैं ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या वातावस्थापित तथा दूसरे दर्जे के डब्बों में, जितने मुसाफिरों के बैठने के लिये वे बनाये जाते हैं, उनसे अधिक मुसाफिर बैठने दिये जाते हैं, जैसा कि तीसरे दर्जों के डब्बों में होता है ?

श्री अलगेशन : निस्सन्देह, दिन के समय ऐसा होता है कि उनमें निर्धारित संख्या से अधिक मुसाफिर बैठते हैं ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या तीसरे दर्जे में भी वातावस्थापित डब्बे—

वातावस्थापन व्यवस्था--चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

पूर्वोत्तर रेलवे पर पुल

*८७१. **श्री विभूति मिश्र :** (क) **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को उत्तर बिहार के बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के लोगों से पूर्वोत्तर रेलवे के रेल पुलों तथा पुलियाओं के चौड़ा किये जाने और यदि आवश्यक हो तो और अधिक पुल तथा पुलियायें बनाई जाने जिससे कि बाढ़ का पानी शीघ्रता से निकल सके, के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख)। कोई सामान्य अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं किन्तु चार विशिष्ट शिकायतों की रेल विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।

श्री विभूति मिश्र : जहां जहां बाढ़ के समय रेलवे लाइन के कारण लोगों को क्षति हुई है, अगर वहां के लोग सरकार से प्रार्थना करें तो क्या सरकार वहां पर पुल बना देगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : उसके ऊपर बड़ी हमदर्दी से गौर होगा।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं उन स्थानों के नाम जान सकता हूं जहां से विशिष्ट अभ्यावेदन किये गये हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : श्री लक्ष्मी नारायण सिंह, जो बिहार विधान सभा के सदस्य हैं, से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; दूसरा भादा खुर्द गांव के निवासियों से प्राप्त हुआ है। तीसरा अभ्यावेदन श्री झूलन सिन्हा, संसद् सदस्य, गोपालगंज, से प्राप्त हुआ है और चौथा दरभंगा ज़िले के भौंगरौनी टोला ग्राम के निवासी बद्रीनाथ से प्राप्त हुआ है।

मजूरी भुगतान अधिनियम

*८७३. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रम संघों की ओ से कलकत्ता के पत्तन आयुक्तों के अधीन काम करने वाले मज़दूरों पर मजूरी भुगतान अधिनियम के लागू किये जाने की वांछनीयता के सम्बन्ध में हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) अखिल भारतीय पत्तन तथा डाक मज़दूर संघ ने सन् १९४८ में इस सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन किया था कि डाक मज़दूरों पर, जिनमें कलकत्ता पत्तन के मज़दूर भी सम्मिलित हों, मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ लागू किया जाय।

(ख) यह अधिनियम कलकत्ता पत्तन के फैक्टरी तथा रेलवे मज़दूरों पर तो पहिले से ही लागू है। कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के अधीन काम करने वाले मज़दूरों को जितना उन्होंने माल ढोया हो उसके अनुसार इस समय मजूरी दी जाती है और इसके परिणामस्वरूप मजूरी भुगतान अधिनियम में निर्दिष्ट समय में ही उनकी मजूरी का हिसाब करने और मजूरी देने में कठिनाई होती है। इसलिये, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) से यह कहा गया है कि वह इस पत्तन में भुगतान की प्रणाली का अध्ययन करे और यह रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि मज़दूरों पर इस अधिनियम को लागू करने में जो कठिनाइयां हैं उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री तुषार चटर्जी : मैं जान सकता हूं कि उनके उत्तर के कब तक मिल जाने की आशा है ?

श्री वी० वी० गिरि : यथासम्भव शीघ्र ।

बलिया के सदर डाक घर में गबन

*८७४. **श्री आर० एन० सिंह :** क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सुपरिन्टेंडेन्ट, डाकघर, बनारस द्वारा ३१ अक्टूबर, १९५३ को बलिया सदर डाकघर के कोषागार का निरीक्षण करते समय लगभग कितनी राशि के गबन का पता लगाया गया है;

(ख) उस गबन में किन किन कर्मचारियों का हाथ है;

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है;

(घ) क्या यह सच है कि उसी डाक घर के कोषागार में दो-तीन वर्ष पहले भी चोरी हुई थी ;

(ङ) यदि सच है, तो उस चोरी में किन व्यक्तियों का हाथ था; तथा

(च) सरकार ने उसके विषय में क्या किया था?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १७,४८० रुपये ६ आने ।

(ख) सोहनलाल (प्रसाद) कोषाध्यक्ष—जो कि कोषागार के ठेकेदार श्री राजकुमारसिंह का कर्मचारी है ।

(ग) पुलिस इस मामले की जांच कर रही है । श्री सोहनलाल (प्रसाद) तथा उनके सहायक को गिरफ्तार कर लिया गया है । पुलिस ने एक अभियोग सूची प्रस्तुत कर दी है ।

(घ) जी हां, सन् १९५२ की १४–१५ जनवरी की रात में ।

(ङ) तथा (च) । तत्कालीन पोस्ट मास्टर के बारे में यह शक था कि उनका इस चोरी में हाथ था । पुलिस ने इस मामले को 'बेपता' मामले के रूप में माना । पोस्ट मास्टर से २,१०० रुपये वसूल किये जाने का आदेश दिया गया था ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जो पहले पोस्ट मास्टर पकड़े गये थे और जिन पर शुबहा हुआ था उन के विषय में क्या हुआ ?

श्री राज बहादुर : मैंने निवेदन किया कि वह ट्रेज़री का मामला था । उसमें तो पोस्ट मास्टर नहीं पकड़े गये थे । उसमें तो सोहन लाल (प्रसाद) ट्रेज़रर पकड़े गये थे ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि पहले की अपेक्षा आजकल क्यों पोस्ट आफिसेज़ में ज्यादा चोरियां हुआ करती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत सामान्य प्रश्न है ।

श्री राज बहादुर : आपका ख्याल गलत है ।

प्रौढ़ असैनिक प्रशिक्षण योजना

*८७५. **श्री आर० सी० चौधरी :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रौढ़ असैनिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत, जो कि जुलाई, १९५० में उन क्षेत्रों में आरम्भ की गई थी जो अब आन्ध्र राज्य में हैं, प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या कितनी है ?

(ख) उन प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने उन संस्थाओं में दस्तकारी के डिप्लोमा प्राप्त किये ?

(ग) उनमें से कितने राज्य तथा केन्द्रीय सेवाओं में लगे हुए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) ३ ।

(ख) ३७९ ।

(ग) चूंकि इस बात का पता लगाना सम्भव नहीं कि पुराने प्रशिक्षणार्थी कहां कहां नौकरियों पर लगे हुए हैं इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री आर० सी० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि जिन लोगों ने यह प्रशिक्षण तथा डिप्लोमा प्राप्त किये थे क्या वे नौकरी दफ्तरों में अपने नाम रजिस्टर कराते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : उनमें कुछ नौकरी दफ्तरों में अपने नाम रजिस्टर कराते हैं और जिनके नाम वहां नहीं होते हैं उनके बारे में हम यह समझते हैं कि उन्हें नौकरी मिल गई हैं ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि इन तीन संस्थाओं में लगभग ३०० उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिये कितना धन व्यय किया जाता है ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरे पास यह सूचना नहीं है । बाद में मैं माननीय सदस्य को यह सूचना सहर्ष दे दूंगा ।

श्री सी० आर० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह योजना अब भी चल रही है ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां ।

चाय बागान

*८७६. **श्री दशरथ देव :** क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के चाय बागानों को डिवीजन के शहरों से मोटर सड़कों द्वारा जोड़ दिया गया है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि ऐसी सड़कों के न होने के कारण इस उद्योग को आर्थिक हानि हो रही है; तथा

(ग) ऐसी सड़कें बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । अधिकांश चाय बागान डिवीज़न के शहरों से ऐसी सड़कों के द्वारा जिन पर वर्षा के अतिरिक्त अन्य मौसमों में मोटर चल सकती हैं, जुड़े हुए हैं ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

(ग) जहां ऐसी सड़कें नहीं हैं जिन पर वर्षा के अतिरिक्त अन्य मौसमों में मोटर चल सकती हैं, वहां उन्हें बनाया जा रहा है ।

श्री दशरथ देव : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को चाय बागान मालिकों से चाय बागानों और मुख्य सड़कों के बीच सरकार की ज़मीन में से होकर उन्हीं के खर्चे से, जिसे कि सरकार बाद में उन्हें वापिस कर देगी, सड़कें बनाये जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

श्री अलगेशन : मुझे उस अभ्यावेदन का पता नहीं है ।

रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति

*८७७. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि नवम्बर, १९५३ के दूसरे सप्ताह में मद्रास में दक्षिण रेलवे की रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री कमेटी की एक बैठक हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन किन विषयों पर विचार किया गया था ?

(ग) इस बैठक में कौन कौन से निर्णय किये गये ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग)। सदन पटल पर बैठक के संक्षिप्त विवरण की एक प्रति जिसमें वे विषय दिये हुए हैं जिन पर चर्चा हुई थी तथा यह भी दिया हुआ है कि उनके बारे में क्या

निश्चय किया गया है रखी जाती है । **[पुस्कालय में रखी गई । देखिये संख्या एस—२०५/५३]**

श्री मनिस्वामी : इस बैठक में कितने सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी अधिकारियों ने ने भाग लिया ?

श्री शाहनवाज़ खां : सदन पटल पर जो कागज़ात रखे गये हैं उनमें सब बातें दी हुई हैं ।

श्री रघवय्या : ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को नाम निर्देशित किया जाता है या उनका चुनाव होता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह संस्थायें केवल परामर्शदात्री मात्र होती हैं और इसीलिये कोई चुनाव नहीं होता है ।

श्री मुनिस्वामी : इस बैठक में जो सिफारिशें की गईं, सुझाव रखे गये तथा निश्चय किये गये, क्या उनको कार्यान्वित किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : सदन पटल पर जो कागज़ात रखे गये हैं क्या उन्होंने उन्हें पढ़ा है ? अगला प्रश्न ।

गन्ने की खेती

*८८०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के गन्नों में मिठास की मात्रा बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : उत्तर प्रदेश और बिहार तथा अन्य राज्यों में भी गन्ने में मिठास की मात्रा बढ़ाने तथा साथ ही प्रति एकड़ अधिक गन्ना उगाने के सम्बन्ध में अनुसंधान तथा विकास योजनायें चलाई जा रही हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : यह प्रयोग कब से किये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : मैं इस प्रश्न की पूर्व-सूचना चाहता हूं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इनसे अब तक कोई सुधार हुआ है ?

श्री किदवई : कुछ क्षेत्रों में हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि गत वर्ष बिहार सरकार ने गन्ने की बहुत ही अच्छी खेती के लिये इनाम दिये थे ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार का विचार दक्षिण या मद्रास के तरीक़े को बिहार में लागू करने का है ?

श्री किदवई : जी हां, यदि हमें यह विश्वास हो जाये कि इसके परिणाम उत्पादन करने वाले के लिये लाभदायक होंगे ।

भारती नदी पर पुल

*८८१. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके हाल ही के आसाम वाले दौरे में भारती नदी पर एक पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया गया था ।

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अनुमानतः माननीय सदस्य आसाम में उत्तरी ट्रंक रोड पर की भरेली नदी का निर्देश कर रहे हैं । यदि हां, तो उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) राज्य सरकार की ओर से अनुदान के लिये औपचारिक प्रार्थना अभी हाल ही में प्राप्त हुई है तथा मामला विचाराधीन है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : कितनी लागत आयेगी ?

श्री अलगेशन : अनुमान किया जाता है कि यह लगभग ६० लाख रुपये होगी ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : अनुदान कितना होगा तथा ऋण कितना होगा ?

श्री अलगेशन : माननीय मंत्री ने इस प्रश्न पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वचन पहले ही दे दिया है । शायद, वह अनुमानित राशि का ७५ प्रतिशत तक अनुदान के रूप में दे सकेंगे ।

गेहूं

*८८२. **श्री के० पी० त्रिपाठी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ते के मुकाबले आसाम में आटे का फुटकर मूल्य क्या है ?

(ख) यदि कोई अन्तर है तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) गेहूं का 'पूल' (संग्रहीत) मूल्य क्या है ?

(घ) ऐसे कौन से राज्य हैं जिन में गेहूं 'पूल' (संग्रहीत) मूल्य पर दिया जाता है ?

(ङ) क्या कोई ऐसे राज्य भी हैं जिनमें गेहूं 'पूल' (संग्रहीत) मूल्य पर नहीं दिया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) आसाम और कलकत्ते में आटे का फुटकर मूल्य इस प्रकार है :—

	रुपया आ० पा० / मन	
आसाम—नगरीय क्षेत्र	२४ ६ ० २५ ० ०	सरकारी कार्य के लिये अर्थात उद्योगों, आसाम रायफ़ल्स-बटेलियन उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी क्षेत्रों आदि के लिये ।
ग्राम्य क्षेत्र	साथ में पांच मील से अधिक दूरी का वास्तविक का भाड़ा भी	
नगरीय क्षेत्र	२३ १२ ० से २५ ० ०	खुले बाज़ार जहां से साधारण उपभोक्ता खरीद सकते हैं।
कलकत्ता—	२० १० ०	

(ख) आसाम में चक्कियों की सुविधा नहीं है और इसीलिये आटे को कलकत्ते में पिसवा कर आसाम भेजना पड़ता है । कलकत्ता और आसाम के मूल्यों में अन्तर इसलिये है क्योंकि आसाम तक आटा पहुंचाने में यातायात का बढ़ा हुआ किराया तथा अन्य विविध खर्चे भी शामिल होते हैं ।

(ग) १५-११-१९५३ से आयात किये गये गेहूं का 'पूल' मूल्य १५ रुपये ८ आने प्रति मन है ।

(घ) तथा (ङ)। डॉक या केन्द्रीय रक्षित गोदामों से आयात किया गया गेहूं रेल के डब्बों या ट्रकों में भर कर समस्त राज्यों को 'पूल' मूल्य पर दिया जाता है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह तथ्य नहीं है कि 'पूल' मूल्य की सुविधा आसाम को उपलब्ध नहीं है जब कि अन्य समस्त राज्यों को है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जी हां । हम आसाम में गेहूं १५ रुपये ८ आने प्रति मन की दर पर देने के लिये तैयार हैं, किन्तु आसाम सरकार को उसे पिसवाने के लिये कलकत्ते भेजना पड़ेगा और इस प्रकार यातायात की लागत दुगनी हो जायेगी । इसलिये वह गेहूं का कलकत्ते में दिया जाना पसन्द करती क्योंकि वहां पिसाई की सुविधायें उपलब्ध हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मूल्य अधिक होने का एक यह भी कारण है कि पाकिस्तान की वजह से माल टेढ़े तिरछे रास्तों से ले जाना पड़ता है । क्या सरकार का विचार आसाम को 'पूल' मूल्य पर गेहूं देने का है जिसमें यातायात की लागत भी शामिल हो ?

श्री किदवई : जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूं सरकार आटा नहीं देती है । आसाम पटसन पैदा करने का प्रयत्न कर रहा है, और यदि वह सफल हो जाता है तो मुझे आशा है कि वह सस्ता हो जायेगा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं माननीय मंत्री को बतला दूं कि आसाम में जो गेहूं पैदा किया जाता है वह बहुत थोड़ा होता है । मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि जब आसाम में भारत के अन्य प्रदेशों के मुकाबले गेहूं के मूल्य के सम्बन्ध में इतनी असमानता है तो क्या सरकार गेहूं के मूल्य को 'पूल' करने का प्रयत्न करेगी तथा यातायात का भाड़ा भी स्वयं वहन करेगी ?

श्री किदवई : सरकार १५ रुपये ८ आने की दर पर गेहूं देने के लिये तैयार है; किन्तु पिसवाने का प्रबन्ध स्थानीय सरकार या उपभोक्ता को करना होगा । अन्य राज्यों में पिसाई का प्रबन्ध है, किन्तु आसाम में नहीं है ।

रेलवे के इंजन और डब्बे

*८८४. **श्री जेठा लाल जोशी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे को जितने इंजन और डब्बों की आवश्यकता होती है उनमें से कितने भारत में बनाये जा सकते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : वर्तमान वार्षिक उत्पादन सामर्थ्य इस प्रकार है :

इंजन	८५
सवारी गाड़ी के डब्बे	७९०
मालगाड़ी के डब्बे	७,८००

उत्पादन का लक्ष्य इस्पात के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने पर निर्भर करता है ।

श्री जेठा लाल जोशी : इस वर्ष जून से नवम्बर तक विदेशी फर्मों को कितने सवारी गाड़ी के और कितने मालगाड़ी के डब्बों का व्यादेश (आर्डर) दिया गया है ?

श्री अलगेशन : हमने अभी हाल ही में ४८० इंजनों के लिये विदेशी फर्मों को, जो कि संसार के विभिन्न देशों में फैली हुई हैं, आर्डर दिये हैं ।

श्री जेठा लाल जोशी : क्या यह तथ्य है कि भारत में बनाये गये सवारी गाड़ी के डब्बे की लागत लगभग ४०,००० से ५०,००० रुपये तक आती है जबकि विदेशों से आयात किये जाने पर इसकी लागत एक लाख रुपये से भी अधिक पड़ती है ?

श्री अलगेशन : कुछ अन्तर है । मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता कि वह क्या है ।

श्री जेठा लाल जोशी : क्या यह तथ्य है कि विदेशी फर्मों को इंजनों के लिये आर्डर देने के कारणों में से एक यह भी है कि आयात किये गये इंजनों की लागत लगभग उतनी ही बैठती है जितनी कि चितरंजन में बनाये गये इंजनों की है ? क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि नीति बनाते समय कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल व्यक्तियों को रोज़गार देने की समस्या को भी ध्यान में रखा जाता है ?

श्री अलगेशन : पिछले वर्ष हमें चितरंजन से ५२ और टैल्को से ३३ इंजन प्राप्त हुए थे । आशा की जाती है कि यह सामर्थ्य बढ़ जायेगी । जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जायेंगे तो देशी इंजन का मूल्य लगभग आयात किये गये इंजन के बराबर ही हो जायेगा । इस समय यह कुछ अधिक है ।

जयपुर रेलवे स्टेशन

*८८६. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जयपुर स्टेशन का विकास करने का कोई विचार है; तथा

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रकार का विकास किया जायेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) योजना बनाई जा रही है और जैसे ही यह बन कर तैयार हो जायेगी तथा प्राक्कलन मंजूर कर लिया जायेगा, काम आरम्भ कर दिया जायेगा। स्टेशन की एक नई इमारत बनाने का विचार है जिस में यात्रियों तथा शहर देखने के लिये आने वाले पर्यटकों को अधिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी।

श्री भीखा भाई : चालू वर्ष में कितनी धन राशि व्यय करने का विचार है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस वर्ष के लिये १०,००० की व्यवस्था की गई है।

उड़ीसा का चावल का स्टाक

*८८९. **श्री संगण्णा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३ की ख़रीफ में उड़ीसा राज्य से भेजा जाने वाला निर्यात का कोटा कितना था?

(ख) इस निर्यात कोटा से प्राप्त करने वाले राज्य कौन से थे ?

(ग) प्रत्येक राज्य को किये जाने वाले आवंटन की मात्रा कितनी थी ?

(घ) क्या प्रत्येक राज्य अपना सारा कोटा उठा सका था ?

(ङ) क्या सरकार को ज्ञात है कि चूंकि राज्य उस कोटा को उठा नहीं सके जो उन्हें दिया गया था इसलिये ग़ल्ला वसूली द्वारा प्राप्त चावल तथा धान के स्टाकों का सरकारी तथा वैयक्तिक गोदामों में राशिपातन किया जा रहा है ?

(च) यदि उपर्युक्त खण्ड (ङ) का उत्तर सकारात्मक हो तो इस के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) २५६,००० टन।

(ख) तथा (ग)। सदन पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१**]

(घ) से (च) तक। उड़ीसा द्वारा समय समय पर की जाने वाली आधिक्य घोषणा, तथा जिनको वह आधिक्य दिया जाता है उनके द्वारा उसे उठाने, के बीच में, कुछ समय अनिवार्य रूप से बीत जाता है, क्योंकि ऐसा आधिक्य पहले कुछ विशेष कमी वाले राज्यों को आवंटित किया जाता है। उसके पश्चात् वे उसके गुण प्रकार के निरीक्षण करने में तथा वित्तीय प्रबन्ध करने में कुछ समय बिता देते हैं। स्टाक को फिर उस स्थान तक लाने में कुछ समय लगता है जहां से उसे वाहनों में लादा जाता है। इस का परिणाम यह होता है कि स्टाक का कुछ भाग, कुछ समय तक शीघ्रता से हटाया नहीं जा सकता है। कमी वाले राज्यों की सरकारों को बताया गया है कि निरीक्षण तथा वित्तीय प्रबन्ध में विलम्ब न करने की तथा शीघ्रता के साथ स्टाक हटाने की बड़ी आवश्यकता है। दूसरी ओर उड़ीसा सरकार उन आपत्तियों को दूर करने की ओर विशेष ध्यान दे रही है जो विलम्ब का प्रधान कारण होते थे।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान्, कि विभिन्न राज्यों के खाद्य सचिवों के हाल में होने वाले सम्मेलन में यह निर्णय किया गया है कि उड़ीसा के चावल के निर्यात के कोटा का एक भाग धान के रूप में होगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमने उनसे कहा है कि बंगाल के संभरण के लिये वे अपने आधिक्य का कुछ भाग धान के रूप में दिया करें क्योंकि बंगाल की शिकायत है कि उड़ीसा का चावल बहुत रद्दी प्रकार का होता है ?

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि यदि धान का निर्यात किया जायगा तो वे मजदूर बेकार हो जायेंगे जो मिलों में काम कर रहे हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: उड़ीसा के जिलों की क्षमता केवल १,५८,००० टन की है । इस वर्ष बहुत अच्छी फसल होने के कारण लगभग चार, पांच लाख टन की प्राप्ति हुई है । उड़ीसा के मिलों में यदि पूरी शक्ति से काम हो तो भी कुल उत्पादन का पचास प्रतिशत धान के रूप में शेष रह जायगा जो वे आसानी से अन्य राष्ट्रों को भेज सकते हैं । इसलिये इस कारण कोई बेकारी होने का भय नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : चावल के गुण प्रकार में सुधार करने के लिये उड़ीसा राज्य द्वारा कौन से उपाय किये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह राज्याधीन विषय है । प्रश्नों का घण्टा समाप्त हो गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

यात्रा की एजेंसियां

***८५४. श्री अमजद अली** : (क) क्या संचरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय वायु यात्रा निगम द्वारा यात्रा की एजेंसियों को अब तक कितने लाइसेंस प्रदान किये गये हैं ?

(ख) यह लाइसेंस प्रधान रूप से किन देशों के लिये प्रदान किये गये हैं ?

(ग) लाईसेंस प्रदान करने पर कौन कौन से प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इसके लिये किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है । परन्तु यात्रा एजेण्टों की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाती है जो, अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, तथा भारतीय वायु परिवहन संघ, द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं । भारतीय वायु यात्रा निगम द्वारा नियुक्त किये जाने वाले यात्रा एजेण्टों की संख्या भारत में ९३ है तथा अन्य देशों में ७३ है । भारतीय वायु यात्रा अन्तर्राष्ट्रीय निगम द्वारा नियुक्त किये जाने वाले यात्रा एजेंटों की संख्या ५७ है ।

(ख) तथा (ग) । न तो कोई प्रतिबन्ध देशों के आधार पर हैं और न कोई किसी और आधार पर हैं ।

रेलों में होने वाली पदोन्नतियां

***८६०. श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्री ने, अपने पुराने आय व्ययक व्याख्यान में जो आश्वासन दिये थे, कि एक सीमा तक रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नतियां, किसी निर्वाचन मण्डल के निर्देश के बिना, की जायेंगी, उनको कार्यान्वित करने के लिये कौन से उपाय किये गये हैं ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि चतुर्थ वर्ग के अनेक पदों के लिये अभी तक निर्वाचन का प्रयोग किया जा रहा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं । साधारण रूप से २०० रुपये से ३०० रुपये के नीचे की श्रेणियों के पदों तक पदोन्नति के लिये किसी निर्वाचन मण्डल का प्रयोग नहीं किया जायगा । परन्तु १५० रुपये से २२५ रुपये वाली श्रेणी के कुछ विशिष्ट पद निर्वाचन वाले पद समझे जायेंगे , जिनमें निरीक्षण की आवश्यकता होती है या कुछ मात्रा में वैयक्तिक उत्तरदायित्व का काम होता है ।

(क) चतुर्थ वर्ग पदों में कोई निर्वाचन वाले पद नहीं हैं यद्यपि कुछ श्रेणियां ऐसी हैं जिन की उपयुक्तता का निर्णय विभागीय परीक्षा द्वारा किया जाता है ।

रेल की लाइनें

*८६७. **श्री अमजद अली** : क्या रेल मंत्री १५ सितम्बर १९५३ के पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२८३ के अनुपूरक प्रश्नों की ओर ध्यान देंगे तथा बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा, (१) दारंगिरी अमजंगा-पाण्डु (२) दारंगिरी-उंगनानी-गोआलपाड़ा-पेड़ी-जेगीघोपा-होगाई गांव तथा (३) दारंगिरी से ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर सीधे रास्ते से किसी ऐसे स्थान तक जो साधारण रूप से सुदृढ़ हो—इन तीन भिन्न प्रस्तावों की लागत के आगणन का परीक्षण किया जा चुका है ?

(ख) क्या आसाम की सरकार ने गारो पर्वतों के क्षेत्र से निकाली जाने वाली रेलवे लाइन का आगणन करने के लिये भारत सरकार से कहा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

बछड़ा सहायता योजना

*८६९. **श्री हेडा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 'बछड़ा सहायता योजना' की विशेषताएं क्या हैं ?

(ख) कितने बछड़ों के लिये वार्षिक या मासिक वृत्ति दी जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अखिल भारतीय बछड़ा योजना अभी तक तय्यार नहीं हो पाई है जो १९४४–४५ अखिल भारतीय ग्रामीण केन्द्र योजना के आधीन, कार्यान्वित की जाने वाली है । फिर भी, गत वर्ष से, दिल्ली राज्य में, प्रयोगात्मक उपाय के रूप में, एक नमूने की बछड़ा सहायता योजना कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण केन्द्रों में पैदा होने वाले बछड़ों के पालन में ५ रुपया प्रतिमास प्रति बछड़े की दर से सहायता दी जाती है । यह सहायता दूध छटाने के पश्चात् दो वर्ष तक दी जाती है ।

(ख) १०० ।

(ग) हरियाना ।

बिलासपुर से सीधे इलाहबाद जाने वाला डिब्बा

*८७०. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्व रेलवे ने रात वाली गाड़ी में बिलासपुर से सीधे इलाहाबाद जाने वाले डब्बे की व्यवस्था समाप्त कर दी है ?

(ख) इस व्यवस्था को बन्द कर देने का क्या कारण है ?

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि बिलासपुर-इलाहाबाद वाला डब्बा सुबह की गाड़ी में लगाया जाता है तथा कटनी पहुंचने के पश्चात इस डब्बे के यात्रियों को छै घण्टे से भी अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां, १–१०–१९५३ से ।

(ख) १-१०–१९५३ से लागू होने वाले टाइम टेबुल के अनुसार, बिलासपुर से २ बज कर १० मिनट पर चल कर ५ बज कर २ मिनट पर कटनी पहुंचने वाली ट्रेन संख्या ३ बी० के० का मेल रात में १२ बज कर ५८ मिनट पर छूटने वाली केन्द्रीय रेलवे ट्रेन संख्या ३८९ से नहीं होता है । इस परिस्थिति में प्रबन्ध यह किया गया है कि बिलासपुर आने वाले थ्रू डब्बे को ट्रेन संख्या १ बी० के०

से ले जाया जाय जिस का मेल शाम को ६ बज कर २८ मिनट पर कटनी पहुंच कर ट्रेन संख्या ३८९ से होता है ।

(ग) हां ।

गल्ला वसूली

*८७२. **श्री हेडा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक चावल वाले राज्यों के खाद्य अधिकारियों की, जो बैठक १० नवम्बर १९५३ को हुई थी उस में राज्य की ओर से चावल क्रय करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह कितना है ?

(ख) क्या गल्ला वसूली के सम्बन्ध में पुरानी रीतियों में कोई परिवर्तन किया जायगा ?

(ग) यदि हां, तो वह किस प्रकार का होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) इस बैठक में कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । राज्यों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक आधिक्य वाले राज्य की चावल की फ़सल के भविष्य के सम्बन्ध में वार्ता की गई और यह निश्चित किया गया कि १९५४ में लगभग २० लाख टन चावल प्राप्त किया जा सकेगा । संलग्न विवरण में राज्य क्रमानुसार जितनी फ़सल की आशा की जाती है वह दिया हुआ है ।

(ख) तथा (ग)। अधिकांशत: गल्ला वसूली की वर्तमान प्रणाली के अनुसार ही व्यवहार किया जायगा, कुछ दशाओं को छोड़ कर जिन में वर्तमान प्रणाली के स्थान पर, खुले बाज़ार से क्रय किया जायगा ।

१९५४ की चावल की प्रत्याशित गल्ला वसूली

(हजार टनों में)

आन्ध्र	३००
आसाम	१५०
बिहार	२०
बम्बई	१२०
मध्यप्रदेश	४००
मद्रास	१५०
उड़ीसा	४३०
पंजाब	११५
उत्तर प्रदेश	६०
पश्चिमी बंगाल	६०
हैदराबाद	२५
मैसूर	६०
पेप्सू	५
तिरुवांकुर कोचीन	२५
कुर्ग	२०
विन्ध्य प्रदेश	१५
अन्य	६
	१९६१

नौकरी दफ्तर

*८७८. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान नौकरी दफ्तरों में फैले कथित पक्षपात तथा भ्रष्टाचार की ओर दिलाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही की है ?

(ग) क्या सरकार इन नौकरी दफ्तरों में डाक द्वारा पंजीयन की अनुमति देती है?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) और (ख). जब कभी भी कथित पक्षपात तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन की बड़ी सावधानी से जांच की जाती है और समुचित कार्यवाही की जाती है ।

(ग) जी हां । उन आवेदकों को जो किसी नौकरी दफ्तर से बहुत दूर परन्तु उस के

अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में निवास करते हैं, उस कार्यालय में डाक द्वारा पंजीयन कराने की अनुमति है ।

तार सम्बन्धी सुविधाय

*८७९. **श्री यू० एम० त्रिवेदी** : (क) क्या **संचरण** मंत्री रामपुरा (मध्य भारत) को मनासा तथा नीमच से तार संचरण सेवा के द्वारा न जोड़े जाने के कारण बता सकते हैं ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि मनासा से रामपुरा को, जिन के बीच की दूरी १९ मील है, भेजे गये तारों को पहुंचने में २४ घण्टे लगते हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कारण यह है कि इस के लिए बीस मील लम्बी एक नई लाइन बनानी पड़ेगी और इन दोनों स्थानों के मध्य का संचरण यातायात, जो एक समाचार प्रति दिन से अधिक नहीं है, इस अत्यधिक व्यय के औचित्य का समर्थन नहीं करता है ।

(ख) सामान्यतः नहीं ।

आसाम के स्वायत्तशासी ज़िलों में डाक संचरण

*८८३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आसाम के स्वायत्तशासी ज़िलों में इस समय कार्य कर रहे डाक तथा तार घरों की ज़िलेवार संख्या;

(ख) उक्त क्षेत्रों में डाक तथा तार संचरण सेवाओं को सुधारने तथा उन की संख्या में वृद्धि करने के लिए पंच वर्षीय योजना में किन योजनाओं तथा लक्ष्यों को निश्चित किया गया है;

(ग) इस विभाग में भरती के लिए आदिम जातियों के व्यक्तियों को दी गई सुविधायें तथा रियायतें ; तथा

(घ) आसाम के स्वायत्तशासी ज़िलों के कितने आदिम जातियों के व्यक्तियों को अब तक सेवायुक्त किया गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२]**

(ख) डाक सुविधाओं के विस्तार के लिए आसाम के स्वायत्तशासी ज़िलों को पिछड़े हुए ज़िलों की अनुसूची में रखा गया है । इन क्षेत्रों में खोले जाने वाले प्रत्येक नये डाकखाने के लिए हानि की सामान्य वार्षिक सीमा को ७५० रुपये से बढ़ा कर १००० रुपया कर दिया गया है । डाक ख़ाने वहीं खोले जायेंगे जिन स्थानों की सिफ़ारिश आसाम सरकार करेगी । दो हजार की जन संख्या तथा अन्य किसी डाकखाने की समीपता वैसे सामान्य शर्तें लागू नहीं होंगी । ३१ मार्च, १९५६ तक आसाम के स्वायत्तशासी क्षेत्रों में ६० डाक-खाने खोलने की प्रस्थापना है ।

नये तार घरों को खोलने के लिए कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है । यदि हानि १००० रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हुई तो सभी सब डिवीज़नों (परगनों) तथा तहसील स्थानों में तारघर खोले जायेंगे ।

(ग) सीधी भरती के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में से पांच प्रतिशत स्थान अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित किये गये हैं ।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

ग्लाईडर क्लब

*८८८. **श्री विश्व नाथ रेड्डी** : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश में चल रहे ग्लाईडर क्लबों की संख्या तथा वह कहां स्थित हैं ;

(ख) प्रत्येक को सरकार द्वारा प्रति वर्ष दी गई अर्थ साहाय्य; तथा

(ग) क्या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इन क्लबों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दो; इंडियन ग्लाईडिंग एसोसियेशन पूना तथा दिल्ली ग्लाईडिंग क्लब, नई दिल्ली।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण मैं सदन पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३]**

(ग) यह क्लब प्रारम्भ से ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सहित अधिक से अधिक सदस्यों को भरती करने के प्रयत्न कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अधिक संख्या में आकर्षित करने के लिए विशेष सुविधायें दिये जाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

औषधि अधिनियम

***८९०. श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री औषधि अधिनियम, १९४० को संशोधित करने के लिए विधान पुरः स्थापित करने में देरी होने, चिकित्सा-व्यवसाय से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों की संस्थाओं को बारबार आश्वासन दिये जाने के अनपेक्षभी, के कारण बताने की कृपा करेंगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): औषधि अधिनियम, १९५० के प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य बातें बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की हैं। उन को अन्तिम रूप केवल राज्य सरकारों के परामर्श से ही दिया जा सकता था और इस में काफ़ी समय लगा है। अपेक्षित विधेयक का प्रारूपण किया जा रहा है और आशा की जाती है कि उस विधेयक को संसद् के अगले सत्र में पुरःस्थापित करना संभव होगा।

टिड्डी नियंत्रण

***८९१. सरदार लाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत चार वर्षों में टिड्डी नियंत्रण के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा (१) कीट नाशक द्रव्यों तथा (२) उपकरणों पर किया गया कुल व्यय;

(ख) उपरोक्त कीट नाशक द्रव्यों तथा उपकरणों का कितना प्रतिशत भाग भारत में बनाया गया था और कितना विदेशों से आयात किया गया था; तथा

(ग) उन को भारत में बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही, यदि कोई, की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४४]**

(ख) बेंज़ीन हैक्सा क्लोराइड को, जिसे टिड्डी नियंत्रण में मुख्यतया काम में लाया जाता है, एक आधारभूत विष के रूप में विदेशों से आयात किया जाता है और फिर भारत में उस के विभिन्न प्रतिशतताओं के मिश्रण तैयार किये जाते हैं।

जितने भी उपकरण ख़रीदे गये हैं उन का पांच प्रतिशत भाग भारत में बनाया गया था, शेष को आयात किया गया है।

(ग) भारत सरकार ने डी० डी० टी० बनाने के लिए एक फैक्टरी स्थापित कर दी है। विभिन्न विदेशी कीट नाशकों के देश में बनाये जाने को केवल कीट नाशकों की प्रविधिक श्रेणियों के आयात की अनुमति दे कर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अनेकों भारतीय सार्थों ने कई प्रकार के कीटनाशकों को बनाना प्रारम्भ कर दिया है।

लोडना कोयला खान में हड़ताल

*८९२. { **श्री टी० बी० विट्ठल राव :**
श्री पी० सी० बोस :
श्री के० सुब्रह्मण्यम् :

(क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि लोडना कोयला खान के खनिक १६ नवम्बर, १९५३ से हड़ताल कर रहे हैं और उन की मांग छै दिन के सप्ताह की है ?

(ख) यदि हां तो कितने मज़दूर इस में भाग ले रहे हैं ?

(ग) पांच दिन का सप्ताह कब से चालू किया गया था और इस कमी के किये जाने के क्या कारण हैं ?

(घ) इस झगड़े को निपटाने के लिए प्रादेशिक श्रम आयुक्त द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(ङ) क्या इस कमी के लिए मज़दूरों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई थी ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां, लोडना कोयला खदान कम्पनी लिमिटेड, की बगडिगी खदान के कुछ मज़दूरों ने हड़ताल की हुई है, उन की मांग छै कार्य-दिवस वाले सप्ताह के पुनः लागू किये जाने की है।

(ख) बगडिगी कोयला खदान के ११७८ मज़दूरों में से ३१४ मज़दूर १६ नवम्बर १९५३ से हड़ताल कर रहे हैं और १९ नवम्बर को उन की संख्या बढ़ कर ४१० हो गई थी।

(ग) पांच-दिवस वाला सप्ताह मई १९५३ के अन्त में लागू किया गया था। कोयले के उत्पादन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले कोयला पर्षद् के आदेश के परिणामस्वरूप खदान व्यवस्थापकों को ज्ञात हुआ कि वह बहुत से मज़दूरों की छटनी किये बिना कोयला खदान को लाभप्रद रीति से नहीं चला सकते थे। इस छंटनी को, लोडना मज़दूर संघ से परामर्श कर के, जो कि एक अभि स्वीकृत संघ है, पांच-दिवस कार्य सप्ताह प्रणाली को लागू कर के बचाया गया।

(घ) प्रादेशिक श्रम आयुक्त, धनबाद ने दोनों पक्षों के मध्य समझौता कराने की चेष्टा की। परन्तु अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है। वह अब भी झगड़े का निपटारा कराने के प्रयत्न कर रहे हैं।

(ङ) खदान के व्यवस्थापक प्रति सप्ताह एक दिन की बलात छट्टी के लिए मज़दूरों को भुगतान देते हैं तथा उस दिन की उपस्थिति की गणना उन के, सदा की भांति लाभांश प्राप्त करने, वार्षिक छट्टियां पाने, मातृत्व लाभ प्राप्त करने, तथा छट्टी पर जाने की अवस्था में रेल का किराया दिये जाने के लिए की जाती है। मज़दूरों को भी यह मानते हुए कि उन्हों ने पूरे छै दिन कार्य किया है पूरा राशन दिया जाता है। इस प्रबन्ध को अभिस्वीकृत संघ द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

स्टाफ कारें

३८७. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रिमण्डल के मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के लिए कितनी मोटर कारें सरकार द्वारा खरीदी गई हैं ?

(ख) सन् १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में कितनी मोटर कारें स्टाफ कारों की भांति काम में लाई जाने के लिए खरीदी गईं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कोई नहीं।

(ख) सन् १९५१–५२ में कोई नहीं
सन् १९५२–५३ में चार

स्वास्थ्य मंत्री का रूस का दौरा

३८८. **श्री वी० पी० नायर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) सोवियत चिकित्सा के कार्यकरण की स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किये गये "स्थल पर अध्ययन" को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार ने डाक्टरों, नर्सों तथा दाइयों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए समाजवादी सोवियत रूस गणराज्य संघ भेजने की कोई योजना बनाई है; तथा

(ख) सोवियत चिकित्सा की सफलता के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने जो देखा है, (जैसा कि जून १९५३ में माननीय मंत्री द्वारा दी गई एक प्रेस इन्टरव्यू में बताया गया था) उसे ध्यान में रखते हुए क्या पंच वर्षीय योजना में पहले से ही निर्धारित कर दी गई राष्ट्र की स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना में कोई परिवर्तन किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) डाक्टरों, नर्सों तथा दाइयों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ भेजने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) पंच वर्षीय योजना में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं किया गया है। हम समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ में प्रचलित प्रणाली के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं ।

पोषक तत्व

३८९. **श्री वी० पी० नायर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस मंत्रालय के अधीन पोषक तत्व के लिये यदि कुछ कार्य किया गया है, तो क्या; और

(ख) क्या मंत्रालय पोषक तत्व के अभाव के कारण उत्पन्न बीमारियों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित कर रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) पोषक तत्व मुख्यतया राज्य सरकारों का विषय है । अस्तु, स्वास्थ्य मंत्रालय निम्न कार्य करता है :

(१) ऐसे कार्य के लिये राज्यों के स्वास्थ्य विदेशालयों के साथ सम्पर्क रखना ।

(२) जब राज्य टैक्निकल सहायता और परामर्श मांगें, तो उन को सहायता देना ।

(३) राज्य सरकारों के अभिकरणों और मान्य सामाजिक सेवा संघों के द्वारा बाहर से उपहार रूप में प्राप्त होने वाले दूध और अन्य खाद्य सामग्री के यथायोग्य वितरण का प्रबन्ध करना ।

(४) इश्तहारों, और पत्रिकाओं के प्रकाशन, रेडियो पर बातचीत तथा पोषक तत्व प्रदर्शनी में भाग लेने आदि के द्वारा पोषक तत्व सम्बन्धी ज्ञान को फैलाने में सहायता करना ।

(५) अखिल भारतीय आरोग्य शास्त्र तथा लोक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता और पोषक तत्व अनुसन्धान प्रयोगशाला कुनूर में पथ्य के नियमों और पोषक तत्वों के प्रशिक्षण क्रम की व्यवस्था करना ।

(६) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के द्वारा पोषक तत्वों सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य को बढ़ाना ।

(ख) नहीं, परन्तु राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार की जो जानकारी एकत्रित की जाती है, वह समय समय पर मंत्रालय में पहुंच जाती है ।

पूना बेलगांव गाड़ी

३९०. श्री जोकीम आल्वा : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि छोटी लाइन पर पूना से बेलगांव को जो गाड़ी चलती है वह (१) गति, (२) डिब्बों में बैठने के स्थान, (३) जल सुविधा और (४) प्रकाश की दृष्टि से दोषयुक्त है ?

(ख) क्या इस लाइन पर द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिये भोजन करने का प्रबन्ध है ?

(ग) क्या सरकार इन मामलों के विषय में कुछ करने का विचार रखती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री-अलगेशन) : (क) बेलगांव से प्रारम्भ होने वाले अथवा वहां समाप्त होने वाले पूना-हुबली विभाग पर कोई गाड़ी नहीं है। बेलगांव में निम्न गाड़ियां आती जाती हैं :

पूना और बंगलौर के बीच दोनों ओर एक मेल और एक ऐक्सप्रैस गाड़ी । पूना और लोन्दा के बीच दोनों ओर एक यात्री गाड़ी पूना और हुबली के बीच दोनों ओर त्रैसाप्ताहिक ऐक्सप्रस और एक यात्री गाड़ी ।

(१) ऊपर वर्णित गाड़ियां बोझ, इंजन के प्रकार, यात्रा और लोको के लिये मार्ग के आवश्यक, समय वर्तमान इंजनीयरी प्रतिबन्धों आदि को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम संभव गति से चलाई जाती है। इसलिये उनके समस्त चलने के समय को पर्याप्त मात्रा में कम करने का कोई अवसर नहीं ।

(२) यह स्पष्ट नहीं है कि दोषयुक्त गाड़ियों में बैठने के स्थान से क्या अभिप्रेत है। साधारणतया गाड़ियों की बनावट विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त यातायात की आवश्यकता पर आधारित होती है, और इस लिये प्रत्येक गाड़ी में भिन्न होती है ।

(३) गाड़ियों को पानी देने का उचित प्रबन्ध है। निम्न विवरण पत्र यह दर्शाता है कि किन स्टेशनों पर गाड़ियों की ऊपर की टंकियां पुनः भरी जाती हैं ।

स्टेशन	बीच का अन्तर	गाड़ी नम्बर
पूना	८४ मील	९०१, ९०३, ९०४
कोरेगांव	७६ मील	९०५, ९०६, ९१०
मिराज	८६ मील	९०१ से ९०६, ९०९ ९१०, ९३५ और ९३६
बेलगांव		९०२, ९०४, ९०९, ९१०, ९३५ और ९३६।

(४) प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि गाड़ियों की प्रकाश सुविधा के किन विशेष दोषों का निर्देश किया गया है। इस विभाग में गाड़ियों में बिजली को प्रकाश दिया जाता है।

(ख) पूना–बेलगांव विभाग पर सब श्रेणी के यात्रियों के लिये खाने का पर्याप्त और संतोषजनक प्रबन्ध है । उस का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(१) गाड़ी नम्बर ९०५/९०६–(पूना-लोन्दा यात्री गाड़ी) के साथ पूना और बेलगांव के बीच हल्का आहार, काफी, और चाय के लिये एक उप आहार डिब्बा चलता है।

(२) इसी प्रकार पूना और मिराज के बीच गाड़ी नम्बर ९०३/९०४ (पूना-बंगलौर ऐक्सप्रैस) के साथ एक उप आहार डिब्बा चलता है ।

(३) वाथर, मिराज और बेलगांव के स्थानों पर निरामिष आहार गृह स्थापित हैं, जहां खाना, अल्पाहार, काफी और चाय मिल सकती है ।

(४) प्लेट फार्म उप आहार स्टाल इन स्थानों पर हैं :

सासवाद रोड	कारनद
आलन्दी	किरलोसकरवाडी
राजेवाडी	भीलावाडी

जैजूरी	माधव नगर
वाल्हे	मिराज
नीरा	शेदवाल
वाथर	चिकोडी रोड
सतारा रोड	घटप्रभ
कोरेगांव	पच्छपुर
रहिमतपुर	सुलधाल
	बेलगांव

जहां अल्पाहार और मदिरा मिल सकती है।

(ग) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर की दृष्टि से यह प्रश्न ही खड़ा नहीं होता।

गोरखपुर मेल में चोरी

३९१. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर मेल में विगत तीन महीनों में चलती गाड़ी में चोरी की कितनी घटनायें हुई हैं;

(ख) चोरी की कितनी घटनाओं की जांच हुई और कितनी पकड़ी गईं; तथा

(ग) कितने मामलों में चोरों को दण्ड मिला ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री-अलगेशन) : (क) रेलवे के पास अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि पिछले तीन महीनों के बीच गोरखपुर मेल ट्रेन नम्बर ३०१ अप और ३०२ डाऊन पर कोई चोरी की घटना हुई है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

गाड़ियों में अधिक भीड़

३९२. श्री एस० जी० पारिख : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह पता है कि कारखानों में छुट्टियों वाले दिन अहमदाबाद से इधर उधर जाने वाली गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ रहती है ?

(ख) इस भीड़ से सुविधा प्राप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाई करना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री-अलगेशन) : (क) कारखानों में कुछ छुट्टियों वाले दिन अहमदाबाद और मेहसान के बीच गाड़ियों में अवश्य बहुत भीड़ रहती है।

(ख) अधिक भीड़ को कम करने के लिये इस समय निम्न प्रस्ताव सम्मिलित हैं :

(१) अहमदाबाद और मेहसान के बीच मार्ग को दुगना करना ताकि अधिक गाड़ियां चल सकें;

(२) अहमदाबाद में सोने के स्थान में सुविधाओं को बढ़ाना; और

(३) इंजनों और डिब्बों की संख्या में वृद्धि करना।

दिल्ली में नौकरी दफ्तर

३९३. श्री नानादास : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पहली नवम्बर १९५३ को दिल्ली के नौकरी दफ्तरों के चालू रजिस्ट्रों में लिखे हुए अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की संख्या; और

(ख) उन में से कितने घोषित पदों के लिये और कितने अन्य पदों के लिये अभ्यर्थी थे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) नवीनतम संख्या अर्थात् ३०-११-५३ को १,७५८ थी।

(ख) चालू रजिस्टरों में ३०-११-५३ को प्रार्थियों का श्रेणी विभाजन इस प्रकार था :

श्रेणी	(३०-११-५३) को विभिन्न श्रेणियों में पदों के लिये पंजीबद्ध प्रार्थियों की संख्या
१. प्रशासनात्मक, कार्यपालिका, अधीक्षात्मक और उच्च टैक्नीकल	४
२. क्लर्की	१६०
३. टैक्नीशन्ज़	११२
४. अध्यापक	४
५. अकुशल कार्यालय कर्मचारी, चपरासी, दफ्तरी इत्यादि	११७
६. अकुशल मज़दूर	१,३६१
जोड़	१,७५८

शीत-संग्रह डब्बे

*३९४. **श्री वी० पी० नायर:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री (प्रथम पंच वर्षीय योजना के अध्याय २३ की कण्डिका २७) मत्स्य पालन योजना की प्राथमिकताओं की ओर निर्देश करने और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य पालन योजना के अधीन भारतीय रेलों पर शीत संग्रह डब्बे डाले गये हैं, और यदि हां, तो कितने ; और

(ख) भारतीय रेलवे पर इस प्रकार नवीन तैयार किये गये शीत-संग्रह डब्बों में कितनी अतिरिक्त मात्रा में मछलियां रखी जाती हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) इस समय कोई नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक के टिकटों पर चित्र

*३९५. **श्री डी० सी० शर्मा:** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम, जिन के चित्र १५ अगस्त १९४७ के पश्चात जारी किये गये डाक के टिकटों पर छापे गये हैं; और

(ख) इस उद्देश्य के लिये महान पुरुषों का चुनाव करने का क्या आधार था?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर):

(क) १. महात्मा गांधी
२. कबीर दास
३. तुलसी दास
४. मीरा बाई
५. सूरदास
६. ग़ालिब
७. रवीन्द्र नाथ टैगोर

(ख) माहत्मा गांधी के टिकट भारत के राष्ट्र पिता की स्मृति में उन की मत्यु के बाद जारी किये गये थे। अन्य छः टिकट भारत के महान सन्तों, और कवियों की स्मृति में डाक के टिकटों की पहली किश्त के रूप में जारी किये गये थे, जिन्हों ने समय समय पर प्रसिद्धि प्राप्त की।

गुदूर अभ्रक की खानें

३९६. **श्री नानादास:** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभ्रक की खानों के ऐसे मजदूरों की कितनी संख्या है जिन को गुदूर अभ्रक की खान के क्षेत्र में पहनने के लिये हेडमास्कस दिए गए हैं ?

(ख) मज़दूरों को जैक हथौड़े के गरदे और कोलाहल से बचने के लिये किस प्रकार का हेडमास्क दिया जाता है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) तथा (ख). गुदूर क्षेत्र की किसी भी अभ्रक की खान में हेडमास्क नहीं दिया जाता अपितु इस बात के होते हुए भी कि छेद करने वाली मशीनें गीले स्थान पर छेद करती हैं, दो खानों में ड्रिलर (छेद करने वाले लोग) नाक और मुंह के ऊपर वहीं बनी हुई ऊन की गद्दियों का प्रयोग करते हैं।

"बिजली" तार के टिकट

३९७. **श्री भागवत झा :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि डाक तथा तार विभाग ने प्रथम भारतीय "बिजली" तार के टिकटों के स्मारक पत्र जारी किये हैं ?

(ख) यदि ऐसी बात है, तो इन टिकटों का क्या नाम रखा गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां ।

(ख) पत्र पर बिजली के तार के एक पुराने चार आने के टिकट, आठ आने, दस रुपये, ढाई रुपये और पचास रुपये के तार के टिकटों के चिह्न अंकित हैं । प्रत्येक पत्र का मूल्य एक रुपया रखा गया है ।

अहमदाबाद-कालोल शाखा पर दुर्घटना

३९८. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १४ अक्तूबर, १९५३ को पश्चिमी रेलवे की अहमदाबाद–कालोल शाखा पर बेचरजा के स्थान पर कोई दुर्घटना हुई थी ?

(ख) कितने व्यक्ति मर गये या घायल हुए ?

(ग) दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां । १४ अक्तूबर, १९५३ को लगभग साढ़े आठ बजे शाम कालोल–चनास्मा छोटी लाइन शाखा पर रांतेज और बेचराजी स्टेशनों के बीच नं० ४३५ अप मिक्सड ट्रेन (मिश्रित गाड़ी) पटरी से नीचे गिरी ।

(ख) दो व्यक्ति मर गये और चार घायल हुए ।

(ग) प्रत्यक्ष रूप से तो दुर्घटना का कारण यह था कि इंजन का टेंडर, ब्रेक सम्बन्धी पुल राड (डंडे) के ऊपर चढ़ गया और यह राड जुदा हो गया और मोड़ पर मुख्य पटरी तथा सहायक पटरी के बीच फंस गया जिस के फलस्वरूप टेंडर तथा उसके पीछे वाले डिब्बे पटरी से गिर गये ।

हैदराबाद की सोने की खानें

३९९. **श्री टी० बी० पिटठ्ल राव** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १३ फुट की लम्बाई और ९ फुट की चौड़ाई वाले एक क्वार्टर में हैदराबाद के सोना खान समवाय के पांच श्रमिक रहते हैं ;

(ख) वहां कितने क्वार्टर हैं ;

(ग) समवाय उन श्रमिकों को निवास स्थान देने के विषय में क्या प्रबन्ध करने का विचार कर रहा है जिन्हें क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी नहीं । इस प्रकार का एक क्वार्टर एक श्रमिक को दिया गया है ।

(ख) ४२५ ।

(ग) ३१ अक्तूबर, १९५३ को श्रमिकों की कुल संख्या ११९५ थी । इन में से ५६० स्थानीय श्रमिक हैं जो आस पास के ग्रामों में अपने घरों में रहते हैं । अतः जिन श्रमिकों को क्वार्टर चाहियें उन की संख्या ६३५ है । समवाय का विचार २०० और गृह बनाने का है और इस सम्बन्ध में उन्हों ने भारत सरकार से औद्योगिक श्रमिक सम्बन्धी सहायता-प्राप्त गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत सहायता तथा उधार की मांग की है । सरकार ने हैदराबाद सोना खान समवाय को उक्त योजना की सुविधायें देना स्वीकार किया है ।

नये डाकघर

४००. **श्री बुच्चिकोटैय्या :** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में जो नये डाक घर खोले जाने का विचार है उन की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) इन में से अब तक खोले गये डाकघरों की संख्या क्या है; तथा

(ग) ऐसे तालुका हेडक्वार्टरों की संख्या क्या है जहां अब तक तारघर की सुविधायें नहीं हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४५]**

(ग) ४२४ ।

बारूद के गोलों की चोरी

४०१. **श्री बीरबल सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के दुर्गापुर और उखेरिया स्टेशनों के बीच १६ बारूद के गोले गायब हो गये हैं;

(ख) यदि यह सत्य है तो वे किस प्रकार गायब हो गये हैं; तथा

(ग) क्या इस विषय में कुछ जांच की जा रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री-अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह बारूद के गोले कुछ बदमाशों ने उस डिब्बे के फर्श में छेद कर के जिस में यह रखे थे, चोरी किये ।

(ग) हां, श्रीमान्, सरकारी रेलवे पुलिस इस मामले की जांच कर रही है ।

मीन-क्षेत्र

४०२. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा के रुद्रसागर के मीन-क्षेत्रों में १९५१, १९५२ तथा १९५३ में कितनी धन राशि लगाई गई;

(ख) इस कार्य पर कितने व्यक्ति लगाये गये; तथा

(ग) १९५१ से १९५३ तक कितना वार्षिक लाभ हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :

(क)	१९५१	४४,०६३ रु० १५ आने
	१९५२	११,०२७ रु० ८ आने
	१९५३	१२,००० रु०
(ख)	१९५१	४०० रु०
	१९५२	६००
	१९५३	६००
(ग)	१९५१	२५,१२८रु. ३ आ. ६ पा.
	१९५२	३,६९४ रु. १० आ. ३ पा.
	१९५३	अभी परिगणित नहीं किया गया है ।

सड़कें

४०३. **श्री भीखाभाई :** क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५० से अब तक प्रत्येक भाग 'ग' राज्य में कितने कितने मील की सड़कें बनाई गई हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जानकारी एक विवरण में दी गई है जो संलग्न है ।

विवरण

१ अप्रेल, १९५० से अब तक प्रत्येक भाग 'ग' राज्य में बनाई गई सड़कें:

संख्या	राज्य का नाम	कितने मील की नई सड़कें बनाई गई हैं
१.	अजमेर	२१
२.	भोपाल	७३
३.	विलासपुर	१९०*
४.	दिल्ली	४१
५.	हिमाचल प्रदेश	८४४*
६.	कच्छ	२०३
७.	मनीपुर	२६
८.	त्रिपुरा	२८५
९.	विन्ध्य प्रदेश	१३९
	कुल	१८२२

*इनमें अधिकतर २ फुट तथा ४ फुट की पटरियां शामिल हैं ।

राजस्थान में डाक पहुंचाना

४०४. **श्री भीखा भाई :** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में वह कौन से स्थान हैं जहां की डाक ठेकेदारों द्वारा पहुंचाई जाती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : राजस्थान सर्किल के उन ३१ नगरों तथा ग्रामों की सूची सदन-पटल पर रखी जाती है जहां डाक ठेकेदारों द्वारा पहुंचाई जाती है।

बाबतपुर हवाई अड्डा

४०५. **श्री गणपति राम :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बनारस के बाबतपुर हवाई अड्डे में कारमी ग्राम के निकट की जंगले की तार हटा कर दूसरे स्थान पर ली जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो यह पहली सीमा से कितने गज़ दूर ली जानी है ?

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रयोजन से टेंडर बुलाये गये थे ?

(घ) क्या किसी ठेकेदार को ठेका दिया गया है; यदि हां तो कितने का ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) से (घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

"कनवेयर" विमान

४०६. **श्री बादशीह गुप्त :** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में जो नये "कनवेयर" विमान सी० वी०–३४० आ रहे हैं, उन का मूल्य क्या है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : रेडियो तथा आटो–पाइलट (स्वयं–चालक) सहित एक "कनवेयर" सी० वी०—३४० विमान का मूल्य लगभग ३१,००,००० रुपये है।

शुक्रवार,
११ दिसंबर, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार, ११ दिसम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन।

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२-३० म० प०

निरसन तथा संशोधन विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा :

"कि कतिपय विधानों का निरसन करने तथा कतिपय अन्य विधानों में संशोधन करने के लिये एक विधेयक पर, जैसा कि वह राज्य-परिषद द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाये।"

संशोधनों से, विशेषकर श्री वी० पी० नायर द्वारा रखे गये संशोधन संख्या २ तथा ३ से, यह पता चलता है कि शायद इस विधेयक के अभिप्राय और विस्तार के बारे में कुछ गलतफहमियां हैं। जैसा कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताया गया है, यह विधेयक केवल उन विधानों से सम्बन्ध रखता है जो अब प्रभावी नहीं रहे हैं या जो अप्रचलित हो गये हैं या जिनका पृथक् अधिनियमों के रूप में आगे बनाये रखा जाना

अनावश्यक है। श्री नायर ने जो संशोधन रखे हैं वे इस विधेयक के क्षेत्र के बाहर हैं। वह कुछ ऐसे उपबन्धों को निकलवाना चाहते हैं जो अभी हाल ही में बनाये गये। हां, नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, १८७६ के विषय में तो मैं अवश्य माननीय विधि मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह अधिनियम अब भी लागू है।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : नाट्य प्रदर्शन अधिनियम ऐसे नाट्य प्रदर्शनों के सम्बन्ध में है जो आपवादिक, आक्षेपपूर्ण या अशिष्ट समझे जायें। इस प्रकार के नाटकों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी समझा जाता है। यद्यपि यह अधिनियम १८७६ में पारित हुआ था, तथापि यह अब भी लागू है और उसकी आज भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि पहले थी। जैसा कि आपने अन्य दो संशोधनों के विषय में कहा, यह संशोधन भी प्रस्तुत विधेयक के क्षेत्र के परे है। जैसा कि विधेयक के पूरे नाम में कहा गया है, यह विधेयक "कतिपय विधानों तथा कतिपय अन्य विधानों" के ..... सम्बन्ध में है। इस पदावली का निर्देश कुछ विशिष्ट विधानों से है जो तीन सूचियों में उल्लिखित हैं। इनके अतिरिक्त और किसी विधान पर चर्चा नहीं की जा सकती। यदि ये संशोधन नियमानुकूल ठहरा दिये गये तो उस दशा में व्यवहार प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता या निवारक निरोध अधिनियम का निरसन करने के संशोधन भी रखे जा सकते हैं! परन्तु वास्तव में ऐसा

[श्री बिस्वास]

नहीं हो सकता । इस सूची में विभिन्न अधिनियमों के शामिल किये जाने या शामिल न किये जाने का फैसला केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच पूर्ण परामर्श के बाद ही किया गया है । इसलिये इस सूची में अनायास ही कोई अधिनियम विशेष शामिल नहीं किया जा सकता । इन निरसन तथा संशोधन अधिनियमों का उद्देश्य अप्रचलित विषयों को रद्द करना, बेकार चीज़ों को निकालना तथा असंगत विधानों को समाप्त करना होता है । प्रस्तुत संशोधनों से इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं होती । यह विषय अप्रचलित नहीं है ; हो सकता है, पुराना हो ; परन्तु यह आज भी उसी तरह प्रचलित है जितना कि पहले था ।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : माननीय विधि मंत्री ने जो कुछ कहा है उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि "जिनका पृथक अधिनियमों के रूप में रखा जाना अनावश्यक है उनका निरसन किया जाये" । अतः सदस्य यह कह सकते हैं कि किसी विधान का रखा जाना अनावश्यक है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी राय में इस अवस्था पर अन्य विधानों के गुणावगुणों पर चर्चा करना उचित नहीं होगा ।

श्री वी० पी० नायर : तो क्या आपका यह निर्णय है कि हम किसी ऐसी चीज़ पर भी न बोलें जो किसी ऐसे कानून से सम्बन्ध रखती है जो अब भी लागू है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत विधेयक का क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट है । मैं नहीं समझता कि इस विषय पर अब कोई चर्चा करने की आवश्यकता है ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा ख्याल है कि प्रस्ताव पर विचार की अवस्था पर सदस्य यह सुझाव दे सकते हैं कि कुछ और विधान इस सूची में शामिल किये जाने चाहियें थे ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मैं ऐसा नहीं समझता यदि यह सुझाव देना ही है तो उचित तरीका यह होगा कि माननीय विधि मंत्री से अलग विचार-विमर्श कर लिया जाये, न कि यह कि सदन में चर्चा करके समय नष्ट किया जाये ।

श्री वी० पी० नायर : दूसरा और तीसरा संशोधन एक ऐसा टेकनिकल दोष दूर करने के लिये अभिप्रेत है जो संविधान के प्रतिकूल है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इसकी कोई गुंजाइश है ।

श्री वी० पी० नायर : दो उपबन्ध, एक व्यवहार प्रक्रिया संहिता में और एक दंड प्रक्रिया संहिता में .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क न करें । मैं उस उपबन्ध को देख चुका हूं । इस प्रकार के विधेयक पर वाद विवाद की व्यावहारिक रूप से कोई गुंजाइश नहीं है—यद्यपि पारिभाषिक रूप से हो सकता है । यदि वह अनुसूची में उल्लिखित किसी विधान के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, तब तो वह संक्षेप में कह सकते हैं, अन्यथा नहीं । यदि हम प्रस्तुत विधेयक पर चर्चा की कोई सीमा निर्धारित नहीं करते हैं तो उस दशा में सभी विधानों पर चर्चा के लिये कहा जा सकेगा और इस प्रकार एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

श्री वी० पी० नायर : यद्यपि अनुसूची से यह प्रतीत होता है कि माननीय विधि-मंत्री ने सन् १८७६ से पारित हुए कानूनों की जांच की है परन्तु वह इस दमनकारी कानून को छोड़ गये ।

अध्यक्ष महोदय : अब किसी वाद-विवाद की जरूरत नहीं है ।

श्री बिस्वास : माननीय सदस्य मुझे ऐसे अधिनियमों की सूची दे दें जिनका कि वह निरसन चाहते हैं। मैं उस पर विचार करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बात है। श्री केलप्पन।

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : पहली अनुसूची से पता चलता है कि बेसल मिशन ट्रेडिंग कम्पनी अधिनियम, १९२० का भी निरसन किया जा रहा है। यह अधिनियम कतिपय सौदों को मान्य करने के लिये पारित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् बेसल मिशन ट्रेडिंग कम्पनी की मालाबार तट पर स्थित सम्पति भारत सरकार द्वारा शत्रु सम्पति के रूप में जब्त कर ली गई थी और शत्रु सम्पति के अभिरक्षक को सौंप दी गई थी। अभिरक्षक ने यह सम्पति अच्छे प्रबन्ध के लिये एक न्यास (ट्रस्ट) को सौंप दी। व्यावहारिक रूप से इस न्यास को एक सरकारी निकाय ही समझा जा सकता है क्योंकि इसमें लघुवाद न्यायालय के एक न्यायाधीश थे और राजस्व बोर्ड के सचिव इस के अध्यक्ष थे। जैसा कि दूसरी अनुसूची में कहा गया है, यह सम्पति एक इंगलैण्ड में रजिस्टर्ड कम्पनी, कामनवैल्थ ट्रस्ट लिमिटेड, को हस्तान्तरित कर दी गई है। मैं नहीं कह सकता कि इस प्रकार की अवैध सौदा इस प्रकार के किसी विधान द्वारा मान्य किया जा सकता था या नहीं। यदि इसके विरुद्ध न्यायालय में आपत्ति की जा सकती थी तो फिर इस अधिनियम का निरसन करने की ही क्या आवश्यकता थी? इसके विपरीत, ऐसा करके तो आप न्यायालय में इसकी मान्यता पर आपत्ति करने का अवसर ही खो देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समय हमारा ताल्लुक इस बात से नहीं है कि बेसल मिशन ट्रेडिंग कम्पनी अधिनियम अधिकार के अन्तर्गत है या अधिकार के बाहर शायद उन्हें यह भय है कि यदि यह अधिनियम निरसित कर दिया गया तो न्यायालय में यह चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि यह अधिनियम शुरू से ही शक्तिपरस्तात् है। परन्तु यहां हमारा ताल्लुक सौदे के मान्य या अमान्य होने से नहीं है। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि इस सम्बन्ध में प्रश्न के गुणावगुणों पर चर्चा करना असंगत होगा।

श्री केलप्पन : मुझे शक यह है कि क्या इस अधिनियम के निरसन के बाद भी इसकी मान्यता को किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी?

अध्यक्ष महोदय : किसकी मान्यता को?

श्री केलप्पन : बेसल मिशन ट्रेडिंग कम्पनी अधिनियम की मान्यता को, जिसने न्यासधारियों द्वारा किये गये कुछ सौदों को मान्य कर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : वर्तमान अधिनियम में उस सौदे को मान्य करने की अपेक्षा है जो उस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया था। यदि वह सौदा उस अधिनियम के अन्तर्गत ही वैध नहीं था, तो इस प्रतिवादक वाक्यांश में जो कुछ कहा गया है उससे वह चीज़ मान्य नहीं हो सकती जो शुरू से ही अमान्य थी।

श्री केलप्पन : यह अधिनियम वास्तव में कतिपय संदिग्ध सौदों को मान्य करने के लिये बनाया गया था। यदि वर्तमान विधेयक का प्रभाव उन सौदों पर नहीं पड़ता और यदि बाद में उन सौदों की वैधानिकता पर किसी न्यायालय में आपत्ति की जाय तो क्या मूल अधिनियम के निरसन के बाद भी यह आपत्ति न्यायोचित होगी? अब वह सम्पत्ति कामनवैल्थ ट्रस्ट के अधिकार में है।

अतः मेरा कहना यह है कि यह अधिनियम इस अनुसूची में न रखा जाये ताकि बाद में सक्षम अधिकारी इस पर विचार कर सकें।

[श्री केलप्पन]

इस अधिनियम विशेष का निरसन करने की क्या जल्दी है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री बिस्वास : मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं कि ऐसा क्यों किया गया—मेरा आशय १८८१ के बाकी विधि अधिनियम से है । परन्तु मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन दे सकता हूं कि इस में कोई भी ऐसा अधिनियम शामिल नहीं किया गया है जिसे प्रचलित रखना आवश्यक था । बेसल मिशन अधिनियम को ही लीजिये जिसका कि मेरे मित्र ने उल्लेख किया है । इस मिशन द्वारा जिन सम्पतियों का प्रबन्ध कार्य सम्भाला जाता था वह दूसरे लोगों को स्थानान्तरित की गई हैं । यह मिशन अब काम नहीं कर रहा है । सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात इस अधिनियम के निरसन का फैसला किया गया है । जहां तक बाकी विधि अधिनियम का सम्बन्ध है, किसी भी राज्य ने इसके निरसन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठाई है । कम से कम फाइल को देखने से यही कुछ पता चलता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात १९२० में हुई थी तथा इस समय हम बेसल मिशन अधिनियम की बात कर रहे हैं । क्या अब यह कहा जाता है कि इस अधिनियम की मान्यता शक्ति-परस्तात थी तथा इसे अब केवल इसलिये यथावत रखना चाहिये कि लोग इसके अन्तर्गत किये गये सौदों की मान्यता को चुनौती दे सकें ?

श्री बिस्वास : जो भी अधिकार अथवा आयोग्यताएं प्राप्त हुई हैं, वह तो विद्यमान हैं । वह सामान्य खंड अधिनियम तथा बचत संबंधी खंड के अन्तर्गत आ जाती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि इस अधिनियम के निरसन से एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जिस में कि कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत हुए किसी सौदे की मान्यता को चुनौती देना चाहता हो ऐसा नहीं कर सकता है ।

श्री बिस्वास : इस उद्देश्य के लिये इस कानून को प्रचलित रखने की कोई आवश्यकता नहीं । मान लीजिये कि किसी व्यक्ति को किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई हक्क प्राप्त हुआ हो तथा दूसरा कोई व्यक्ति पचास अथवा सौ वर्ष के बाद उस हक्क की मान्यता को चुनौती देना चाहता हो तो उसकी सफलता अथवा असफलता इस बात पर निर्भर नहीं है कि क्या वह अधिनियम इस समय भी प्रचलित है

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : पटना उच्च न्यायालय ने इस बात के सम्बन्ध में अपना निर्णय दिया है । बिहार जागीर प्रबन्ध अधिनियम के सम्बन्ध में इसका निर्णय यह था कि इसका निरसन अथवा इसका प्रचलित होना इसकी मूल वैधता अथवा अवैधता पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है । यदि वह अधिनियम अवैध है तो उसके अन्तर्गत की गई कोई भी कार्यवाही अवैध है ।

अध्यक्ष महोदय : इस से स्थिति स्पष्ट हो जाती है ।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडे) : खंड से सम्बन्धित टिप्पणी में दिल्ली सड़क यातायात प्राधिकार तथा वायदा सौदा विनियम अधिनियम का ज़िक्र आया है । इस बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं .....

श्री बिस्वास : मुझे खेद है । वास्तव में इन दो मदों को हटाया जाना चाहिये था । जब यह विधेयक राज्य-परिषद में प्रस्तुत किया गया तो इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया था कि इन से विवादस्पद प्रश्न उत्पन्न होते हैं तथा इसके लिये अलग कानून होने चाहिये । इन मदों को हटा लिया गया । एक

के सम्बन्ध में एक अलग अधिनियम पास किया गया है तथा दूसरा अभी पास नहीं किया गया है। अनुसूची में यह मदें नहीं दी गई हैं, केवल खंडों से सम्बन्धित टिप्पणी में इनका जिक्र आया है। स्पष्टत: खंडों से सम्बन्धित टिप्पणी का संशोधन नहीं किया गया है, परन्तु इन्हें हटाया जाना चाहिये था।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, मैं प्रक्रिया नियमों के नियम १६ के अन्तर्गत इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं। मैं ऐसे तर्क देना चाहता हूं जिन के आधार पर कि सदन को यह विधेयक रद्द करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप बोलते बोलते सीमा का उल्लंघन कर गये तो मैं आगे बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री वी० पी० नायर : तथास्तु। कल मंत्री जी ने बताया कि यह एक औपचारिक विधेयक है। ऐसे मामलों में उन्हें संविधि पुस्तक का अध्ययन करके यह देखना चाहिये था कि कौन से कानून हटाये जाने चाहियें। व्यवहार-प्रक्रिया संहिता तथा दंड-प्रक्रिया संहित में इस समय कई ऐसे कानून हैं जो कि संविधान के अनुच्छेदों के प्रतिकूल हैं। अभी भूतपूर्व नरेशों के अधिकारों को ही लीजिये ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति मैं आपको आगे बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। इस प्रश्न पर बहुत चर्चा हुई है। इस पर बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं। मैं अब प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूं।

उल्लिखित विधेयक से सम्बन्धित विचार प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैंने समस्त संशोधन अनियमित ठहराये हैं।

प्रश्न यह है कि :

"२ से लेकर ५ तक के सभी खंड तथा प्रथम, दूसरी और तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

२ से लेकर ५ तक के सभी खंड तथा प्रथम, दूसरी तथा तीसरी अनुसूची विधेयक के अंग बना लिये गये।

खंड १, शीर्षक तथा अधिनियमन सूत्र भी यथोचित रूप से विधेयक के अंग बना लिये गये।

श्री बिस्वास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह विधेयक पास किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"यह विधेयक पास किया जाये"

श्री के० के० बसु : सामान्यत: हमें इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए था क्योंकि यह आवश्यक है कि यदि कोई कानून बेकार हो जाये तो उसे संविधि पुस्तक से हटा लिया जाना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश कुछेक बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा करने के लिये तत्पर नहीं।

संविधान के अन्तर्गत निर्वाचित प्रथम संसद का अभी डेढ़ वर्ष भी नहीं होने पाया है कि इस प्रकार का दूसरा विधेयक प्रस्तुत किया गया है। हमें आशा थी कि संविधान के पास होने के तुरन्त बाद ही सरकार एक विधि आयोग स्थापित करेगी जो कि कुछ विधानों पर पुनर्विचार करता तथा.....

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति। मैं इस प्रकार का तर्क पेश करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। माननीय सदस्य देश की सम्पूर्ण विधि-व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांगकर रहे हैं। वर्तमान विधेयक

[अध्यक्ष महोदय]

का सम्बन्ध कुछ बिल्कुल बेकार कानूनों को हटाने से है तथा इस बड़े प्रश्न से नहीं। यह मांग किसी और अवसर पर की जा सकती है इस समय नहीं। अब मैं प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"यह विधेयक पास किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सार्वजनिक निगमों पर संसदीय नियंत्रण

अध्यक्ष महोदय : हम ३ बज कर ५० मिनट तक इस पर चर्चा करेंगे। चार बजे दूसरे विषय पर विचार शुरू होगा। डा० कृष्णास्वामी।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

डा० कृष्णस्वामी : राष्ट्रीकृत उद्योग पर संसदीय नियंत्रण का विषय एक महत्व पूर्ण विषय है। सर विन्स्टन चर्चिल के शब्दों में इस पर पार्टीबाजी के दृष्टिकोण से विचार नहीं होना चाहिए, बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि यह काम उत्तम ढंग से कैसे हो सकेगा।

वित्त मंत्री जी ने कल इस सम्बन्ध में एक संसदीय समिति नियुक्त करने की प्रस्थापना का विरोध किया तथा इसकी उपयोगिता पर संदेह प्रकट किया। परन्तु राष्ट्रीकृत उद्योगों में हुई हाल ही की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे दिल में आशंका उत्पन्न हो रही है। डाक तथा तार जैसे राष्ट्रीकृत उपक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में संसद पूर्ण जांच कर सकती है। परन्तु निगमों तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों द्वारा जो उद्योग चलाये जाते हैं उन पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं है। जहां तक लोक लेखा समिति अथवा प्राक्कलन समिति का सम्बन्ध है, वह सविस्तार इन प्रश्नों पर विचार करने में असमर्थ है। प्राक्कलन समिति वर्ष भर में ज्यादा से ज्यादा एक मंत्रालय का निरीक्षण कर सकती हैं। लोक लेखा समिति केवल प्रशासन नियंत्रण की दृष्टि से इनका परीक्षण करती है। हम लोक लेखा समिति के अलावा इस परीक्षण के लिये एक संसदीय समिति चाहते हैं जो कि निगमों के कार्य संचालन के सम्बन्ध में जांच करे।

यह सदन इन उपक्रमों के लिये बड़ी बड़ी धनराशियां मंजूर करता है तथा यह देखना हमारा अधिकार है कि वह धन किस तरह से व्यय किया जाता है। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने इस आशय की सिफारिश की है तो उन्होंने कोई अनुचित बात नहीं की है।

मंत्री जी ने बताया कि इन में से कुछ प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां आपाती कार्य-वाही के रूप में स्थापित की गई है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इन्हें प्रारम्भिक अवस्था पर ही प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां बनाना आवश्यक था? सरकार ने इनमें धन लगा कर एक तरह से इनके अंश खरीदे हैं तथा नियंत्रक लेखा महा परीक्षक का यह अधिकार है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या यह धन मुनासिब तरीके से खर्च किया जाता है।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : वह इस समय ऐसा करते हैं।

डा० कृष्णस्वामी : मैं सिन्दरी की बात कह रहा हूं। हमें इसे प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी नहीं बनाना चाहिए था।

श्री के० सी० रेड्डी: प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के सम्बन्ध में भी नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक लेखों की जांच करता है। सिन्दरी कम्पनी तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड

के सम्बन्ध में ऐसा लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक द्वारा होता है। इस प्रकार का उपबन्ध इन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के सम्बन्धी अनुच्छेदों में भी रखा गया है।

डा० कृष्णस्वामी : परन्तु यह रिपोर्ट संसद में पेश नहीं की जाती है। यह एक आवश्यक बात है जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री के० सी० रेड्डी : यह फैसला करना नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम है कि वह क्या कार्यवाही करना चाहता है।

डा० कृष्णवास्मी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार जब कि हम प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी स्थापित करते हैं तथा सरकारी पैसा इसमें लगाते हैं तो स्पष्टतः इस सम्बन्ध में हमें दूसरे प्रकार के नियम भी बनाने चाहिए। उदाहरणतः लेखों की जांच का काम एक चार्टर्ड एकाऊंटेंट को दिया जा सकता है, क्योंकि व्यवसायिक फर्मों का संचालन निस्सन्देह सरकारी विभागों के संचालन से भिन्न होता है। मैं ने यह बात केवल इसलिये कही कि हम इस मामले पर अधिक स्पष्ट रूप से विचार कर सकें। यदि सरकार द्वारा कोई प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी स्थापित की जाये। तो इस कम्पनी को शेयर बाज़ार में आकर धन प्राप्त करना चाहिए तथा उसे अपने लेखे आदि एक चार्टर्ड एकाऊंटेंट को पेश करने चाहिए। इस के बाद एक संसदीय समिति द्वारा इस पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मंत्री जी ने बताया कि बड़े बड़े व्यवसायिक तथा औद्योगिक उपक्रमों को सक्षम रूप से चलाने के लिये इन निगमों आदि को स्वायतशासी रखा जाना चाहिए। परन्तु इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन उपक्रमों में से जिनमें कुछ सरकारी अधिकारी डायरेक्टरों के रूप में काम करते हैं। उनको सरकार की ओर से अनुदेश दिये जाते हैं जिनका कि पालन कराया जाता है। उन के इस कथन से यह बात स्पष्ट है कि यह संस्थायें उतनी स्वायतशासी नहीं जितना कि हमें बताया जाता है। दूसरे शब्दों में शासन को हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता रहता है। शासन के अनुदेश कई बार लोक हित में न हों। मैं निवेदन करता हूं कि यह एक गलत सिद्धान्त है कि हम उचित वित्तीय नियंत्रण को लागू करने के विषय में केवल सरकारी अनुदेशों पर निर्भर रहें। हमें सरकारी अनुदेशों का क्षेत्र सीमित रखना होगा। विशेषकर ऐसे निगमों के सम्बन्ध में जहां कि संचालक बोर्ड में सरकारी अधिकारी हों।

यह ठीक है कि यह निगम अपनी वार्षिक रिपोर्टें संसद को पेश करते हैं। परन्तु जहां तक संसदीय नियंत्रण का सम्बन्ध है इनका महत्व क्या है? संसद में यह रिपोर्टें कभी कभी पार्टीबाजी का विषय बन जाती हैं। लोगों को यह मालूम नहीं पड़ता है कि क्या वह ऐसे किसी निगम की आलोचना करते हैं अथवा मंत्रालय की। इस तरह से सारा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। वार्षिक रिपोर्टों पर अनिश्चित रूप से चर्चा करके हम किसी बड़े उद्योग की कार्यक्षमता तथा प्रगति पर विचार नहीं कर सकते हैं।

यह बड़ी बड़ी संस्थायें हैं जिन्हें कि एक प्रकार का एकाधिपत्य प्राप्त है। इस कारण से इन पर सार्वजनिक नियंत्रण रखना और भी आवश्यक है ताकि यह लोक हित के लिये काम करती रहें। अब प्रश्न यह है कि लोक हित की देखरेख कौन अच्छी तरह कर सकता है? संसद अथवा मंत्री मंडल? मैं समझता कि संसद ही इसकी दावेदार है।

[डा० कृष्णस्वामी]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी ऐसी संस्था की कार्य क्षमता उपयोगिता आदि के सम्बन्ध में संसद ही का फैसला अन्तिम हो सकता है । जनता भी यह चाहती है कि संसद इन मामलों में दिलचस्पी ले । एक संसदीय समिति, जिसके विचार विषय स्पष्ट हों, नीति के सम्बन्ध में तथा नियोजक और कामकरों के आपसी सम्बन्धों के बारे में विभिन्न विषयों पर विचार कर सकती है ।

अतः शीघ्र ही एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए और उस समिति का काम केवल पीछे से शव-परीक्षा करना ही न होना चाहिए । बड़ोदा के माननीय मित्र के शब्दों में हम व्यापारियों जैसी कार्य-दक्षता चाहते हैं, पर हम अपने उपक्रम उस रूप में नहीं चलाना चाहते । हम चाहते हैं कि हमारे पैसे का पूरा सदुपयोग हो । माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय करण के इस आरंभिक युग में हम अंधेरे में मार्ग खोज रहे हैं । उनसे मेरा निवेदन है कि यही समय है जब हम संसदीय समिति नियुक्त कर दें, जो इनकी कार्यदक्षता पर ध्यान रखे और बाद में अर्जित अनुभव के आधार पर हम यह नियंत्रण ढीला कर सकते हैं । संसद के प्रति इनका सीधा उत्तर-दायित्व निश्चित कर देने के बाद ही अन्य प्रश्न उठ सकेंगे । राष्ट्रीकृत निगमों के विषय में संसदीय समिति का सम्बन्ध केवल आय-व्ययक से रहे । लोगों को सस्ते मूल्य में उर्वरक बेचने की आवश्यकता की दृष्टि में सिन्दरी जैसे उपक्रमों में हमें घाटे से संतोष करना पड़ेगा । पर इस घाटे का निश्चय संसद् भली भांति कर सकेगी और वह समिति हमें सार्थक सुझाव देगी तथा संसदीय चर्चा और मंत्रालय को दिये गये सुझाव विशेषज्ञों के परामर्श से अनुप्राणित रहेंगे । वे आज की भांति अस्पष्ट और साधारण न रहेंगे ।

इसे उनकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता । आज जानकारी न होने से हम उनके विषय में प्रश्न भी नहीं रख पाते, परन्तु जब वे संसद के प्रति उत्तरदायी हो जायेंगे, तो हम उनसे सम्बन्धित सार्थक प्रश्न पूछ सकेंगे, और जनसाधारण भी, जिनके प्रति हम उत्तरदायी हैं, यह जान सकेंग कि इस विशाल लोक सभा में कुछ महत्वपूर्ण काम हो रहा है ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : दामोदर घाटी निगम और सिन्दरी फैक्टरी के उद्-घाटन से प्रमुख रूप में सम्बन्धित रहने के कारण मेरे विचार से मैं इस सम्बन्ध में अधिकार पूर्वक कुछ कह सकता हूं । सरकार यह नहीं चाहती कि सिन्दरी और विशाखापटनम् आदि जैसे उपक्रमों के ऊपर संसदीय नियन्त्रण न रहे, पर प्रश्न यह है कि उस नियन्त्रण का क्षेत्र क्या हो ? क्या मांग यह है कि छोटी से छोटी योजना और मशीनों के छोटे से छोटे पुरजों या सरकार द्वारा किये जाने वाले सम-झौतों की एक-एक बात पर संसद का नियन्त्रण रहे ?

सभापति महोदय : मैं इस चर्चा को ४ बजे समाप्त करना चाहता हूं और ३-५० म० प० पर माननीय वित्त मंत्री को बुलाऊंगा अतः माननीय सदस्य दस मिनट से अधिक न लें ।

श्री गाडगील : तो क्या इसमें सब सहमत हैं कि छोटे छोटे विवरण सदन की चर्चा के विषय न बनें ? डा० कृष्णास्वामी द्वारा कही गई यह बात ठीक नहीं है कि मंत्री दलगत रूप में इसका बचाव करते हैं । संसदीय प्रजातन्त्र में सब कुछ तत्कालीन सरकार अपने उत्तर-दायित्व पर करती है और सन्तोष न होने पर संसद या जनता सरकार को बदल सकती है । पूंजी सम्बन्धी आयव्ययक और वित्त विधेयक की चर्चा के समय संसद को पूरा

अवसर मिलता है। यह ठीक है कि उस समय विशिष्ट आलोचना नहीं हो सकती, पर वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन पटल पर रखे जाते हैं। दा० घा० निगम के वार्षिक प्रतिवेदनों से मैं तीन वर्ष तक संबद्ध रहा हूं और सदन में अनेकों बातें उठाई गई हैं, परन्तु अन्त में सदन को पूरा सन्तोष होता रहा है।

डा० लंका सुन्दरम् द्वारा सुझाई गई समिति अन्य संसदीय समितियों की ही भान्ति होगी। क्या वह हस्तक्षेप करेगी और दीर्घ-कालीन उपाय सुझाएगी या केवल बचत की ही दृष्टि से कार्यदक्षता के आदर्श रखेगी ? किसी राजदूतावास को कम व्यय करने पर नहीं बल्कि दूसरे देश से सत्संबंध बनाए रखने पर ही कार्यदक्ष कहा जाता है। क्या उत्पादन लागत कम होना, उपभोक्ता के लिये दाम कम होना, तथा श्रम और प्रबन्धकों में सुसंबंध बने रहना ही कार्यदक्षता का आदर्श है ? ये कुछ परीक्षण हैं। कुछ रुपयों के गलत रूप में या अधिक व्यय होने की चिन्ता न करके संसद् को यही देखना चाहिये कि उसकी नीति और उपक्रम का लक्ष्य पूरा हो रहा है या नहीं। हां, अधिक रुपए की बरबादी भी नीति का ही प्रश्न है। यदि लक्ष्य पूरा हो रहा है, तो संसद को विवरणों में न जाना चाहिये।

अब हमने संमिश्र अर्थ-व्यवस्था अपनाई है और अधिकाधिक उत्पादन हमारा लक्ष्य है। आज के आधे दर्जन राज्य-उपक्रमों के स्थान पर कल ७०-८० राज्य-उपक्रम बनेंगे। तो क्या उन सब के विवरणों में समय नष्ट करके सदन अधिक महत्वपूर्ण बातों को न भुला बैठेगा ? अतः प्रश्न यह है कि किस प्रकार का नियन्त्रण समय की मांग के अनुकूल है। मेरे दो सुझाव हैं : एक तो वित्त मंत्री इन के आयव्ययक विवरण अलग बनाएं, जिससे इनकी विशिष्ट आलोचना की जा सके।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : क्या आर्डनेंस कारखाने और चितरंजन भी इसमें शामिल होगा ?

श्री गाडगिल : वे सरकार द्वारा प्रत्यक्ष चलाए जाने वाले कारखाने हैं, उनको शामिल करना अपेक्षित नहीं है। सिन्दरी जैसे कारखानों में जहां सरकार का प्रमुख हाथ है, वार्षिक विवरण ही काफी नहीं है, उनका एक संगठित प्रतिवेदन भी रखा जाना चाहिये। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जैसा दा० घा० निगम या उड्डयन नियन्त्रण आदि के अधिनियमों में उपबन्ध हैं, वार्षिक विवरणों के अलावा सरकार की विनियोजन-स्थिति का स्पष्ट चित्र भी संक्षिप्त रूप में सदन के सम्मुख रखा जाना चाहिये। संसदीय समिति हस्तक्षेप ही करेगी और उससे लक्ष्यपूर्ति न हो सकेगी। यह सम्बन्धित पदाधिकारियों और माननीय मंत्री के स्वविवेक के ही ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिये। समय से पूर्व चर्चा या प्रचार होने से गड़बड़ी ही बढ़ेगी।

अतः यद्यपि यह मानी हुई बात है कि सार्वजनिक निधि से होने वाले विनियोजनों पर संसदीय नियन्त्रण रहे, तथापि संसदीय समिति यह काम न कर सकेगी। आशा है, सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री की अपेक्षा भूतपूर्व मंत्री को सरकार अधिक प्यारी है। संसद् ने यह कभी नहीं सुझाया कि वह छोटे-मोटे विवरणों तक पर नियन्त्रण करना चाहती है। क्या माननीय भूतपूर्व मन्त्री ने लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन या महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी पढ़ी है कि सार्वजनिक निधि पर संसदीय नियन्त्रण कम हो रहा है। संसद् को गर्व होना चाहिये कि उसने नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक को उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के समकक्ष प्रतिष्ठा दी है,

[श्री एन० सी० चटर्जी]

और उस पद पर आज एक ऐसा अनुभवी, योग्य और निर्भीक व्यक्ति है, जो सत्य बात कहने में संकोच नहीं करता। उनका कहना है कि सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध के लिये निजी समवायों का बनना समवाय अधिनियम और भारत के संविधान की प्रवंचना है। इसका अर्थ यह है कि आप संविधान में मौखिक श्रद्धा रखते हैं और उसकी भावना का उल्लंघन करते हैं। संचित निधि से बने उपक्रमों को निजी समवायों में बदल देना सर्वथा अनुचित है।

राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण करने वाले प्रत्येक देश को इस समस्या का सामना करना पड़ा है। इंगलैंड ने जब युद्धोत्तर काल में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, तो उनको पता चला कि उनको विशेष सतर्क रहना पड़ेगा और ब्रिटिश संसद् ने एक समिति नियुक्त की। उस समिति ने देखा कि यदि संसदसदस्य इन उपक्रमों के प्रशासन में हाथ नहीं रखते, तो वे अपना कर्त्तव्य नहीं निभाते। जब तक हम इस दशा में कुछ न करें, इस सदन को सर्वप्रभुत्वसंपन्न कहना या सदस्यों को जनता का चौकीदार बताना व्यर्थ है।

इस नियन्त्रण और स्वायत्तता का स्वरूप और सम्बन्ध निर्धारित करने के लिए उन्होंने एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति की सिफारिश थी कि हाउस आफ कामन्स (ब्रिटिश लोक-सभा) एक समिति नियुक्त करे, जो राष्ट्रीकृत उद्योगों की जांच का काम लोक-लेखा-समिति के हाथ में से ले ले और इस समिति को केवल पिछले वित्तीय-सौदों के निरीक्षण की ही शक्ति न मिले, बल्कि वर्तमान वित्तीय स्थिति और भावी कार्यक्रम के विषय में भी उसका हाथ रहे। उस समिति में महालेखा परीक्षक के समकक्ष एक व्यक्ति और एक पेशेवर लेखापाल भी रहे।

इस प्रक्रिया को अपना लेने में हमारी क्या हानि है? इससे ब्रिटिश उद्योग धराशायी नहीं हो गए। इंगलैंड की भान्ति यह व्यवस्था भारत में भी सफल हो सकेगी। ४९९ सदस्यों वाला यह सदन दैनिक विवरणों को ले, यह कोई नहीं सुझाता। पर वैसी समिति नियुक्त न होने पर हम अपना कर्त्तव्य नहीं निभा सकते। प्राक्कलन और लोक लेखा समितियों को इतना अवकाश नहीं मिला है और वे अपना कर्त्तव्य पूरी तरह नहीं निभा सकी हैं। यदि मैं गलत कह रहा होऊं तो माननीय मंत्री मेरी बात काट सकते हैं। फिर लोकलेखा समिति दो वर्ष बाद शव-परीक्षा करती है। अतः हमें इंगलड वाली प्रक्रिया अपना लेनी चाहिये। इसमें समाचार उड़ाने या दलगत नीति का कोई प्रश्न नहीं है। यह सब गोप्य रखा जायेगा और प्रचार नहीं होगा। इससे सरकार और उपक्रमों दोनों का लाभ होगा।

निगम बनने पर दाम या मजूरी के निर्धारण में उसे स्वायत्तता दे देने पर वह कुछ भी कर सकता है। अतः करदाता, उपभोक्ता, संसदीय प्रजातन्त्र और अपने प्रारंभिक उत्तरदायित्व के हित में मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह एक मित्र आलोचक द्वारा दिये जाने वाले इन रचनात्मक सुझावों पर ध्यान दें।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर): विशिष्ट प्रयोजनों से बनने वाले सार्वजनिक निगमों की कार्यप्रणाली में लचकीलापन होना चाहिये। उनका समाज के लिये भी महत्व है। पर उनमें व्यय होने वाली विशाल राशि की दृष्टि में उन पर संसद का नियन्त्रण भी अत्यन्त आवश्यक है। हमारी प्राक्कलन और लोक लेखा समितियों के लिये इन निगमों की गति-विधि पर नियन्त्रण रखना कठिन है। सदन को विदित है कि दा० घा० निगम की कार्य-प्रणाली की जांच के लिये नियुक्त की गई एक

समिति का कहना है कि वहां एक बांध पर ही एक करोड़ रुपए बचाए जा सकते थे। लोक-लेखा समिति का भी कहना है कि हीराकुंड में बहुत रुपया बचाया जा सकता था। बहुसूत्री योजनाओं में केन्द्र और राज्य द्वारा व्यय किये जाने वाले लगभग ५४० करोड़ रुपयों की दृष्टि में, संसद का नियन्त्रण अत्यन्त आवश्यक है।

हमने आरोपों को सुना है--और हम नहीं जानते कि वे कहां तक ठीक हैं--कि हिन्दुस्तान केबुल फैक्टरी कार्यक्रम के अनुसार काम नहीं कर रही है। समाचार पत्रों में रिपोर्टें आती हैं कि विशेषज्ञ उचित प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ४०० करोड़ रुपये का केबुल मंगवाने का आर्डर देना पड़ेगा। सिन्दरी फैक्टरी में विनियोजन १० करोड़ रुपये से बढ़ का १७ करोड़ रुपये हो गया है। इस १७ करोड़ रुपये के विनियोजन से भी मुशिकल से १ प्रतिशत लाभांश मिल रहा है। अंशधारी के रूप में राष्ट्र को वह लाभांश नहीं मिल रहा है जो इसे सिन्दरी से मिलना चाहिये था। मैं इस बात को मानता हूं कि इस तथा अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में, उदारणार्थ जहाज़ बनाने के उद्योग पर, जिसमें मजदूरों के साथ किये जाने वाले व्यवहार का प्रश्न हो, उपभोक्ता के हित, मूल्य व्यवस्था या इससे राष्ट्र-हित हो रहा है या नहीं इन बातों पर तथा जिन मामलों में बहुत अधिक ऋण दिया गया हो उन सब पर संसद का कुछ नियन्त्रण होना चाहिये। मैं मानता हूं कि संसदीय समिति सभी विस्तृत बातों पर विचार नहीं कर सकती है किन्तु हमें मालूम होना चाहिये कि सार्वजनिक निगम कहां और किस प्रकार धन व्यय कर रहे हैं। जब ये निगम आत्मनिर्भर हो जायेंगे तो इन्हें स्वायत्तशासी बनाया जा सकता है। माननीय मंत्री को यह पता लगाना चाहिये कि स्थायी संसदीय समिति इस प्रकार के विनियोजनों की कैसे जांच कर सकती है। क्योंकि हमारी योजना के अन्तर्गत १४० करोड़ रुपये के उद्योगों के लिये तथा ५४० करोड़ रुपये बहु प्रयोजनीय परियोजनाओं के लिये रखे गये हैं। अतः इन राष्ट्रीय उपक्रमों पर संसद का किसी प्रकार का नियन्त्रण होना चाहिये।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं कि इस वाद-विवाद में दो कमियां हैं। एक तो यह है कि हम इस महत्वपूर्ण बात के केवल एक पहलू पर ही ध्यान दे रहे हैं और दूसरी यह है कि यहां पर कुछ गलत समानतायें उपस्थित की गई हैं। इसका सामान्य प्रश्न राज्यउपक्रमों के कुशलतापूर्वक चलाये जाने के सम्बन्ध में है। मैं समझता हूं कि इस बात पर पूर्णरूपेण वादविवाद होना चाहिये कि राज्य द्वारा चलाये जाने वाले इन उद्योगों का किस प्रकार प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

संसदीय नियन्त्रण महत्वपूर्ण बात के होते हुए भी, सामान्य प्रश्न का एक पहलू है। सरकारी प्रवक्ता के लिये वित्तीय नियन्त्रण पर संसद के उत्तरदायित्व की अपेक्षा प्रबन्ध व्यवस्था की कार्यकुशलता से अत्याधिक सम्बन्धित कुछ बातों का उत्तर देना कठिन है।

मुझे दूसरी बात यह कहनी है कि इंगलैण्ड में राष्ट्रीयकृत उद्योगों के सम्बन्ध में प्रवर समिति ने जो सिफारिशें की थीं उन्हें वहां की संसद ने स्वीकार नहीं किया है। इसीलिये मुझे यहां कही गई इन बातों पर कि उनके अनुसार बड़ा सन्तोषजनक कार्य हुआ है बहुत आश्चर्य हुआ।

मेरी तीसरी बात यह है कि नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने अपने विचार प्रकट करते समय जो बात उठाई थी उसका महत्व सीमित है। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई थी और सदन भी उनकी बातों से यह समझ सकता है कि हम इन बातों को भली भांति तय

[श्री सी० डी० देशमुख]

कर रहे हैं । जहां तक इस मामले को नियमित करने का प्रश्न है मैंने पहले ही बताया कि हम समवाय विधि में कुछ संशोधन करेंगे या राज्य निगमों के नियन्त्रण के सम्बन्ध में हम एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे । नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक ने जो कठिनाइयां बताई हैं हम उन्हें दूर करेंगे ।

लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में जो विभिन्न उपबन्ध पहिले से ही विद्यमान है, अर्थात नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा करने का अधिकार देना, उन्हें दुहरा कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता । अभी हाल ही में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में संशोधन किया गया है । उसमें हमने इसका स्पष्ट रूप से उपबन्ध किया है कि नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को लेखा-परीक्षा करने का अधिकार होगा ।

राज्य द्वारा चलाये जाने वाले उपक्रमों तथा कार्यपालिका के प्रशासन के सामान्य कार्य में जो अन्तर है उसे बढ़ा चढ़ा कर कहा जा सकता है । किन्तु वे दोनों एक हैं । कुछ कारणोंवश रेलवे और डाक तथा तार विभाग जैसी लोकोपयोगी सेवाओं में निगम नहीं बनाये गये हैं । अतः उन पर सदा ही सदन का नियन्त्रण रहता है । अन्य कार्यों के लिये और तथा कथित कार्य प्रबन्ध के कल्पित लाभों के लिये हम निगम या समवाय बना रहे हैं । हमने अभी तक यह निश्चय नहीं किया है कि निगम बनाना उत्तम होगा या समवाय बनाना और इसलिये इन दोनों में से किसे चुना जाय । इसमें हम अपनी सुविधा का ध्यान रखेंगे । मैं समझता हूं कि सरकार को तो दोनों में ही लाभ रहेगा । इस लिये ऐसा हो सकता है कि हम उस संशोधन में निगम तथा समवाय दोनों ही के लिये उपबन्ध करें ।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : हमें इसकी पूरी जांच करनी होगी और जल्दी ही किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख: यही तो मैं कह रहा हूं कि जहां उद्योगपति शामिल हों उस अवस्था में हम समवाय को पसन्द करेंगे । यह सब काम सरकार के कार्यपालिका कार्य के रूप में है । मैं यह नहीं समझ पाता कि सिन्दरी पर होने वाले व्यय के महत्व तथा सेना पर होने वाले व्यय के महत्व में क्या अन्तर है । सेना पर हम २०० करोड़ रुपये—पूंजीगत व्यय नहीं— प्रतिवर्ष व्यय कर रहे हैं । फिर भी संसद को इस कार्य के परीक्षण करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं और संसद को प्रश्न करने के असीमित अधिकार हैं । निगम तथा समवायों के बारे में भी संसद कोई भी विवरण या सूचना मांग सकती है और सरकार यथासमय वह सूचना संसद को देगी । किन्तु संसद किन्हीं विशेष अवसरों पर तथा विशेष प्रकार से ही ऐसा करेगी । यह कार्य वार्षिक आय-व्ययक पर होने वाली चर्चा के समय या किसी विशेष चर्चा में किया जा सकता है या इस पर प्रश्न और उतर हो सकते हैं ।

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : इन निगमों के वार्षिक आय-व्ययक संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि संसद चाहे कि इन निगमों के आय-व्ययक संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जायें तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई कारण नहीं कि उस बारे में आवश्यक सूचना न दी जाय । यह तो निगमों को निर्देश जारी करने का मामला है । ग़ैर-सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में जो विधेयक हम प्रस्तुत करना चाहते हैं उसमें हम इसकी व्यवस्था कर देंगे । संशोधन में हम इस बात का उपबन्ध कर सकते हैं कि अन्य बातों तथा समवाय विधि के कुछ खण्डों से विमुक्ति दिये

जाने के अतिरिक्त तथा कम्पनियों के लिये निर्धारित किये गये कर्त्तव्यों के अतिरिक्त उन्हें एक ऐसा विवरण भी देना चाहिये जिस में अपेक्षित सूचनाएं दी गई हों, क्योंकि उनमें जनता का धन लगा होता है ; और उसकी नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा अनिवार्य होगी और ये रिपोर्टें संसद को भेजी जायेंगी और लोक लेखा समिति इनकी जांच करेगी । मुझे इन बातों के बारे में कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती । यह मामला सरकारी प्रशासन या प्रशासनिक कार्य कुशलता की तथा राज्य द्वारा चलाये जाने वाले उपक्रमों के संचालन की दो रिपोर्टों में दिया हुआ है । श्री गोरवाला की रिपोर्ट के पृष्ट १६ तथा १७ में इस मामले का निर्देश है तथा श्री एप्पलबी की रिपोर्ट के पृष्ठ ५५ तथा ५६ में भी इसका उल्लेख है । अब प्रश्न यह है कि क्या इस समय इस प्रकार की एक समिति की आवश्यकता है या नहीं । मैं समझता हूं कि अभी हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिये और देखना चाहिये कि हम किस प्रकार की निकाय चाहते हैं और हमें इस सम्बन्ध में क्या अनुभव प्राप्त होते हैं । संसद को प्रश्न करने तथा सूचना मांगने का पूर्ण अधिकार है । समय आने पर किसी ऐसे निकाय को जो मैं समझता हूं कि इन निगमों के मामलों तथा लेखों की जांच करने के लिये लोक लेखा समिति तथा आंक समिति का एक मिला जुला रूप होगा, स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई रुकावट नहीं होगी । वास्तव में लोक लेखा समिति कुछ मामलों के लिये उप-समितियां नियुक्त करती रही है । यह एक अच्छा उपाय है जिसे अपनाया जा सकता है । इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार की सम्मति में यह उचित नहीं है । यदि इस मामले में हम जल्द-बाजी करेंगे तो डर यह है कि इसके दोषों को दूर करते करते कहीं हम इसके गुणों को भी हाथ से न खो बैठें ।

सभापति महोदय : अब गैरसरकारी सदस्यों के विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे ।

विश्वविद्यालय (अन्य राज्य या राज्यों में क्षेत्राधिकार-विस्तार) विधेयक

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के किसी राज्य के विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार का किसी अन्य राज्य या राज्यों तक , जो कि इससे भाषा द्वारा या कि किसी अन्य कारण से सम्बन्धित हो, विस्तार करने के लिये तथा उससे सम्बन्धित अन्य मामलों की व्यवस्था के लिये एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

भाग 'ग' राज्य शासन संशोधन विधेयक

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम , १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री दशरथ देव मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

प्रशिक्षण तथा सेवा नियोजन विधेयक

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सेवा नियोजन तथा

[श्री डी० सी० शर्मा]

सेवा-नियोजन के प्रशिक्षण की तथा एक व्यापक युवक सेवा-नियोजन सेवा की व्यवस्था करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं प्रस्ताव को पुरःस्थापित करता हूं ।

बेकारी निवारण विधेयक

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : मेरा प्रस्ताव है कि बेकार मजदूरों को सहायता देने के लिये एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"बेकार मजदूरों को सहायता देने के हेतु एक विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री वी० पी० नायर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

चारटर्ड एकाउन्टेंट (संशोधन) विधेयक

श्री सी० आर० नरसिंहन (कृष्णगिरि) : मेरा प्रस्ताव है कि चारटर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"चारटर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० आर० नरसिंहन: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय पशु परिरक्षीण विधेयक---(जारी)

सभापति महोदय: सदन अब सेठ गोविंद दास द्वारा प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर विचार करेगा :

"देश के दुधारू तथा दूध न देने वाले पशुओं के परिरक्षण करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर---दक्षिण) : सभापति जी, २७ नवम्बर को जब मैं ने अपना विधेयक विचार करने के लिये उपस्थित किया उस समय मैं ने आरम्भ में यह कहा था कि जो लोग यह समझते हैं कि हम रूढ़िवादी हैं, हम सम्प्रदायवादी हैं, वे हमारे साथ अन्याय करते हैं । अपने इस कथन के प्रमाणस्वरूप मैं आप के सामने इस देश के कुछ महापुरुषों के वचन उपस्थित करता हूं । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह कहा था, "भारत वर्ष में गोरक्षा का प्रश्न स्वराज्य से किसी प्रकार भी कम नहीं है । कई बातों में तो मैं इसे स्वराज्य से भी बड़ा मानता हूं । जब तक हम गाय को बचाने का उपाय ढूंढ नहीं निकालते तब तक स्वराज्य अर्थहीन कहा जायगा । देश की सुख समृद्धि गौ और उस की सन्तान की समृद्धि के साथ जुड़ी हुई है ।" हमारे जो आज राष्ट्रपति हैं, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी, उन्हों ने कहा था, "हिन्दुस्तान में

गायों के लिये इस तरह की भावना है कि उन को मारना लोग पसन्द नहीं करते। यह जो बहादुरी की सलाह दी जाती है कि जितने खराब जानवर हैं उन को कत्ल कर दिया जाय मैं समझता हूं इस में बहादुरी ज्यादा है बुद्धिमानी नहीं। यदि हम इस काम को करना चाहेंगे तो अपने खिलाफ एक बड़ी जमाअत पैदा कर लेंगे।" इस समय महात्मा गांधी के जो सब से बड़े शिष्य सन्त विनोबा भावे हैं उन्हों ने हाल ही में इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उस के मैं दो उद्धरण आप के सामने उपस्थित करता हूं। सर्वोदय के १३ नवम्बर, १९५१ के अंक में उन्हों ने लिखा था, "इस देश में गौ हत्या नहीं चल सकती। गाय, बैल, हमारे समाज में दाखिल हो गये हैं। सीधा प्रश्न यह है कि आप को देश का रक्षण करना है या नहीं। यदि करना है तो गोवध भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं आता। इस का आप को ध्यान रखना चाहिए। गो हत्या जारी रही तो देश में बगावत होगी। गोहत्या बन्दी भारतीय जनता का मैनडेट (लोक आज्ञा) है और प्रधान मंत्री महोदय को इसे मानना चाहिय।" 'हरिजन सेवक' के २२ अगस्त, १९५३ के अंक में सन्त विनोबा लिखते हैं :

"हिन्दुस्तान में गोरक्षा होनी चाहिये। अगर गोरक्षा नहीं होती तो कहना होगा कि हम ने अपनी आजादी खोई और इस की सुगन्ध गंवाई। मैं ने कुरान और बाइबिल का गहराई से और अत्यन्त प्रेम के साथ अध्ययन किया है। मैं मुसलमान और ईसाइयों की ओर से उन का प्रतिनिधि बन कर कहता हूं कि उन दोनों धर्मों में ऐसी कोई बात नहीं है कि गाय का बलिदान हो। मैं कहता हूं कि हमारी सेक्यूलर स्टेट में गोरक्षा होनी चाहिये।"

अब, सभापति जी, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को, राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी को, सन्त विनोबा भावे जी को, कोई भी रूढ़िवादी, या सम्प्रदायवादी नहीं कह सकता। इस सम्बन्ध में जब हमें ऐसे विशेषणों से विभूषित किया जाता है तो हम लोगों के साथ, और हम लोगों के साथ ही नहीं, अपितु राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी के साथ, सन्त विनोबा जी के साथ और स्वर्गीय महात्मा गांधी के साथ भी अन्याय किया जाता है।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : यह अन्याय कौन करता है ? ज़रा मुझे बता दीजिये, मालूम नहीं है।

सेठ गोविन्द दास : अब प्रश्न यह है कि गोवध सर्वथा बन्द क्यों हो ?

हम गोवध सर्वथा बन्द क्यों करना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में मैं आप के सामने कुछ बातें उपस्थित करता हूं। सब से पहले तो मैं आप के सम्मुख अपने संविधान की धारा ४८ उपस्थित करता हूं। यह धारा अनेक बार पढ़ी गई है, लेकिन जब तक इस देश में गोवध जारी है, तब तक यह धारा सदा पढ़ी जायेगी। इस धारा में यह कहा गया है :

"राज्य कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषत: गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के परिरक्षण और सुधारने के लिए तथा उन के वध का प्रतिषेध करने के लिए अग्रसर होगा।" इस धारा का बहुत बार ऐसा अर्थ लगाया जाता है जो यथार्थ में इस का अर्थ नहीं है। मैं यद्यपि आजकल यहां पर अपनी राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा हिन्दी में बोलता हूं पर गये ३० वर्षों से मैं इस सभा का सदस्य रहा हूं और पहले अंग्रेजी में ही बोलता था। मेरी अंग्रेजी कभी बुरी नहीं मानी गई। थोड़ी बहुत

[सेठ गोविन्द दास]

अंग्रज़ी में जानता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस धारा के जो अन्तिम विशेषण हैं "अदर मिल्ज एंड ड्राफ्ट कैटल" इन विशेषणों को काऊज़ (गायों) और काव्ज़ (बछड़ों) के साथ नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता वह मैं आप को बताना चाहता हूं। पहले तो आप 'काव्ज़' शब्द को लीजिये। अब काव्ज़ न तो मिल्च ही होते हैं और न ड्राफ्ट ही होते हैं। काव्ज़ शब्द के पहले 'काऊज़' शब्द आया है यानी "काऊज़ एंड काव्ज़ एंड अदर मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल" अब आप यह देखिये कि "अदर मिलच ऐंड ड्राफ्ट कैटल" विशेषण काव्ज़ के साथ नहीं लग सकते, तो फिर वह 'काऊज़' के साथ कैसे लग सकते हैं ? अगर इस संविधान का अभिप्राय केवल 'मिल्च और अदर ड्राफ्ट कैटल' को ही बचाने का होता तो 'काऊज़ एंड काव्ज़' इन दोनों शब्दों को रखने की ही आवश्यकता ही नहीं थी। उस वक्त तो यह इस में लिखा जाता "take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of milch and draught cattle." इतने ही में, "मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल" में ही गाये भी आ जातीं, बैल भी आ जाते, भैंस भी आ जातीं, और भैंसे भी आ जाते। लेकिन जब इस में काऊज़ एंड काव्ज़ पहले लिखे गये और उस के बाद "अदर मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल" लिखा गया है। जो भाषा के विशेषज्ञ हैं, उन के सामने इस संविधान को रखा जाय और उन से पूछा जाय कि इस संविधान की धारा का अर्थ क्या होता है। मेरा निश्चित मत है कि यदि कोई विशेषज्ञ अपना निष्पक्ष निर्णय देंगे तो स्पष्ट रूप से यह निर्णय देंगे कि गायों और बछड़ों का तो वध तुरन्त बन्द होना चाहिये और उस के बाद जो दूसरे जानवर हैं, भैंसे हैं और भैंसें हैं, जो मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल में आते हैं उन का वध नहीं किया जाना चाहिये। जो हमारे दूध के या खेती के काम में आते हैं उन दूसरे जानवरों का वध नहीं किया जाना चाहिये। गायों और बछड़ों में यह विशेषण नहीं लगाये जा सकते। इस तरह का अर्थ लगाना, खींचातानी करना, हमारे संविधान के अर्थ का अनर्थ करना है।

फिर यह संविधान की धारा क्यों बनी इस सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहूंगा। हमारी सरकार और संसार की सभी सरकारें विशेषज्ञों की राय के अनुसार चलती हैं। विशेषज्ञों की इस सम्बन्ध में पहले एक कमेटी मुक़र्रर हुई। उस का नाम है "कैटल प्रिज़र्वेशन एंड डैवलैपमैंट कमेटी"। १९ नवम्बर, १९४७ को यह कमेटी नियुक्त हुई और यह कमेटी नियुक्त हुई हमारे कृषि मंत्रालय के एक प्रस्ताव के अनुसार। वह प्रस्ताव भी मैं आप के सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रस्ताव यह है :

It has been brought to the notice of the Government of India that large numbers of Cattle are annually slaughtered in this country for meat, that this slaughter is often indiscriminate, that it includes animals of all ages and qualities and that the slaughter results in short supplies of milk and work bullocks and in the depletion of the country's cattle wealth. There has been considerable agitation in the press, on the platform and on the floor of the Legislature in regard to this matter, and Government has been urged to take immediate steps to prohibit slaughter by legislation. As this is a complicated socio-religious subject the Government of India have, after careful consideration, decided to appoint an Expert Committee of officials and non-officials to consider the question in all its aspects and to recommend a comprehensive plan of action which can be put into immediate effect for preserving the cattle wealth of the country and for promoting its development.

इस प्रस्ताव पर यह कमेटी बनी। इस कमेटी ने क्या सिफारिशें की वह भी मैं आप को बताना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : कमेटी के मैम्बरान कौन थे ?

सेठ गोविन्द दास : मेम्बरान के नाम हैं :

सरदार बहादुर दातार सिंह, राय बहादुर पी० एन० नन्दा, श्री ऐच० बी० शाही, डा० ज़ाल आर० कोठावाला, श्री हरदेव सहाय, राय बहादुर जे० एन० मनकर, सरदार बहादुर हरचन्द सिंह, गुरू प्रताप सिंह, श्री धर्म लाल सिंह, श्री सतीशचन्द्र दास गुप्ता, श्री महावीर प्रसाद पोद्दार, श्री नाला सेनापति सरकारी और सेठ गोविंद दास ।

अब उन्हों ने जो सिफ़ारिश इस सम्बन्ध में की वह मैं आप के सामने रखता हूं :

"This Committee is of opinion that slaughter of cattle is not desirable in India under any circumstances whatsoever, and that its prohibition shall be enforced by law. The prosperity of India to a very large extent depends on her cattle and the soul of the country can feel satisfied only if cattle slaughter is banned completely."

फिर आग चल कर इस ने इस सम्बन्ध में और कहा :

1. The first step which has to be given effect to immediately, should cover the total prohibition of slaughter of all useful cattle other than as indicated below :—

(a) Animals over 14 years of age and unfit for work and breeding,

(b) Animals of any age permanently unable to work or breed owing to age injury or deformity.

2. Unlicensed and unauthorised slaughter of cattle should be prohibited immediately and it should be made a cognizable offence under law.

3. The law for prohibiting slaughter of cattle totally should be enforced as early as possible.

तो मैं आप से यह निवेदन कर रहा था कि यह संविधान की ४८वीं धारा कुछ आप से आप आस्मान से नहीं टपकी । इस ४८वीं धारा के निर्माण के पहले एक विशेषज्ञों की कमेटी नियुक्त की गई थी, उस कमेटी में कौन कौन थे, यह मैं ने आप को पढ़ कर सुनाया । उस कमेटी की क्या सिफ़ारिशें थीं, यह मैं ने आप को बतलाया और उस कमेटी की राय के अनुसार संविधान की ४८वीं धारा बनाई गई । फिर इस की सिफ़ारिशों के कुछ अंश को, पूरी को तो नहीं, सरकार ने स्वीकार भी किया और २४ मार्च, १९४९ को, उस समय कृषि मंत्री श्री जयरामदास दौलतराम थे, उन्हों ने यहां पर उस संबंध में क्या कहा था वह मैं आप के सामने रखता हूं । वह कहते हैं :

The Hon'ble Shri Jairamdas Daulatram (Minister of Food and Agriculture) during debate on demands for Food and Agriculture on the 19th March, 1949, the Hon'ble Member, Seth Govind Das referred to the question of improvement and welfare of cattle and the need of governmental action in regard to the question of slaughter of cattle. In the course of my reply I dealt with this matter and announced the interim decision of Government on the report of Cattle Protection and Preservation Committee. But as the discussion had to close at 5 P.M., my statement had to be very brief and I understand from the Hon'ble Member that it would be helpful if the decision of the Government was more clearly indicated.

उस के बाद उन्हों ने कैटिल प्रीज़वशन कमेटी की जो सिफ़ारिशें थीं, जिन्हें मैं ने अभी पढ़ा था, वे पढ़ीं और उस के बाद उन्हों ने यह कहा कि चौदह वर्ष की उम्र के नीचे के पशु न मारे जायें और उपयोगी पशु भी न मारे जाये । इस विषय में वह कहते हैं :

"As most of opinions received from the provinces are generally in favour of action suggested in the first two recommendations of the committee, Government have decided to accept those recommendations and will take early suitable action to have them implemented."

यह आश्वासन हम को २४ मार्च, १९४९ को मिला । उस के बाद पंचवर्षीय योजना की जो पहली आवृत्ति है, उस में भी इस विषय पर प्रकाश डाला गया और वह क्या कहते हैं, वह मैं आप को बतलाता हूं :

As the normal slaughter of cattle does not make any significant impression on the problem and the whole-sale slaughter of useless animals is not a practical proposition, some other remedy has to be thought out to meet the situation. One such remedy is the opening of large camps in areas where the fodder supply today is unutilised. The old and useless cattle are transferred to these camps through the *Pinjrapoles* and thus pressure on existing fodder supply is reduced. Suitable arrangements can be made at these camps for the

[सेठ गोविन्द दास]

utilisation of the manure of these cattle and, their hides etc., after their natural death.

The problem of dry cows in cities is also important from the point of view of preservation of good cattle. It is observed that good milch cows are brought to the bigger cities like Bombay and Calcutta and when they get dry they are sent to slaughter houses.

यह सिफ़ारिश है पंचवर्षीय योजना की और इतनी दूर हम क्यों जायें। अभी हाल में हमारे जो कृषिमंत्री श्री क़िदवई हैं, उन्हों ने सन् १९५२ में २४ दिसम्बर को पटना में जो कहा वह भी सुन लीजिये :

Mr. Rafi Ahmed Kidwai, India's Food Minister, said here today that when there was such an overwhelming sentiment in favour of prohibition of cow-slaughter, it must be respected because that was the way in which democracy functioned.

डा० एन० बी० खरे: इस सब के खिलाफ कौन है, यह तो बतलाइए ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो कृषि मंत्री जी का हाल का कहना है, वह मैं ने आप को बतलाया । फिर सरकार ने १६० गोसदनों के स्थापना की योजना बनाई । अगर सरकार पूरा गोवध इस देश में बन्द नहीं करना चाहती, तो गो सदनों की योजना न बना कर कसाई खानों की योजना बनानी चाहिये । हम लोग कहीं न कहीं किसी स्थान पर तो जायेंगे, या इसी प्रकार सारे मामले टटोलते रहेंगे । इस के लिये दो ही रास्ते हो सकते हैं । या तो जिस तरह से हमारी कैटिल प्रीज़र्वेशन कमेटी ने कहा और उस के आधार पर हमारे संविधान की धारा बनी उस के अनुसार हम अमल करें और उस के बाद हमारी पंचवर्षीय योजना में गोसदनों की बात कही गई और रफ़ी अहमद क़िदवई साहब ने इस बात को कहा कि अगर हमें इस देश में प्रजातंत्र चलाना है, तो हमें लोगों के मत का ध्यान रखना होगा, इस के अनुसार काम करें । बहादुरी की बात चाहे जितनी कह लीजिये कि हम बेकाम पशुओं को मार डालें, लेकिन यह बात इस देश में नहीं हो सकती । अगर हम सब को मंज़ूर करते ह और गोसदनों की योजना बनाते हैं, तो हम को गोसदनों की योजना बना कर इस गोवध को कतई बन्द करना होगा, या फिर हम गोवध की बात और आगे बढ़ावें, क़साई-खानों की स्थापना करें और जितनी गायें यहां पर हैं उन को काटने को तैयार हो जायें। दो में से एक रास्ता हमें चुनना होगा। इन के अलावा और किसी दूसरे रास्ते पर हम चल नहीं सकते ।

एक बात और बराबर कही जाती है कि आर्थिक दृष्टि से इन गायों को रखना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । यह दूसरी ग़लत-फ़हमी है । आर्थिक दृष्टि से यह जो पशु बेकाम कहे जा रहे हैं, यह यथार्थ में बेकार हैं या नहीं, इस पर हमें विचार करना होगा और इस विषय पर आप के सामने बिहार सरकार की इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट है : Tour of European countries by DharmaLal Singh, Secretary, Bihar State Goshala, pinjrapole Federation, Patna. दूसरी गोसंवर्धन अंक है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य का और तीसरी यह पंचवर्षीय योजना रखना चाहता हूं । इन सब में इस विषय पर बहुत कुछ कहा गया है । अगर मैं उस सब को यहां पर पढ़ने लगूं तो शायद दो घंटे मुझे उस सब के पढ़ने में लग जायेंगे। इसलिये मैं उस का एक संक्षिप्त नोट, जो मैं ने बनाया है, सदन के सामने पढ़ देना चाहता हूं, क्योंकि उस में कुछ अंक दिये गये हैं और उन अंकों को मौखिक पढ़ना सम्भव नहीं है ।

अब आप देखिये कि इन सब प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर एक पश पर कितना व्यय होता है ।

"सरकारी गोसंवर्द्धन कौंसिल के अनुमान के अनुसार एक पशु को गोसदन में रखने का आरम्भिक व्यय १५ रुपये और प्रति वर्ष १० रुपये निगरानी इत्यादि पर व्यय आता है। यदि एक वृद्ध और अपंग पशु अधिक से अधिक ५ वर्ष जीवित रहे तो उस पर औसत खर्च १५ रुपये प्रति वर्ष होगा। इस पशु के मरने पर चमड़े हड्डी इत्यादि से यदि कम से कम ५ रुपये आय हो तो १० रुपया प्रति पशु प्रति वर्ष व्यय हुआ।

भारत सरकार की वैज्ञानिक पत्रिका 'वेटर्नरी साइंस ऐंड ऐनिमल हस्बैंडरी' के मार्च १९४१ के प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि औसत गाय को स्वस्थ रखने के लिये ५ सेर नित्य या वर्ष में ३६ मन सूखा चारा चाहिये जिस का मूल्य अधिक से अधिक ३ रुपये प्रति मन के हिसाब से १०८ रुपये वार्षिक आता है। इस हिसाब में वह चारा जो पशु वर्षा के दिनों में या अन्य दिनों में गोचर भूमियों में चरता है वह कम नहीं किया गया है। सब खर्च लगा लिया गया है। तो अधिक से अधिक १०८ रुपये के चारे पर एक पशु जीवित रहता है।"

जैसा कि आय के हिसाब में बतलाया गया है एक पशु से १२५ रुपये वार्षिक आय होती है। वह आगे मैं आप को बतलाऊंगा। और गोसदन में रखने से १५ रुपये तथा घर में रखने से १०८ रुपये वार्षिक व्यय पड़ता है। इस हिसाब से गोसदन में रखा जाने वाला ११० रुपये वार्षिक और घर में रखा जाने वाला १८ रुपये वार्षिक लाभ देता है। यदि सरकार और जनता दोनों गोबर और गो मूत्र को ठीक ठीक उपयोग में लावें और मरे हुए पशु के चमड़े और हड्डी का ठीक ठीक उपयोग हो तो एक वृद्ध, अपंग, अनुपयोगी कहलाने वाला पशु भी हानिकारक नहीं लाभदायक है।

यह तो व्यय के हिसाब से हुआ, अब आय के हिसाब से देखिये।

पंचवर्षीय योजना के १८वें अध्याय के 'कृषि उन्नति की कुछ समस्यायें' के २३वें पैराग्राफ में लिखा है कि सन् १९५१ की पशुगणना के हिसाब से ८००० लाख टन या अनुमानतः २२ अरब ५० करोड़ मन गोबर वार्षिक होता है। इस में से आधा यानी सवा ग्यारह अरब मन खाद के काम और आधे के करीब जलाने के काम आता है। सिंदरी के कारखाने के ऐमोनियम सल्फेट का भाव जिस में अनुमानतः २०प्रति शत नाइट्रोजन होता है, २८० रुपये प्रति टन या १० रुपये प्रति मन है। गोबर का खाद ऐमोनियम सल्फेट से निस्सन्देह अच्छी चीज़ है पर उस में नाइट्रोजन कम से कम २ प्रति शत है। इस हिसाब से नाइट्रोजन के अनुपात को देखते हुए गोबर १ रुपया मन पड़ता है अर्थात् पंचवर्षीय योजना के लेखकों के अनुमान के अनुसार जो गोबर खाद के काम आता है उस का मूल्य १२ अरब रुपये होता है। ईन्धन के काम आने वाले गोबर का मूल्य खाद के काम आने वाले गोबर के बराबर नहीं पर कम से कम एक चौथाई के बराबर, तीन अरब रुपये अवश्य है। इस हिसाब से दोनों, खाद और जलाने वाले, प्रकार के गोबर का मूल्य १५ अरब रुपये से कम नहीं।

सभापति महोदय, यह आप के पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं।

इसी पैरे २३ में लिखा है कि गो-मूत्र का अनुमान इस गोबर में नहीं लगाया गया है।

सन् १९५०-५१ की पशु संख्या और पशु विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार सब पशु धन से साढ़े ६ अरब मन गो-मूत्र मिलता

[सेठ गोविन्द दास]

हैं। इस में से कम से कम दो अरब मन मूत्र खाद के काम आता है और शेष व्यर्थ जाता है। गो-मूत्र में नाइट्रोजन अधिक होता है फिर भी इस का कम से कम मूल्य ५ अरब रुपये होता है। गोबर और गो-मूत्र दोनों से २० अरब रुपये आय होती है। देश में कुल पशु धन (गोधन और भैंस धन) १६ करोड़ है। इस हिसाब से प्रति पशु से कम से कम २५ रुपये वार्षिक गोबर और गो-मूत्र से मिलते हैं। इस हिसाब में वह गो-मूत्र सम्मिलित नहीं है जो काम में लाया जा सकता है पर व्यर्थ जाता है। ईन्धन के स्थान पर जला दिये जाने वाले गोबर का मूल्य भी कम लगाया गया है।

मैं आप के सामने यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा था कि जो यह कहा जाता है कि यह पशु बेकार हैं, ये पशु आर्थिक दृष्टि से रखने के काम के नहीं हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। पहले तो मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि पशुओं में कोई बेकाम पशु है ही नहीं। फिर उन के ऊपर जो खर्च होता है और उन से जो आय होती है उस का हिसाब भी मैं ने अभी प्रस्तुत किया। उस से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन पर जो खर्च होता है वह उन से जो आय होती है उस से बहुत कम है।

एक और भ्रम इस सम्बन्ध में है कि जब आदमियों को ही खाना नहीं मिलता, अच्छे पशुओं के लिये ही चारा नहीं मिलता तो इन पशुओं के लिये खाना और चारा कहां से आयेगा? मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस से ज्यादा ग़लत बात और कोई नहीं हो सकती। पहले तो जो बेकाम पशु कहे जाते हैं उन को हम दाना नहीं देते। वह पशु केवल चारा खायेंगे और वह चारा भी ऐसा चारा नहीं होगा जो कि काम के पशुओं को दिया जाता है। मैं ने अनेक बार निवेदन किया है और फिर आज आप से कहना चाहता हूं कि आप इस देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेल में चले जाइये। आप को दोनों तरफ ऐसा चारा मिलेगा जो किसी काम में नहीं आता है। जाड़े में शीत से जल जाता है, गर्मी में गर्मी से जल जाता है और बरसात में पानी से सड़ जाता है। यदि गोसदन स्थापित किये जायें तो इस चारे का पूरा उपयोग हो सकता है जो कि साधारणतः व्यर्थ जाता है। इसलिये जो यह बात बार बार कही जाती है कि जब आदमियों को खाना नहीं मिलता तो पशुओं के लिये कहां से आयेगा, जब अच्छे पशुओं को खाने को नहीं मिलता तो ऐसे पशुओं के लिये कहां से चारा आयेगा, यह बड़ी गलत बात है। दो हजार पशुओं के गोसदन पर कितना खर्च होता है इस के सरकारी अंक मेरे पास मौजूद हैं। १६० गोसदनों की योजना सरकार ने बनाई है और उस में यह रखा गया है कि एक एक गोसदन में दो दो हजार पशु रखे जा सकते हैं। अब इन गोसदनों का जो नान रिकरिंग, यानी जो हमेशा न चलने वाला, खर्च है वह ५० हज़ार रुपये होता है, और जो लगातार खर्च लगेगा वह होता है २०,००० रुपये। जो सरकार अपनी दूसरी योजनाओं में करोड़ों रुपये लगा सकती है, जिस ने सिंदरी फैक्टरी में अभी करोड़ों रुपये लगाये, जिस ने ट्रेक्टरों में इतना धन खर्च किया, वह सरकार क्या इस प्रकार के गोसदन नहीं बना सकती जिस में कि केवल उतना धन खर्च करना पड़ेगा जितना कि मैं ने अभी आप से निवेदन किय, और जहां पर पशु को रखने के बादवे पशुहर दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होंगे। इसलिये यह कहना कि इस के लिये धन नहीं है ग़लत है। इस के लिये इच्छा नहीं है, धनकी कमी नहीं है

यदि इच्छा हो तो धन तो हम को पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है ।

आर्थिक दृष्टि से यह पशु कभी भी हानिकारक नहीं हो सकते । लेकिन अगर कुछ चीज़ें आर्थिक दृष्टि से हानिकारक हों भी तो क्या हमें उन्हें करना नहीं चाहिये । जिस समय इस देश से अफ़ीम चीन को जाती थी, उस वक्त क्या हम को उस से मुनाफ़ा नहीं था ? उस अफ़ीम का चीन भेजना हम ने क्यों बन्द किया ? अभी कुछ दिन हुए हमारी राज्य सरकारों को शराब से कितनी अधिक आमदनी थी, हम ने उस शराब को बन्द क्यों किया ? अगर धन ही कमाना है तो सरकार और भी ऐसे काम कर सकती है जिस से धन कमाया जा सकता है और जो कि नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं हैं । आज हम ने अफीम का भेजना बन्द किया, हम ने शराब को बन्द किया, हम ने नमक कर को उठाया । नमक कर का उठाना आखिर लोगों की जो भावनायें थीं उन्हीं के अनुसार तो हुआ । अगर हम इस प्रजातंत्र को चलाना चाहते हैं तो क्या हम को लोगों की भावनाओं की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिये ? मैं ने बार बार इस बात को कहा है कि आप इस देश में रिफरेन्डम (जन-मत) लीजिये, आप इस सम्बन्ध में जनता में मतगणना कर लीजिये और देखिये कि लोगों का इस सम्बन्ध में क्या मत है, और मैं आगे बढ़ कर यह भी कहना चाहता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यदि गोवध निषेध हानि-कारक भी हो, हालांकि मैं इसे नहीं मानता, तो भी हमें लोगों की भावनाओं के अनुसार काम करना ही होगा ।

इस विषय में मैं आप के सामने फिर महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा वही रखना चाहता हूं । गांधी जी ने यह कहा :

"बाज़ार में बिकने आने वाली तमाम गायें ज्यादा से ज्यादा क़ीमत दे कर राज्य खरीदे । तमाम बूढ़े, लूले, लंगड़े और रोगी ढोरों की रक्षा राज्य को करनी चाहिये ।"

डा० एन० बी० खरे : नेहरू जी क्या कहते हैं यह कहते क्यों डरते हो ?

सेठ गोविन्द दास : आप अधीर न होइये, वह भी मैं आप को बतलाऊंगा । उस के पहले मैं अपना भाषण समाप्त करने वाला नहीं हूं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरि) : सभापति महोदय, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यही पूछना चाहता हूं कि यह विषय किस सूची में है—संघ सूची में या समवर्ती सूची में ?

सभापति महोदय : औचित्य प्रश्न क्या है ?

श्री सी० आर० नरसिंहन् : यह विषय संघ सूची में है या समवर्ती सूची में ?

सेठ गोविन्द दास : सभापति जी, जब सन् १९४९ में मैं ने यह विषय उपस्थित किया था तो अनन्तशयनम् जी ने अपनी रूलिंग (विनिदेश) दी थी । आप ने उस समय इस विषय को उठाया था और कहा था :

"Sir, in regard to the question of whether the Bill is *ultra vires*, reference has been made to the Statement of Objects and Reasons. My humble submission is that the Statement of Objects and Reasons alone does not furnish the only basis for considering whether the Bill is *ultra vires* or *intra vires*. In fact, if we look to the Body of the Bill, it seeks to create an offence of the nature which is to be found in the Indian Penal Code. Under the Penal Code, maiming or killing of certain animals of the value of Rs. 50 or more is a criminal offence and therefore, it is not free from doubt whether these entries which have been referred to by Dr. Ambedkar will apply to the case or not. These entries have special reference to Provincial subjects I know, but at the same time if this Bill is considered to be one which creates an offence then my humble submission is that the Provincial as well as the Central Legislature have both got jurisdiction in regard to criminal matters. For instance, entry 1 of List II relates to such criminal offences and if those criminal offences

[सेठ गोविन्द दास]

are such as are included in the Indian penal Code, then my humble submission is that it cannot be said absolutely that this is barred."

The Deputy Speaker then said: "The hon. Member wants the hon. Agriculture Minister to reinforce his argument. So far as this particular point is concerned, it has been ruled on more than one occasion. It is not open to the Chair to enter into this vexed question. As a matter of fact, I may refer to a decision reported on page 32 of the "Decisions from the Chair":

During the discussion on the Multi-Unit Co-operative Societies Bill, Shri K. C. Neogy raised a point of order as to the jurisdiction of the Legislative Assembly on subjects mentioned in the Federal and Provincial Legislative lists in the Goverment of India Act, 1935, whereupon the President observed.

".....a point of order, generally speaking, related to matters which concern the proper conduct of the proceedings of the House. The question whether the Assembly is competent to entertain a certain proposal for legislation is of great importance, and in my opinion it is for the House to come to a conclusion on that point, as well as other points submitted to the House on the question whether the Bill should be passed or not."

Certainly it is for the House to take into consideration the objections that have been raised that it is not competent for the House to consider a legislation of this kind.

'Therefore, if the House is willing, it may accept the present Bill; otherwise it may throw it out. It is for the courts to decide whether this legislature is competent or not competent. I am not in a position to say at this stage that he is out of order. It is for the hon. Member to take whatever decision he thinks fit, having regard to the point of order raised, and if it ultimately turns out that it is a futile piece of legislation that has been passed by this House, he will take the consequences. It is for him to decide."

म ने फिर कहा :

"I am not willing to withdraw the Bill and I shall now make my speech."

डिप्टी स्पीकर ने फिर कहा :

"I am not asking the hon. Member to withdraw the Bill. There is absolutely no such suggestion from the Chair. It is for him to do what he likes."

और इस के बाद मैं ने अपना भाषण दिया ।

सभापति जी, अब तक मैं ने आप के सामने यह रखा कि इस देश में सम्पूर्ण गोवध क्यों बन्द होना चाहिये । अब इस के बाद मैं आप के सामने उस विषय को उपस्थित करना चाहता हूं कि जिस से उपयोगी पशुओं का सम्बन्ध है और मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक उपयोगी पशुओं के कत्ल का विषय है उस में कोई मतभेद नहीं हो सकता ।

तब प्रश्न उठता है कि कम उपयोगी पशुओं का वध रुका हुआ है । मेरा दावा है कि आज सब से अधिक उपयोगी पशुओं का ही वध होता है और जब मैं यह कहता हूं तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह बात कहता हूं । आप बम्बई के क़साईखाने को जा कर देखिये, आप कलकत्ते के क़साईखाने को जा कर देखिये, आप मद्रास के क़साईखाने को जा कर देखिये और ये देखिये कि वहां पर उपयोगी पशु मारे जाते हैं या अनुपयोगी पशु मारे जाते हैं । इन उपयोगी पशुओं का वध भी, बिना गोवध को क़तई बन्द किये रुक नहीं सकता । सरकार ने इस का बहुत प्रयत्न किया । उपयोगी पशुओं के वध को रोकने का प्रश्न आज ही नहीं उठा है । सरकार ने इस के कई प्रयत्न किये हैं लेकिन उन प्रयत्नों का कोई नतीजा नहीं निकल सका । सब से पहला प्रयत्न इस सम्बन्ध में हुआ था तारीख ११ जुलाई, १९४४ को, जब कि स्वराज्य की स्थापना नहीं हुई थी । उस वक्त सरकार ने उस समय की अंग्रेज़ी सरकार ने एक आज्ञापत्र ज़ारी किया था कि दस साल के नीचे की उम्र के पशु न मारे जायें । वह आज्ञापत्र इस प्रकार था :

"I am directed to say that the present cattle shortage has been causing considerable anxiety to the Government of India for some time past. This

shortage is probably due to the increased demand for cattle for cultivation, transport, milk and meat. It is considered that one of the ways of dealing with the problem is to prevent as far as practicable the slaughter of useful cattle, particularly such animals as are used as or likely to be used as working cattle, and those which are suitable for bearing offspring.

2. It has accordingly been decided in respect of the slaughter of cattle by the army authorities that :

(*a*) the slaughter or sale for slaughter of the following classes of cattle will be prohibited ,

(*i*) cattle below 3 years of age,

(*ii*) male cattle between 3 and 10 years of age which are used or likely to be used as working cattle,

(*iii*) all cows between 3 and 10 years of age which are capable of producing milk, other than cows which are unsuitable for bearing offspring and

(*iv*) all cows which are pregnant or in milk.

सन् १९४४ में सरकार ने इस आज्ञा को जारी किया था । इस का कोई फल नहीं निकला । इस का क्या नतीजा हुआ, उस सम्बन्ध में ब्रह्मा में क्या हुआ यह मैं आप को बताना चाहता हूं, क्योंकि ब्रह्मा उस समय भारतवर्ष का एक हिस्सा था ।

"With the aim of restricting the slaughter of useful cattle as much as possible Government promulgated last year an order under the Defence of Burma Rules confining slaughter to special categories. It is, however, regretted that no perceptible improvement in the cattle population has been observed due to these restrictions. It is known to Government that useful cattle and even calves are surreptitiously slaughtered for meat and hide purposes."

ब्रह्मा सरकार के अतिरिक्त हमारे यहां दूसरे प्रान्तों में भी इस का कोई नतीजा नहीं निकला । इस के बाद डिफैंस आफ इंडिया रूल्स समाप्त होते ही यह आर्डर भी खत्म हो गया । उस के उपरान्त स्वराज्य की प्राप्ति के बाद सन् १९४७ में नवम्बर में जो कैटल प्रिजवशन कमेटी बनाई गई, उस ने जो कुछ कहा वह मैं आप के सामने अभी पढ़ चुका हूं । उस पर श्री जयरामदास दौलतराम जी ने जो कुछ कहा वह भी मैं आप को बतला चुका हूं । अब देखने की बात यह है कि जयरामदास जी की उस घोषणा के बाद, जिस घोषणा के अनुसार १४ वर्ष की उम्र के नीचे के पशु का वध रुकना चाहिये था, कहां पर क्या हुआ ? मद्रास, त्रावनकोर-कोचीन, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कुछ भी नहीं हुआ । आसाम में क़ानून बना, पर लागू नहीं किया गया । सन् १९५० में बम्बई, बंगाल और हैदराबाद में क़ानून बने, पर दो साल यों ही रहे, लागू नहीं हुए सन् १९५२ तक । और जब लागू हुए तब भी क्या हुआ वह सुनिये । पूरे प्रान्त में वह कानून लागू नहीं किये गये । बम्बई और बंगाल में चौदह चौदह म्युनिसिपल बोर्डों में और हैदराबाद में २२ में लागू किये गये । अर्थात्, इन के बाहर बम्बई में १४ म्युनिसिपल बोर्डों के बाहर, बंगाल में १४ म्युनिसिपल बोर्डों के बाहर और हैदराबाद में २२ म्युनिसिपल बोर्डों के बाहर क़त्ल हो सकती है । बंगाल में फिर १५ मार्च, १९५२ को क़साइयों के आन्दोलन पर यह रोक दिया गया, फिर १ फरवरी को लगाया गया । फिर क्योंकि इन क्षेत्रों के बाहर गोवध हो सकता था इसलिये क़ानून की मंशा पूरी नहीं हुई । केवल हमारे प्रान्त में ही यह क़ानून बना जिस के द्वारा गोवध बन्द किया गया । अब जहां गोवध पहले बन्द था और हमारे यहां जो बाद में यह गोवध बन्द किया गया तो वहां पर एक गश्ती चिट्ठी पहुंच गई भारत सरकार की ओर से । उस गश्ती चिट्ठी में क्या लिखा गया ?

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य): आप का कौन से प्रान्त से मतलब है ?

सेठ गोविन्द दास : मध्य प्रदेश की बात मैं कह रहा था । एकमात्र केवल मध्यप्रदेश है, सारे देश में, कि जहां स्वराज्य के बाद गोवध

[सेठ गोविन्द दास]

बन्द किया गया । कुछ प्रान्तों में यह गोवध पहले से बन्द था । अब जिन प्रान्तों में यह पहले से बन्द था और जहां मध्यप्रदेश में यह बाद में बन्द किया गया वहां यह गश्ती चिट्ठी पहुंची । २० दिसम्बर, १९५० को यह गश्ती चिट्ठी भारत सरकार की ओर से गई :

"I am directed to say that it has come to the notice of the Government of India that some States have imposed a complete ban on slaughter of cattle, some other are contemplating imposing a similar ban. In this connection it is necessary to consider both the legal aspects of the matter. So far as the legal aspect of the matter is concerned, it appears that some States are under the impression that the spirit of the Constitution is to stop the slaughter of cattle completely. It will not be out of place to mention that Article 48 in part IV of the Constitution relating to the directive principles of State policy, reads as under :—"

इस सम्बन्ध में मैं आप को बतला चुका हूं कि संविधान की उस धारा का मेरे अनुसार भी यही मतलब है । 'काऊज़' और 'काव्ज़' 'गायों' और 'बछड़ों' के सम्बन्ध में उस धारा का स्पष्ट मत है । वह मैं ने आप के सामने पढ़ कर बतला दिया । अब आगे है :

"It is clear from the above Article that what is really intended is not a total prohibition of all cattle."

यहां मैं सहमत हूं "आल कैटल" नहीं, "बट प्राहीबीशन आफ़ मिल्च कैटल" ।

अब देखिये कि यह जो गश्ती चिट्ठी गई वह भी कैसी विचित्र चिट्ठी है :

"It is clear from the above Article that what is really intended is not a total prohibition of all cattle slaughter but prohibition of slaughter cow and calves and other milch and draugh cattle only."

ठीक है, 'बट प्राहीबीशन आफ स्लाटर काऊज़ एंड काव्ज़ एंड अदर मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल" । ठीक है, जो गश्ती चिट्ठी जाती है उस का भी यही मतलब है जो मैं ने संविधान की धारा का बतलाया कि जहां तक 'काऊज़' और 'काव्ज़' का सवाल है वहां तक 'टोटल प्राही-बिशन' होना चाहिये और जहां तक दूसरे जानवरों का सवाल है वहां मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल का वध बन्द होना चाहिये ।

अब आगे देखिये कि इस गश्ती चिट्ठी में क्या लिखा है :

"Regarding the economic aspects of the matter, a complete ban on the slaughter of cattle would appear to be wasteful.

इस का उत्तर भी मैं आप को दे चुका हूं और यह आप के सामने सिद्ध कर चुका हूं कि यह प्रश्न आर्थिक हानि का प्रश्न नहीं है ।

फिर जो असली बात है, जिस से 'विल्ली' थैले में से निकल आती है वह मैं आप को बतलाना चाहता हूं ।

"From the export point of view also, the problem has considerable significance. Hides from slaughtered cattle are much superior to hides from fallen cattle and fetch a higher price. In the absence of slaughter, the best type of hide which fetches good price in the export market should no longer be available.

In view of what is stated above, the Government of India hope that the adverse effects of a total ban on the slaughter of cattle will be realised by the States and in the larger economic and other interests of the country no legal restrictions on the slaughter of useless and unproductive cattle will be imposed.

इसके आगे फिर देखिये :

"The State which have already passed legislation totally banning slaughter are accordingly requested to take early steps to reconsider it."

सौभाग्य की बात है कि इस सर्कुलर के जाने के बाद भी मेरे प्रान्त में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया.....

सभापति महोदय : क्या सर्कुलर विदड्रा नहीं कर लिया गया है ?

सेठ गोविन्द दास : मैं नहीं जानता कि वह सर्कुलर विदड्रा किया गया है या नहीं, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, कौंसिल आफ़

स्टेट में हाल ही में इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा गया था और उस समय हमारे कृषि मंत्री जी ने फिर इसी सर्कुलर लेटर का हवाला दिया था जिस का अर्थ यह होता है कि अभी तक विदड्रा नहीं किया गया है। २० दिसम्बर, १९५० का पत्र और २४ दिसम्बर, १९५२ को कृषि मंत्री महोदय ने जो पटना में घोषणा की वह मैं ने पढ़ी। हाल ही में कौंसिल आफ़ स्टेट में जो कुछ कहा गया वह भी मैं ने बताया चूंकि इस समय सौभाग्य से श्री किदवई यहां मौजूद हैं, इसलिये मैं उन की घोषणा को फिर पढ़े देता हूं :

Mr. Kidwai, India's Food Minister said here today that when there was such a overwhelming sentiment in favour of prohibition of cow-slaughter, it must be respected, because that was the way in which democracy functioned.

अगर वह कह दें कि उन्हों ने उस गश्ती चिट्ठी को विदड्रा कर लिया.....

सभापति महोदय : पूर्ववर्ती माननीय मंत्री द्वारा बताया गया था कि इसे वापस ले लिया गया है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मुझे याद नहीं है। यदि ऐसा है तो यही समझा जाय कि इसे वापस लिया जा चुका है।

सेठ गोविन्द दास : बहुत खुशी की बात है। अतः अभी कौंसिल आफ स्टेट में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कृषि मंत्री जी ने जो कहा है कि वह भी विदड्रा (वापस) हो गया, ऐसा समझ लेना चाहिये और मैं उन को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।

अभी कौंसिल आफ स्टेट में इस सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा गया था उस के उत्तर में श्री किदवई ने इसी सर्कुलर को वहां पर बतलाया था या नहीं बतलाया था ?

श्री किदवई : जब यह प्रश्न पूछा गया था मैं वहां नहीं था।

सेठ गोविन्द दास : मैं यह जानना चाहता था सभापति महोदय, कि उन के डिप्टी मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं यह उन को भी नहीं मालूम ?

श्री वी० जी० देशपांडे : परन्तु केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है ?

सेठ गोविन्द दास : यह जो सर्कुलर भेजा गया था, वह अभी भी मौजूद है या वह उठा लिया गया है ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य सीधा प्रश्न पूछें और माननीय मंत्री उस का उत्तर देंगे।

सेठ गोविन्द दास : तो मैं कृषि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि २० दिसम्बर को जो गश्ती पत्र गया अब उस पत्र की क्या स्थिति है ? वे कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। मुझे बड़ा दुःख है कि शायद किदवई साहब भी यह नहीं जानते कि वह पत्र मन्सूख हुआ या नहीं ?

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुज़फ़्फ़रपुर मध्य) : पता लगायेंगे।

सेठ गोविन्द दास : हम ने यह देखा कि सरकार ने इस बात का लाख प्रयत्न किया कि उपयोगी जानवर न मारे जांय, पर वे सब प्रयत्न निष्फल हुए और आज भी उपयोगी जानवरों का वध हो रहा है। अब यह मामला सभापति जी, और आगे बढ़ गया है, अब कसाईखानों में ही वध नहीं होता है, बल्कि घरों में भी वध होने लगा है। इस के सम्बन्ध में समय समय पर समाचारपत्रों में कई ख़बरें छपती हैं और इस सम्बन्ध में कितने ही मुकदमे चलते हैं और लोगों को सजायें होती हैं। मैं आप को उन स्थानों के नाम बता देना चाहता हूं, जहां इस प्रकार की कार्यवाई हुई है जो अखबारों में छपी है, जहां मुकदमे चले हैं और जहां लोगों को सजायें हुई हैं और जहां आज भी मुकदमे चल रहे हैं। यह जगहें हैं

[सेठ गोविन्द दास]

बिजनौर, नगीना, हरिद्वार, टोंक, मुरादाबाद, अल्मोड़ा बुलन्दशहर, मथुरा, आगरा, मेरठ, हरदोई, सहारनपुर, गुड़गांव और जींद । आप आज्ञा दें तो मैं इन सब जगहों के हाल पढ़ कर भी सुनाऊं ।

फिर बम्बई और कलकत्ते में इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है, वह मैं आप को बतलाना चाहता हूं । सब से ज्यादा गोवध यदि कहीं हो रहा है, तो वह बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि में हो रहा है । बम्बई में अभी हाल ही में श्री मुरार जी देसाई से एक शिष्टमंडल मिला था और इस शिष्टमंडल में आप को यह सुन कर खुशी होगी कि कसाई भी गये थे । उस शिष्टमंडल का थोड़ा सा हाल बतला दूं :

"A deputation of representatives of Bombay Humanitarian League, Cattle Butchers' Association of Bandra, Kurla and butchers of Baroda, led by Shri J. M. Manekar, waited upon the Chief Minister, Shri Morarji Desai and Shri Hiray, Minister for Revenue Agriculture and Forests on the 7th and 8th October 1952 respectively in connection with the question of unlawful slaughter going on a large scale in Bombay and other towns of the State. The deputationists submitted that under the existing municipal law any slaughter of cattle done outside the licenced slaughter house is an offence. Similarly under the Bombay State Animal Preservation Act of 1948, slaughter of cattle without a certificate of a Veterinary Officer, especially appointed for the purpose is considered to be unauthorised slaughter. In spite of this at many places in the City of Bombay, especially in Sankli Street, Madanpura, Mirza St., Umarkhadi, Kambekar Street and elsewhere, slaughter of useful milch cattle and agricultural cattle and young calves is being done in private houses during night. Several complaints were made to the municipal authorities as well as to the police to stop these unlicensed and unauthorised slaughter. Yet, either for want of sufficient powers or due to indifference the crimes are eve on the increase."

यह बम्बई का हाल है । अब कलकत्ते का हाल सुनिये । कलकत्ता कार्पोरेशन की १३ फरवरी, १९५३ की मीटिंग में श्री तुलसीराम सरावगी ने कहा :

The problem of illicit slaughtering is yet to be solved. What is happening is that round about Calcutta cows are slaughtered and the meat is surreptitiously supplied to the market, otherwise, how to account for the fact that although cow slaughter is on the decrease at the Corporation slaughter house at Tangra there is no decline at all in beef supply? When this aspect of the matter was brought to the notice of the Commissioner and the Deputy Mayor they took prompt action with the result that a lorry-load of beef which came from an unauthorised source and which was the product of illicit slaughtering somewhere outside Calcutta, was seized at the entrance of the Hogg Market as it was about to be smuggled in and our Health Officer, Dr. J. P. Chaudhury, helped in this seizure. But this incident is a pointer to what is happening behind the scenes and I shall not be surprised to learn that this sort of traffic in the flesh of cattle illicitly slaughtered outside Calcutta is widespread in this city.

मैं ने आप को यह बताने का प्रयत्न किया कि केवल उपयोगी पशुओं का वध कसाईखानों में किया जाता है इतना ही नहीं, लेकिन यह वध अनेक शहरों में, मैं ने आप को पढ़ कर सुनाया, बढ़ रहा है । बम्बई और कलकत्ते में यह कितनी दूर तक हो रहा है, मैं ने आप से अभी निवेदन किया है । अब उपयोगी पशुओं के वध का प्रधान कारण क्या है । मैं आप को केवल दो वाक्यों में कहना चाहता हूं इस के सम्बन्ध में । इस का प्रधान कारण है मांस का निर्यात और चमड़े का निर्यात । मांस के निर्यात के तीन बन्दरगाहों के आंकड़े मेरे पास हैं । यहां २२ बन्दरगाह अर्थात् सी पोर्ट्स हैं । इस देश के २२ बन्दरगाहों से कितना मांस बाहर जाता है इस के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं क्योंकि वह मुझे मिल नहीं सके लेकिन जिन तीन बन्दरगाहों के आंकड़े मिले वे मैं आप के सामने रखना चाहता

हूं। यह तीन बन्दरगाह हैं बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास। इन के आंकड़े हैं :

बम्बई से ३१,६६,६६६ रुपये का गो मांस, १ जूलाई, १९५२ से ३० जून, १९५३ तक देश के बाहर गया।

कलकत्ते से २१,६६,३४७ रुपये का गो मांस बाहर गया।

मद्रास से २,६६,१३६ रुपये क गो मांस बाहर गया।

कुल मिला कर ५६,३८,४५२ रुपये का गो मांस बाहर गया।

श्री वो० पो० नायर (चिराविन्किल) : क्या माननीय सदस्य कम से कम आंकड़े अंग्रेजी में बतायेंगे ? हम आंकड़े समझ नहीं पा रहे हैं।

सेठ गोविन्द दास :

बम्बई	३१,६६,६६६	रुपये
कलकत्ता	२१,६६,३४७	रुपये
मद्रास	२,६६,१३६	रुपये
कुल	५६,३८,४५२	रुपये

एक वर्ष में केवल तीन बन्दरगाहों से यह गो मांस बाहर गया है। श्री करमरकर को मैं ने यह आंकडे दिये थे। उन को इन आंकड़ों को देख कर आश्चर्य हुआ और उन्हों ने मुझ से कहा कि वे इस का पता लगा रहे हैं कि आखिर क्या बात है। लेकिन कई महीने तक प्रतीक्षा करने पर भी अब तक इस का कोई पता नहीं लगा। यह तो मैं ने मांस के उस निर्यात के आंकड़े आप के सामने रक्खे जो निर्यात हमारे देश के २२ बन्दरगाहों में से केवल तीन बन्दरगाहों से हुआ। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि बिना अच्छे पशुओं को मारे अच्छा मांस नहीं मिल सकता, और अच्छा मांस ही बाहर जा रहा है, इस लिये प्रधानतया अच्छे पशु यहां पर मारे जा रहे हैं।

फिर चमड़ा भी बाहर जा रहा है। इस के बारे में भी मैं आप को बतलाऊं कि १० वर्ष पहले कितना चमड़ा बाहर जाता था और आज कितना चमड़ा बाहर जाने लगा है। इस के लिये यह कहा जायेगा कि चमड़ा जो बाहर जा रहा है वह बेकाम पशुओं का होगा। पहले मैं आप से यह निवेदन कर दूं कि जिस प्रकार बेकाम पशुओं का मांस अच्छा नहीं होता उसी प्रकार बेकाम पशुओं का चमड़ा भी अच्छा नहीं होता। और अभी जो मैं ने आप के सामने पंच वर्षीय योजना और दूसरी चीजें पढ़ीं, उस से भी आप को पता लगेगा कि अच्छे चमड़े से हम को अधिक दाम मिलें इसलिये हम अधिकतर अच्छे जानवर मारते हैं। खैर, आप बड़े जानवरों को छोड़ दीजिये आप बछड़ों को लीजिये। बछड़ों के लिये तो यह नहीं कहा जा सकता कि वे बेकाम हैं और मारे जायें। सन् १९४२-४३ में केवल ढाई लाख खालें इस देश से बछड़ों की बाहर गईं, सन् १९४६–४७ में जब स्वराज्य हुआ, उस वक्त १ लाख २० हजार खालें बाहर गईं। यह जो आंकड़े मैं आप को दे रहा हूं यह "ऐग्रिकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया" और "फारेन ऐंड एअर नैविगेशन" नामी पुस्तकों से दे रहा हूं। अब आप देखिये कि सन् १९४२–४३ में ढाई लाख, सन् १९४६–४७ में १ लाख २० हजार और सन् १९५२–५३ में २० लाख १८ हजार बछड़ों की खालें इस देश से बाहर गईं। यह आंकड़े मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, आप के सामने यह पुस्तकें हैं और मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति सरकार के महकमे का इन पुस्तकों को देखे और बतलाये कि यह सही हैं या नहीं कि सन १९४२–४३ में ढाई लाख खालें बाहर गईं, सन् १९४६–४७ में १ लाख २० हजार खालें और सन् १९५२–५३ में २० लाख १८ हजार खालें गईं।

फिर जो गायों का चमड़ा यहां से सन् ५२–५३ में बाहर गया है वह भी देख लिया

[सेठ गोविन्द दास]

जाय । वह भी कम नहीं है । कुल गायों का चमड़ा गया है ४६ लाख, ९६ हजार और १७३ और इस की कीमत हुई ७,५०,०९,१७३ रुपये । यह कुल गाय का चमड़ा है, बछड़ों का चमड़ा इस से अलग है ।

यथार्थ में जो हमारे यहां उपयोगी पशुओं का वध होता है, वह इसलिये होता है कि हम गो मांस का निर्यात करते हैं, हम चमड़े का निर्यात करते हैं और इस के लिये उपयोगी पशु ही काम में आ सकते हैं । जो पशु बेकार हो जाते हैं वह काम में नहीं आते हैं । अतः सभापति महोदय, मेरी दृष्टि से गो वध कतई बन्द हुए बिना यह प्रश्न हल नहीं होगा ।

बार बार एक बात और कही जाती है कि गाय इस देश में निकम्मी क्यों हैं जब कि अन्य देशों में अच्छी हैं । जो अन्य देश गो-भक्षक हैं वहां पर तो गायें बहुत अच्छी हैं और हमारे यहां निकम्मी हैं । हमारे देश में गाय के निकम्मी होने का पहला कारण तो यहां पर अंगरेज़ी राज्य का रहना था । अंगरेज़ों ने गाय की तरफ ध्यान नहीं दिया । अंगरेज़ों ने खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया और इसी कारण यहां पर गाय की उन्नति नहीं हुई, खेती की उन्नति नहीं हुई । दूसरा कारण गायों के अच्छी न होने का यह है कि अच्छी गाय को कत्ल कर दिया जाता है । जब अच्छी गायें कत्ल की जायेंगी तो बुरी बचेंगी ही । फिर आज हम गाय को अच्छी बनाने के लिये कितना खर्च कर रहे हैं, यह भी आप देखिये । हम दो पैसा प्रति वर्ष प्रति पशु खर्च करते हैं, और मैं आप को इंग्लैंड का उदाहरण दूंगा कि वहां पर कितना खर्च किया जाता था । वहां पर ५ रुपये खर्च किया जाता था । इंगलैंड में जो कुछ किया गया था वह भी मैं आप को बतलाता हूं ।

उस पर उन्हों ने १,८५,९४,५८४ पौंड खर्च किये शुरू में और फिर वह खर्च बढ़ते बढ़ते २,९४,६९,०५५ पौंड तक पहुंचा यानी आठ बरस में उन्हों ने इतना खर्च किया जिस का मतलब यह होता है कि ४० करोड़ रुपया खर्च किया । आप देखें कि हम अपनी अन्य योजनाओं पर तो लाखों और करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन इस बात पर हम कुछ खर्च करने को तैयार नहीं हैं । तो जब अच्छी गायें मार डाली जायेंगी तो बुरी तो बचेंगी ही । जब हम उन पर कुछ खर्च नहीं करेंगे तो उन की उन्नति कैसे हो सकती है । यह कहना कि गो भक्षक देशों में तो अच्छी गायें हैं और हमारे यहां बुरी गायें हैं यह दलील गोवध करते रहने के लिए कोई ठीक दलील नहीं है ।

फिर जो चीज़ें गाय से उत्पादित चीज़ों को खराब करने वाली हैं उन को आप जारी रखना चाहते हैं । सभापति जी, इतनी बार आप ने यहां पर वनस्पति के लिए विधेयक उपस्थित करने का प्रयत्न किया लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ नहीं हुआ । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया । कुछ भी नहीं हुआ । बार बार हम से कहा गया कि हम रंग बनाने का प्रयत्न करते हैं । हमारे वैज्ञानिक ऐटम बम के सदृश चीज़ें तो बना सकते हैं लेकिन उन को वनस्पति के लिए रंग बनाने में अब तक सफलता नहीं मिली ।

श्री किदवई : रंग है ।

सेठ गोविन्द दास : तो हम वनस्पति को जारी रखना चाहते हैं । अब हम मूंगफली का दूध बनाना चाहते हैं । जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर गाय के वंश की उन्नति कैसे होगी । इस पर स्वयं सरकार को विचार करना चाहिए ।

जैसा कि मैंने निवेदन किया मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन अन्त में मैं एक बात

कहना चाहता हूं । इस सारी पृष्ठभूमि में जो कि मैं ने अभी आप से निवेदन की, जब अभी हाल ही में पंडित जवाहर लाल जी का दिया हुआ कृषि मंत्रियों की सभा में भाषण मैं ने पढ़ा तब मुझे बड़ा दुःख हुआ । उस भाषण में सामाजिक रूढ़ियों को प्रगति के रास्ते में बड़ा रोड़ा बताते हुए आप ने कहा, "हमारे देश में मवेशियों का काफी बड़ा सवाल है । सारे देश में मवेशी पूजा की निगाह से देखे जाते हैं और निकम्मे हो जाते हैं और अन्य देशों में मवेशियों की पूजा नहीं होती पर वह अच्छे होते हैं । मवेशियों को न मारने का कानून बनाने का आन्दोलन होता है । यदि कानून बन गया तो दुगने मवेशी मरेंगे ।" आपने कहा, "यदि वैज्ञानिक दिमाग से काम लेकर सामाजिक रूढ़ियां नहीं बदली गईं तो हमारा सारा पैसा लंगड़े, लूले मवेशियों और आदमियों के पोषण पर समाप्त हो जायगा, बढ़ने के स्थान पर मुल्क तबाह हो जायगा" । आपने कहा, "लोग चुनाव में हारने के डर से कोई बात न कहें, यदि वह ईमानदारी से सच कहेंगे तो चुनाव हारने की भी संभावना नहीं है ।" पंडित जवाहरलाल जी का जहां तक सम्बन्ध है इस देश में जो भी उन को अधिक से अधिक सम्मान और इज्जत की दृष्टि से देखते हैं उन में से मैं भी एक हूं । मैं यह मानता हूं कि इस देश के लिए इस से बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती कि पंडित जी के सदृश हमारे नेता हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे वेदों में जो शत वर्ष की आयु कही गयी है वह पंडित जी को प्राप्त हो और वे इस देश को अपने नेतृत्व में आगे बढ़ायें, इस देश के सम्मान की जिस प्रकार से उन्हों ने विदेशों में वृद्धि की है उसी प्रकार से वृद्धि करते रहें । लेकिन यह सब होते हुए भी मेरा एक निवेदन अवश्य है और मैं चाहता हूं कि उन के पास यह निवेदन पहुंचा दिया जाये ।

जो लोग इस देश में गोवध बन्द करना चाहते हैं उन को रूढ़िवादी कहना, उन को सम्प्रदायवादी कहना बड़े से बड़ा अन्याय है । मैं यह नहीं कहता कि रूढ़िवादी और सम्प्रदायवादी गोवध बन्दी नहीं चाहते । उन में से जो गोवध के नारे को बुलन्द करना चाहते हैं कई लोग रूढ़िवादी हैं सम्प्रदायवादी हैं लेकिन जो लोग गोवध बन्द कराना चाहते हैं वह सब सम्प्रदायवादी हैं, वे सब रूढ़िवादी हैं यह कहना हम लोगों के प्रति अन्याय करना है । कम से कम मैं अपने निस्बत आप से कह सकता हूं कि आज तक इन ३३ वर्षों के सार्वजनिक जीवन में मैं किसी भी सम्प्रदायवादी संस्था का एक क्षण के लिए भी सदस्य नहीं रहा हूं । मैं कांग्रेस में रहा । यहां पर चुनावों का प्रश्न नहीं है । मैं ने इस प्रश्न को सब से पहले सन् १९२६ में काउंसिल आफ स्टेट में उठाया था । उस के बाद न जाने कितने चुनाव हो गये और न जाने कितने चुनाव होते जायेंगे । तो मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि उन की यह जो घोषणा है वह न तो हम लोगों के प्रति न्याय करने की घोषणा है, न उन की यह घोषणा हमारे संविधान के अनुसार है । न उन की यह घोषणा उपयोगी पशुओं की रक्षा करने में काम आ सकती है । मैं उन से यह निवेदन करना चाहता हूं और कृषि मंत्री जी जो यहां बैठे हुए हैं मैं उन की मार्फत उन से निवेदन करना चाहता हूं ।

वह उन के प्रतिनिधि हैं । वह इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि वह उन के प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठे हुए हैं । तो मैं उन की मार्फत उन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह समझता हूं कि कोई हर विषय में पारंगत नहीं हो सकता, विशेषज्ञ नहीं हो सकता । पंडित जी को गौ के मामले में मैं कोई विशेषज्ञ नहीं मानता । तो इस विषय को वे विशेषज्ञों

[सेठ गोविन्द दास]

के सुपुर्द करें। वे इस विषय को उन के सामने रखें और देखें कि उन का मत इस सम्बन्ध में ठीक है, या हमारा मत इस सम्बन्ध में ठीक है। जैसा मैं ने आप से निवेदन किया, ३३ वर्षों से यह मेरा विषय रहा है। मैं ने निरन्तर इस धारा सभा में और काउंसिल आफ स्टेट में इस के लिए प्रयत्न किया है : मैं ने देश में एक एक कसाईखाना घूम घूम कर देखा है। अन्त में मैं आप के सामने कुछ चित्र उपस्थित करना चाहता हूं कि जिन से आप को यह बात ज्ञात होगी कि यथार्थ में किस तरह की गायें मारी जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि किदवई साहब इन चित्रों को देखें और इस बात का पता लगावें कि यह उपयोगी पशुओं का वध हो रहा है या निरुपयोगी पशुओं का वध हो रहा है। मैं चाहता हूं कि यह सारी धारा सभा इन चित्रों को देखे और इस बात का पता लगावे कि यह उपयोगी पशुओं के चित्र हैं या निरुपयोगी पशुओं के चित्र हैं। यह चित्र हैं जो मैं आप के सामने उपस्थित करता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर प्रोसीडिंग्स में यह चित्र छप सकते हों तो इन को छापा जाय और जो रुपया इनके ब्लाक बनाने में खर्च होगा मैं उसको देने के लिए तैयार हूं।

मैं चाहता हूं कि एक बार इस का पूरा हैस नैस निकाल लिया जाय और यह देखा जाय कि जो लोग यह कहते हैं कि कतई गोवध बन्द हुए बिना, उपयोगी पशुओं की रक्षा नहीं हो सकती वे सही हैं या जो लोग यह कहते हैं कि यह बात नहीं है वे सही हैं। और इस सम्बन्ध में हमारे पंडित जी, हमारे कृषि मंत्री जी विशेषज्ञों की एक कमेटी बनावें और सारे प्रश्न को देखें और निर्णय करें।

सभापति महोदय : यह विषय एक समिति के सुपुर्द किया गया था। क्या माननीय सदस्य कोई और समिति चाहते हैं ?

सेठ गोबिन्द दास : मैं चाहता हूं कि अगर उन को उस कमेटी से संतोष न हो तो वह दूसरी कमेटी बना लें। मेरा तो यह मत है कि मेरा यह विधेयक ठीक है। लेकिन मैं पंडित जी और कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उन को जो कुछ हम ने पेश किया है उस पर संतोष नहीं है तो वे एक कमेटी और बना सकते हैं। मैं एक घण्टे का समय और चाहता था। मैं कहना चाहता था कि इस देश में कृषि और दूध की क्या दशा है। मैं वह आंकड़े आप के सामने उपस्थित करना चाहता था।

परन्तु मैं समाप्त कर रहा हूं और आशा करता हूं कि इस धारा सभा के सब दलों के लोग मेरे इस विधेयक का समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया

> "देश के दुधारु तथा दूध न देने वाले पशुओं की रक्षा करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं एक संशोधन रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय : जी हां, श्री देशपांडे।

श्री वी० जी० देशपांडे : हिन्दी अपनी राज्य भाषा है, किन्तु इस के पश्चात् भी हमें विधेयक की सूचना अभी तक सदन के मंत्रालय से हिन्दी में नहीं आती और अंग्रेजी में ही सूचना आने के कारण मैं ने अंग्रेजी में पढ़ना आरम्भ किया। इस का भाषान्तर करते हुए जो सूचना है वह मैं पढ़ता हूं कि

यह विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जिस के यह सदस्य हों :

सेठ गोविन्द दास, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री जी० डी० सोमानी, श्री नन्द लाल शर्मा, श्री चोइथ राम, पी० गिडवानी, श्री पी० एन० राजभोज, श्री उमाशंकर मूलजिभाई त्रिवेदी, श्री शंकर शान्ता राम मोरे, और प्रस्तावक ।

यह सूचना मैं कर रहा हूं । यह सूचना करते वक्त .....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने वह तिथि नहीं बताई है जब तक प्रतिवेदन आ जाना चाहिये ।

श्री वी० जी० देशपांडे : और प्रवर समिति का प्रतिवेदन १ फरवरी, १९५४ से पूर्व इस सदन के सामने उपस्थित किया जाय ।

एक माननीय सदस्य : बस ?

श्री वी० जी० देशपांडे : मुझे बोलना है ।

सभापति जी, सेठ गोविन्द दास जी ने यह प्रस्ताव बड़े प्रदीर्घ रूप में सदन के सामने रखा है । मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से मान्यता देनी चाहिये । इस कारण से मान्यता देनी चाहिये कि यहां पर जानवरों की जो व्याख्या की गई है, इस प्रस्ताव में पशु की जो व्याख्या की गई है, उस में गाय और बैल के साथ ही भैंस और शी बफैलो, अर्थात् हिन्दी में भैंसें और भैंसों को भी सम्मिलित किया है । मैं तो इस प्रकार की शब्द रचना नहीं करता । मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जैसे हमारे संविधान में गाय और बछड़े को अलग रखा है, इसी प्रकार गाय का स्थान स्पष्ट रूप से रखना चाहिये था । किन्तु भारतवर्ष में एक विकृति आ गई है, इस विकृति का नाम है "सैक्युलैरिज्म" । हिन्दू की कोई भी बात आज कही जाय तो वह बुरी है । हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, आदि के साथ यह नाम लिया जाय तो अच्छा है लेकिन अकेले हिन्दू का नाम लिया जाय तो वह बुरा है । किसी ने कहा है कि अगर यह कहा जायगा कि गाय की रक्षा करनी चाहिये तो पंडित जी कहेंगे कि यह सम्प्रदायवाद है । इसलिये शायद सेठ गोविन्द दास जी आदि समझते थे कि यदि गाय के साथ भैंस आई तो काले, पीले, गोरे, सब साथ आ गये और इस को पंडित जी सम्प्रदायवाद नहीं कहेंगे । लेकिन मैं तो स्पेड को स्पेड ही कहना ठीक समझता हूं और सभापति जी, मैं समझता हूं कि यदि सब सदस्य अपने हृदय पर हाथ रख कर देखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि सब के हृदय में यही भावना है । वह अपने हृदय में समझते हैं कि हम को निर्वाचन के लिये देश में जाना है, जनता के पास जाना है । वोट की बड़ी चिन्ता उन के हृदय में है । मेरे हृदय में वोट की चिन्ता तो नहीं है, लेकिन हिन्दुस्तान के ३५ करोड़ हिन्दू इस विषय में क्या सोचते हैं यह अपने हृदय पर हाथ रख कर आप देखें तो मालूम होगा कि यह ३५ करोड़ जनता गाय की रक्षा के लिये ही मांग करेगी ।

मैं इस गौ रक्षा के प्रश्न पर यह दृष्टिकोण नहीं रखता हूं कि उस की उम्र क्या हो और वह दूध देने वाली हो या नहीं । यह मेरा दृष्टिकोण नहीं है । गोरक्षा हिन्दुओं का मान बिन्दु है । गोवध देश में पूरी तरह बन्द करना चाहिये । इस के लिये मैं समझता हूं कि देश की सरकार का कर्त्तव्य है कि वह पूरे भारतवर्ष में गोबध पूरी तरह बन्द कराये । इस मांग में कोई सम्प्रदायवाद नहीं है, कोई संकुचित दृष्टिकोण नहीं है, यह पूरी न्यायोचित मांग है । और यह मांग करते वक्त हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है । मैं किसी प्रकार की हिचकिचाहट करना मानसिक दुर्बलता का लक्षण समझता हूं । फिर आज ही नहीं आज से सैंकड़ों वर्ष के पूर्व,

[श्री वी० जी० देशपांडे]

आज तो हम हिन्दू शब्द कहते हुए इस सैक्युलैरिज्म में हिचकिचाते हैं, आज से सैंकड़ों वर्ष पूर्व का हुमायूं का अपना मृत्यु पत्र लिखा रखा है । उस ने लिखा है कि यदि इस देश में आप राज्य करना चाहते हैं तो इस देश की जनता की भावना के अनुसार गोबध नहीं होना चाहिये, इसलिये हम को गोबध बन्द करना है । उस समय एक बाहर का व्यक्ति राज्य करता था । वह देखता है कि इस देश में राज्य करना है तो हिन्दू की भावना का सम्मान करना होगा और गाय का वध बन्द करना होगा ।

फिर शाह आलम ने भी अपने एक फतवे में कहा है, माधव राव सिंधिया को, कि इस देश में हिन्दू चाहते हैं और हमें इस देश में हिन्दुओं पर राज्य करना है, तो इस देश के हिन्दुओं की इच्छा का मुझे सम्मान करना पड़ेगा, तो यह जान कर मुझे गोवध को बन्द करना चाहिये । मैं जानता हूं कि गाय देश की आर्थिक दृष्टि से बड़ी लाभदायक है । लेकिन मेरे हृदय में आर्थिक भावना नहीं है मेरे हृदय में धार्मिक भावना है और यह मेरा मानबिन्दु है । इस कारण इस देश में जब तक गोवध बन्द नहीं होता है तब तक मैं यह गोवध का आन्दोलन चलाता रहूंगा । मेरे सामने इस का आर्थिक दृष्टिकोण नहीं है, न यह दृष्टिकोण है कि गोमूत्र में कितना नाइट्रोजन है, गोबर में कितना नाइट्रोजन निकलता है । यह इस प्रकार की बातें सोचने के लिये मैं तैयार नहीं हूं । चमड़े के लिये कितनी ही गायों का बध होता है । करोड़ों रुपये का गोमांस इस देश के बाहर जा रहा है । कलकत्ता में स्वयं डाक्टर पंजाबराव देशमुख गये थे तो इन किताबों में इस के पूरे फिगर्स और चित्र श्री हरदेव सहाय जी ने दिये हैं जिस को सेठ गोविन्द दास जी ने बताया है । वह सब चित्र और फिगर्स आपके सामने रखे हैं कि देश में किस प्रकार, गोहत्या, छोटी उम्र की और बड़ी उम्र की, सब उम्र की आज हो रही है । लेकिन मेरा सवाल उम्र का नहीं है । मेरा यह आर्थिक मानदंड नहीं है कि दूध देने वाली कौन सी गाय है और दूध न देने वाली कौन सी गाय है । न मेरे सामने यह प्रश्न है कि इन के मारने से क्या मिलता है । यह मेरे लिये सीधा धर्म का प्रश्न है । मैं तो कहता हूं कि यदि आप आर्थिक दृष्टि से इस तरह गाय की बात करते हैं तो फिर फैमिली प्लानिंग (परिवार योजना) के लिये भी आप के पास सीधा रास्ता है कि जितने बूढ़े लोग हों, उन को आप मार डालें, फिर फैमिली प्लानिंग की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी । लेकिन मेरा तो स्पष्ट दृष्टिकोण है । इस दृष्टि से मुझे तो पंडित नन्द लाल जी शर्मा की बात याद आती है कि गाय को जानवर कहना, यह बात भी मान्य नहीं है । मेरे सामने तो सीधा धार्मिक प्रश्न है, इस कारण मैं तो मानता हूं कि मेरे लिये गाय जानवर नहीं है, वह देवी है, वह मेरी माता है । इस प्रकार माता का विचार करते हुए मैं तो यह सोचने के लिये तैय्यार नहीं हूं कि यह गाय आर्थिक दृष्टि से मेरे लिये कितने फायदे की चीज है, यह सवाल मेरे सम्मुख नहीं है ।

सभापति जी, सेठ गोविन्द दास जी ने एक बड़ा मौलिक सवाल आज सदन के सामने रखा है और मैं समझता हूं कि आज सदन की परीक्षा का समय आ गया है । बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने क्या कहा, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, यह बातें आज मैं आप के सामने रखना नहीं चाहता हूं । पंडित जी ने सन् १९३९ में जो प्लानिंग कमीशन की बैठक हुई थी, उस के अध्यक्ष पद से उन्हों ने कहा था :

"जनता की खाद्य सम्बन्धी आदतों में यह उपसमिति एक परिवर्तन करने का सुझाव देती है,

जिस के पहले, अतिरिक्त पशुओं को खाद्य के लिये प्रयोग में लाये जाने के सम्बन्ध में धार्मिक भावनाओं में एक क्रान्ति करने की आवश्यकता पड़ेगी।"

इस देश की जनता की धार्मिक भावना में परिवर्तन करने की दृष्टि से पंडित जी ने यह बात कही थी।

दूसरे महान नेता श्री कन्हैया लाल जी मुन्शी जब यहां के कृषि मन्त्री थे तब श्री पंजाबी ने प्रान्तों के पास कैसा सरक्युलर भेजा था यह मुझे और आप को मालूम है। यहां डा० काटजू साहब बड़े जोर से कहने लगे कि यह हिन्दू सभाई जा जा कर प्रचार करते हैं कि कांग्रेसी गोवध बन्द नहीं कर रहे हैं और इसके लिये उन्हों ने बड़े आंसू भी बहाये। मैं तो आप से कहता हूं कि आप सीधे कहिये कि गोहत्या बन्द करना चाहते हैं या नहीं। पंडित जी के पास कुछ लोग जाते हैं तो वह कहते हैंकि यह तो स्टेटों का मामला है, राज्यों का मामला है, यह कह कर वह टाल देते हैं। इधर यहां से यह श्री पंजाबी, आई० सी० एस०, इस तरह का सरक्युलर प्रान्तों को भेजते हैं कि कांस्टीट्यूशन का हमारे संविधान का, अर्थ यह है कि गाय का, बध हम रोकना नहीं चाहते हैं। जो दूध देने वाली गाय है, उपयुक्त पशु है, उन का ही बध हम केवल रोकना चाहते हैं।

आगे चल कर जैसा सेठ गोविन्द दास ने बताया मध्य प्रदेश में भी नागपुर कार्पोरेशन को सरक्युलर आ गया कि आप सब गायों का वध नहीं रोक सकते हैं। एक तरफ तो राज्य सरकार गोवध निषेध के लिये प्रस्ताव पास करती है और दूसरी तरफ से उन का हाथ पकड़ लेती है कि ऐसा न करो, सरकार की इस दुरंगी नीति का हम को पूरा अनुभव हो गया है और आज मैं सरकार से एक सीधा सादा सवाल पूछना चाहता हूं और इस सदन के हर एक सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि वास्तव में आप इस देश में गोवध रोकना चाहते हैं कि नहीं। इस सम्बन्ध में अब तक का हमारा अनुभव यह है कि गोवध के सम्बन्ध में तरह तरह की दलीलें दी जाती हैं और वाद विवाद किया जाता है, वह कहते हैं कि गोवध को तो आप रोकना चाहते हैं, लेकिन गाय को कोई नहीं पालता, या गाय को कोई खिलाता नहीं या गाय दूध नहीं देती, इस तरह की उन की दलीलें सुन कर मैं बहुत हैरान रह जाता हूं कि आखिर हमारे शासक चाहते क्या हैं? यह भी खूब है, कोई कत्ल करने के लिये आता है, आप सरकार के पास फरियाद ले कर जाते हो कि यह हमें कत्ल करता है, हम को बचाओ, तो उस को यह जवाब दिय जाता है कि इस देश में बेकारी है, हमारे नन्दा साहब ने ऐसा कहा और देशमुख साहब ने इस को माना कि करोड़ों लोग बेकार हैं भुखमरी गोरखपुर आदि स्थानों में हो रही है। और चूंकि देश में बेकारी और भुखमरी फैली हुई है इसलिये इंडियन पेनेल कोड से दफा ३०२ को हटा दो और कत्ल चल सकता है। सरकार की गोवध निषेध के सम्बन्ध में जो दलीलें हैं, वह ठीक इस प्रकार की हैं। हमारी और देश भर की यह आवाज़ है कि गो रक्षा होनी चाहिये, गोसंवर्धन होना चाहिये। लेकिन गोरक्षा और गो-संवर्धन दो अलग अलग प्रश्न हैं। इस देश की सरकार का यह उत्तरदायित्व है। यह दलील दे कर हमारा मुंह बन्द करना और इस देश की जनता की आवाज की अवहेलना करना आप के लिये कदापि उचित और शोभनीय नहीं है और पार्टी डिस्प्लिन के नाते मेम्बरों का इस बारे में मुंह बन्द करना, यह आप के लिये ठीक नहीं है और इस से तो जनता में व्यापक असन्तोष ही फैलेगा, क्योंकि वह एक स्वर से गोवध निषेध के

[श्री वी० जी० देशपांडे]

लिये मांग कर रही है और एक प्रजातन्त्रीय सरकार को जनता की आवाज़ की अवहेलना नहीं करनी चाहिये। मैं जानता हूं कि अगले अधिवेशन में इस विधेयक पर मतदान होगा तब कांग्रेसी सदस्य प्रतोद—चाबुक के डर से इस के विरुद्ध मतदान करेंगे यह मैं जानता लेकिन मैं उन को बतला देना चाहता कि मेरा वह मुंह बन्द नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर पार्टी का चाबुक कोई असर नहीं करेगा और मैं यहां लाखों मतदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में आया हूं और मैं जानता हूं कि मेरे पीछे देश के पैंतीस करोड़ लोगों का समर्थन है और वह चाहती है कि भारत सरकार कानून से इस देश में गोवध बन्द कराये और जनता का एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह मांग सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री दाभी (कैरा उत्तर) : मैं अपने माननीय मित्र श्री गोविन्द दास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारे जैसे खेतिहर देश के लिये गाय का कितना बड़ा महत्व है यह इस सदन को बताने वाली बात नहीं है गाय का आर्थिक मूल्य इतना है कि वह हम को घी और दूध देती है, खाद तथा बैल देती है तथा मर जाने के पश्चात् खाल तथा हड्डियां देती है। इस देश के अधिकतर निवासियों के लिये गाय माता के समान है। अतः गाय के वध पर पूर्ण निषेध का लगाया जाना नितान्त आवश्यक है। उपयोगी गायों तथा उपयोगी ढ़ोरों के वध को निषिद्ध घोषित करने के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है। मतभेद तो केवल उन बूढ़े तथा कमज़ोर गायों के सम्बन्ध में है जो बछड़े नहीं पैदा कर सकती हैं।

बूढ़ी तथा बेकार गायों के वध पर निषेध लगाये जाने के विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि इस्लाम धर्म का आदेश है कि गायों की कुरबानी दी जाये तथा इस प्रकार मुसलमान भाइयों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचेगा। इस्लाम धर्म अरब से आरम्भ हुआ और अरब देश में गायें होती नहीं थीं, इसलिये यह कैसे हो सकता है। फिर भी देश के अधिकांश व्यक्तियों की भावनाओं का हमें ख्याल रखना चाहिये। एक और तर्क यह दिया जाता है कि बूढ़ी तथा बेकार गायों का पालन आर्थिक दृष्टि से अनुचित तथा अलाभकारी है हमारे माननीय मित्र सेठ गोविन्द दास ने तथ्यों तथा आंकड़ों से सदन को बताया है कि यदि गोसदनों में उन की देखभाल करने के लिये एक योजना बना ली जाय तो ऐसा नहीं होगा। परन्तु मुख्य कठिनाई तो यह है कि गरीब लोग जो उन का पालन नहीं कर पाते हैं वे उन्हें सस्ते मूल्य पर कसाइयों के हाथ बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। परन्तु यदि एक बार कानून बना दिया जाये तो गरीब लोगों के ढ़ोरों की भी पिंजरापोलों में देखभाल की जायेगी तथा देश के परोपकारी भी इस सम्बन्ध में अपना कर्त्तव्य पूरा करेंगे।

मेरे माननीय मित्र सेठ गोविन्द दास ने संविधान के अनुच्छेद ४८ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिस के अनुसार दुधारू तथा दूध न देने वाले ढ़ोरों के वध पर पूर्ण निषेध लागू होना चाहिये। इसलिये अपने संविधान के आदेश को पूरा करने के लिये, मैं आशा करता हूं कि न केवल यह सदन वरन् सरकार भी इस विधेयक का स्वागत करेगी तथा इसे शीघ्रातिशीघ्र पास कर देगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता

सभापति महोदय : मैं इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिये जाने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन प्रस्तुत किया गया।

"विधेयक को सेठ गोविन्द दास, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री जी० डी० सोमानी,

श्री नन्द लाल शर्मा, श्री चोइथ राम पी० गिडवानी, श्री पी० एन० राजभोज, श्री यू० एम० त्रिवेदी, श्री एस० एस० मोरे, तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और प्रवर समिति को १ फरवरी, १९५४ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

श्री किदवई : आज के समय में यदि बहुमत का राज्य है तो उन की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वे जो चाहेंगे करना ही पड़ेगा। हम ने एक समिति की स्थापना की थी जिस के सेठ गोविन्द दास तथा हमारे राष्ट्रपति सदस्य थे । उन्हों ने एक विधेयक की रचना की जो उतना पूर्ण नहीं है जितना कि मैं चाहता था । मैं भी सेठ को यह बात स्मरण कराना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि यह सदन उस पर विचार करने का अधिकार नहीं रखता, वरन्, राज्य विधान मण्डल को इसे पारित करना चाहिये ।

अतः इस विधेयक को पारित करने के लिये या तो हमें राज्य विधान मण्डल की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये अथवा राज्य विधान मण्डल को ही इस विधेयक को पारित करना चाहिये अन्यथा हम जो कुछ भी करेंगे वह व्यर्थ होगा । इस सम्बन्ध में श्री सेठ ने जो कुछ अपने भाषण में कहा है, उस से पुष्टि हो जाती है और मैं उन से सहमत हूं ।

कुछ नियम बनाये गये थे किन्तु उन पर कार्य नहीं किया जा सका । कुछ शिकायतें मिली थीं कि बंगाल सरकार उन को कार्यान्वित नहीं कर रही है । मैं ने बंगाल सरकार को इस के लिये लिखा भी था, जिन की घोषणा की गई थी फिर भी कुछ शिकायतें होती रहीं । तब मैं ने डा० देशमुख से निवेदन किया था कि वह स्थानीय सरकार से इस सम्बन्ध में वाद विवाद कर लें । जैसा कि उन्होंने बताया अभी तक इस पर कार्य नहीं किया गया है । राज्य विधान मण्डल को इस मामले को तय करना है तथा राज्य सरकारों को ही उन को कार्यान्वित करना है । अतः यदि हम उन से अधिकार प्राप्त किये बिना इस नियम को पारित कर देते हैं तो वह प्रभाव पूर्ण नहीं होगा । अतः या तो श्री सेठ को संविधान में कुछ संशोधन करना चाहिये अथवा राज्य विधान मण्डलों को हमें इस के लिये अधिकार दे देना चाहिये । यदि संविधान में ऐसा संशोधन हो जाता है कि विधान मंडल को ऐसे विधेयक पारित करने का अधिकार मिल जाता है तो मुझे निश्चय है कि सरकार स्वयं विधेयक रखेगी । मेरे समक्ष तो केवल एक तर्क अन्य सभी तर्कों के अतिरिक्त रह जाता है वह यह है कि यदि बहुमत इसे चाहता है तो निश्चय ही इसे पारित करना चाहिये । हमें इस बात का निश्चय होना चाहिये कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जो निरर्थक सिद्ध हो । अतः मैं समझता हूं हमें इस मामले पर विचार करना चाहिये ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : क्या माननीय मंत्री औचित्य प्रश्न का उल्लंघन करना चाहते हैं ?

सभापति महोदय : माननीय मंत्री का कथन है कि इस सदन में ऐसे विधेयक को पारित करना प्रभावरहित होगा । अतः प्रत्येक माननीय सदस्य अपनी सम्मति देने का अधिकार रखते हैं । मैं ने इस सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार सदन के ऊपर छोड़ दिया है ।

श्री किदवई : इस सम्बन्ध में हम विधि मंत्री, तथा महान्यायवादी से परामर्श ले सकते हैं और यदि वे यह कहते हैं कि इस को पारित करना प्रभावपूर्ण होगा, तो हम इसे पारित कर सकते हैं नहीं तो हमें राज्य विधान मण्डल से अधिकार प्राप्त करना होगा जैसा कि सेठ गोविन्द दास ने स्वयं सुझाव रखा है । विधेयक का उतना विशद न

[श्री किदवई]

हो सकने का कारण कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया जाना हो सकता है । उन्हों ने इस विधेयक को बनाया, राज्यों को भेजा तथा यह भी देखा कि राज्य सरकारें उस से भी अधिक कर सकती हैं । अतः आगे बढ़ने से पूर्व इस पर विचार कर लेना चाहिये जिस से हमारा समय नष्ट न हो ।

६ म० प०

एक माननीय सदस्य : या तो औचित्य प्रश्न का निर्णय कीजिये अथवा कानूनी सलाह लीजिये ।

सभापति महोदय : जहां तक सभापति का सम्बन्ध है, निर्णय पहले ही दिया जा चुका है ।

श्री के० के० बसु : मुझे केवल यह निवेदन करना है कि सदस्य निर्णय करने के सर्वथा योग्य हैं, किन्तु आप को महान्यायवादी की सम्मत्ति लेनी चाहिये ।

सभापति महोदय : जहां तक सदन के औचित्य प्रश्न का सम्बन्ध है, उस का निर्णय किया जा चुका है । अब सभापति का कर्त्तव्य इस प्रश्न पर विचार करना नहीं है । अब या तो विधेयक के प्रस्तावक अथवा सरकार जो भी मार्ग चाहें अपना सकते हैं ।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : यह विधेयक १९४९ में सर्वप्रथम रखा गया था तथा उस समय के विधि मंत्री डा० अम्बेडकर ने यह सम्मत्ति दी थी कि तथ्य की दृष्टि से यह मामला संविधान की सप्तम तालिका की वित्तीय अनुसूची की प्रविष्टि संख्या १५ का विषय है, अतः केन्द्रीय विधान मंडल किसी ऐसे नियम बनाने के लिये समर्थ नहीं है । श्रीमान्, जहां तक विवाद के मामलों में मेरा सम्बन्ध है, मैं उस सम्मत्ति पर अटल हूं, यद्यपि विधि मंत्रालय द्वारा यह अधिकार के बाहर समझा गया था कि विधेयक पर पिछले अवसर पर वाद विवाद करने की अनुमति दी गई थी । तथा आप ने यह निर्णय दिया है श्रीमान्, कि अब भी इस पर वाद विवाद किया जा सकता है । अपना मत देने में माननीय सदस्यों को अपनी स्वतन्त्र सम्मत्ति से कार्य करना चाहिये । जहां तक विधि मंत्री की सम्मत्ति का सम्बन्ध है, वह पिछले अवसर पर डा० अम्बेडकर की सम्मत्ति जैसी ही है ।

श्री आर० के० चौधरी: (गौहाटी) : हम सदन में ऐसा विधान पारित करना चाहते हैं जो वास्तव में मान्य हो और जिस के लिये हम सदन की निश्चित सम्मत्ति चाहते हैं ।

सभापति महोदय : हमारे विधि मंत्री उत्तरदायी विधि अधिकारी भी हैं ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर समिति के प्रथम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सदन ९ दिसम्बर, १९५३ को सदन में रखे गये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है ।"

नियमानुसार, विधेयक दो श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं एक तो संविधान के संशोधन करने तथा दूसरे आवश्यक प्रश्नों के सम्बन्ध में ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : वास्तव में प्रस्ताव प्रस्तावक के द्वारा ही रखा जाना चाहिये । जहां तक सरकार का संबंध है, प्रस्ताव एक मंत्री द्वारा बनाया जा कर दूसरे के द्वारा सदन में रखा जा सकता है । गैर सरकारी विधेयकों के लिये नियम यह है कि वे प्रस्तावक द्वारा ही रखे जायें ।

श्री आल्तेकर : नियम ३७४ के अनुसार प्रस्ताव किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जा सकता है । सदन में प्रतिवेदन रखने के उपरान्त यह प्रस्ताव रखा जा सकता है कि सदन इस से सहमत है अथवा संशोधन कर के सहमत हो सकता है । अथवा प्रतिवेदन से बिल्कुल ही असहमत है ।

श्री एस० एस० मोरे : उपर्युक्त कथन तभी लागू किया जा सकता है जब कि नियम ३७४ के अनुसार वाद विवाद के लिये केवल आध घंटे का समय दिया जाये तथा प्रत्येक सदस्य को ५ पांच मिनट से अधिक समय न मिल सके । ऐसा प्रस्ताव जिस के लिये सभापति ने पूर्व सूचना दे दी है, क्या किसी अन्य सदस्य द्वारा इस प्रकार रखा जा सकता है ?

सभापति महोदय : उन की पहली बात पर मेरा निर्णय यह है कि इस बात के सम्बन्ध में नियम बिल्कुल स्पष्ट है । नियम ३७२ के अनुसार समिति का प्रतिवेदन सभापति अथवा सदन के किसी सदस्य द्वारा रखा जाना चाहिये । दूसरी बात के विषय में मुझे यह कहना है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यदि उपाध्यक्ष सदन में उपस्थित है तो उसे अवश्य बोलना चाहिये । अतः यदि उपाध्यक्ष किसी समिति का सभापति है तो वह कोई भी प्रस्ताव नहीं रख सकता । जब अध्यक्ष सदन में नहीं होता है, तो सभापति द्वारा कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता तथा अनेक बार ऐसा हुआ है, कि मेरे नाम के कई संशोधन अन्य सदस्यों के द्वारा रखे जा चुके हैं । क्योंकि सभापति के द्वारा कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता ।

श्री आल्तेकर : संविधान में संशोधन के अतिरिक्त विधेयकों के सम्बन्ध में समिति को उन की जांच करनी पड़ती है । तथा उन की आवश्यकता एवं आकस्मिकता के अनुसार दो श्रेणियों में विभाजित करना पड़ता है । तब इस की प्रत्येक अवस्था के लिये कुछ समय दिया जाना चाहिये ।

मेरे मित्र श्री सेठ गोविन्द दास पहले ही संविधान के अतिरिक्त मामले के सम्बन्ध में बोल चुके थे । इस पर विचार करने के लिये चार घंटे का समय हम लोगों ने निश्चित किया था । संविधान में संशोधन सम्बन्धी विधेयकों पर सदन में रखने से पूर्व समिति में विचार किया जाना चाहिये और समिति को सदन को सूचित करना चाहिये कि विधेयक को रखने के लिये अवसर दिया जाना चाहिये अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में और बातें प्रतिवेदन में दी जा चुकी हैं जिन में से सब से अधिक आवश्यक बात यह है कि हमारा संविधान विधान परिषद् के द्वारा बनाया गया था जो केवल इसी कार्य के लिये नियुक्त की गई थी । उस ने इन सब परिणामों पर पहले ही भली भांति विचार कर लिया था । हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि संविधान एक पवित्र वस्तु है तथा उसे साधारण नहीं समझा जाना चाहिये । सदन में विचार किये जाने वाले तीनों विधेयकों में कोई भी विशेष बात नहीं कही गई है । समिति ने सभी बातों पर भली भांति विचार कर लिया था अतः यह प्रतिवेदन सदन के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव रखा गया :

"कि यह सदन ९ दिसम्बर, १९५३ को सदन में रखे गये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है ।"

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री एस० एस० मोरे : प्रस्ताव यह है कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पर समिति का जो प्रथम प्रतिवेदन सदन में रखा गया था, स्वीकृत किया जाये यद्यपि वह बहुत विशद है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कई समितियों का सदस्य हूं यद्यपि मैं उन में रहना नहीं चाहता। उपाध्यक्ष प्रवर समिति का सदस्य होते हुए भी इन समितियों का सभापतित्व करता है।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि यह रिपोर्ट संविधान और प्रक्रिया के हमारे नियमों के विरुद्ध है क्योंकि यह गैर सरकारी सदस्यों के सदन की कार्यवाही में भाग लेने के उस अधिकार को सीमित करता है, जो उन्हें संविधान के अधीन दिया गया है।

समिति की सिफारिशों में एक सिफारिश यह है कि संविधान का संशोधन करने वाला कोई विधेयक इस सदन में प्रस्तुत न किया जाना चाहिये। प्रक्रिया के नियमों में गैर सरकारी सदस्य उसे कहा गया है जो मंत्री न हो।

संविधान की धारा १०५ के अधीन इस सदन के सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार हाउस आफ कामन्ज़ के सदस्यों के समतुल्य हैं। यह रिपोर्ट धारा १०५ के विरुद्ध जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल समिति की सिफारिश है, और सदन को यह निर्णय करना है कि इसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाय अथवा नहीं। माननीय सदस्य श्री रामास्वामी की तरह संशोधन रख कर सदन का मत ले सकते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या हमें समिति की सिफारिशों को केवल सिफारिश मात्र ही समझना चाहिये। परन्तु जैसे यह बनाया गया है, उससे तो ऐसा मालूम नहीं पड़ता।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री नियमों को देखने की कृपा करें : ये केवल सिफारिशें हैं। जब तक सदन इनको स्वीकार नहीं करता वे किसी पर लागू नहीं होतीं। प्रस्ताव को अस्वीकृत करने का सदन को अधिकार है, जिस के साथ उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, अथवा सदन इसमें वांछनीय संशोधन करके इसे स्वीकार कर सकता है। संविधान पर प्रभाव डालने वाली कोई भी बात महत्वपूर्ण होती है, इसलिये सदन की समिति ने इस मामले की जांच की है, और सदन अपना निर्णय करने के लिये पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है।

श्री एस० एस० मोरे : यह अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रश्न है, और समिति की एक मुख्य सिफारिश है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि उस समिति की सिफारिशें इस सदन पर तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक यह सदन उन्हें स्वीकार न कर ले। इस लिये किसी विशेषाधिकार का अपहरण नहीं होता, और सदन इसे अस्वीकार कर सकता है।

श्री एस० एस० मोरे : समिति के अपने विधान के अनुसार भी समिति को परीक्षण करने की शक्ति दी गई है, न कि सिफारिश करने की, अतः ये सिफारिशें करना उनके अधिकार से बाहर है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वे रिपोर्ट को मानना नहीं चाहते तो वे उसके लिए नियम ३७ छ, ज, झ, को देखें, जहां रिपोर्ट का विचार है। सदन रिपोर्ट को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी अतः उन्हें सदन को रिपोर्ट देनी होती है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या मैं आपका ध्यान नियम ३७ ङ की ओर दिला सकता हूं जिस में कहा गया है कि समिति के कार्य होंगे...

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। वे कृपया रिपोर्ट सम्बन्धी भाग पढ़ें। मैं इससे अधिक विवाद की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल प्रस्ताव में निम्न शब्द रख दिये जायें :

"कि यह सदन १९५२ के विधेयक संख्या १२७ पर गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर समिति की रिपोर्ट के साथ असहमत हैं।"

मेरा निवेदन यह है कि समिति की रिपोर्ट ठीक नहीं है, और यदि इसे स्वीकार कर लिया गया तो गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक अथवा संकल्प रखने का अधिकार जाता रहेगा, जो वास्तव में हमारा आवश्यक अधिकार है। गैर सरकारी सदस्य ही जनमत के प्रतीक होते हैं। हम परिवर्तनशील जगत में रहते हैं, और संविधान जब बना था, तो वह उस समय की आवश्यकतानुसार ठीक था परन्तु बदलते हुए समय के साथ इसमें संशोधन अथवा परिवर्तन भी आवश्यक प्रतीत होता है, और परिस्थिति के अनुसार गैर सरकारी सदस्य ही संकल्प अथवा विधेयक रखते हैं, जैसे कि मैं ने ये विधेयक रखे हैं। यह समय संविधान के बनने के समय से भिन्न है। अब यह विधेयक राज्यों के द्वितीय सदनों को समाप्त करना चाहता है। इसके पक्ष में यह कहा जा सकता है कि कई राज्यों में विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या बढ़ गई है, तो वहां द्वितीय सदन रख कर इतना अधिक खर्च क्यों किया जाय। उदाहरणार्थ मद्रास राज्य के सलेम जिले में आठ के स्थान पर अब बाईस सदस्य हो गये हैं। जब उनकी संख्या इतनी बढ़ गई तो द्वितीय सदन के सदस्यों से इतना अधिक खर्च बढ़ा कर करदाता पर अधिक भार क्यों डाला जाना चाहिये। संसदीय गणतन्त्र करदाता पर भार नहीं बढ़ना चाहिये। जो विवाद प्रथम सदन में होते हैं वही द्वितीय सदन में होते हैं, फिर इस के लिए पत्रों आदि पर अनेक खर्च करने का कोई उपयोग है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं अपने संशोधन में कुछ सुधार करना चाहती हूं अर्थात् मैं प्रस्ताव करती हूं।

"कि यह सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर समिति की रिपोर्ट के साथ असहमत है।"

यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण है और यह संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों के विरुद्ध जाती है। कोई भी अधिकारी सदस्यों के संविधान में किसी प्रकार संशोधन प्रस्तुत करने का मूल अधिकार नहीं छीन सकता। हम में से बहुत से लोग विशेष घोषणाओं के कारण निर्वाचित हुए हैं, और उन घोषणाओं में कई ऐसी बातें हैं जो संविधान का तुरन्त संशोधन चाहती हैं। उदाहरणार्थ संविधान में एक धारा है कि जिसके अनुसार मुआवजे के बिना कोई सम्पत्ति भी जब्त नहीं की जा सकती। घोषणा पत्र में इस धारा को निकालने की घोषणा प्रमुख थी। अतः हमारी मांग है कि ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिये जो हमें इस सदन में संशोधन अथवा विधेयक प्रस्तुत करने से रोके, जिन के लिये हमने जनता से प्रतिज्ञा की है। सिफारिशों में कहा गया है कि संविधान एक पवित्र वस्तु है, अतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये। संविधान निर्माताओं ने भी इसे पवित्र नहीं कहा और इसमें नागरिक स्वतन्त्रता के विषय में आवश्यक परिवर्तन किये थे। अतः यह तर्क व्यर्थ है कि पवित्र होने के नाते इसमें परिवर्तन करना वांच्छनीय नहीं है इस कारण संविधान में संशोधन करने के हमारे अधिकार को छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अत्यन्त आवश्यकता होने पर ही संविधान में परिवर्तन किया जाय। जनता ही बतला सकती है कि संशोधन की आवश्यकता है या नहीं। अतः

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

समिति की सिफारिशों को नहीं माना जा सकता। यह भी कहा गया है कि संशोधन के समय इस पर भी पूर्ण विचार किया जाना चाहिये कि संविधान निर्माताओं की भावना क्या थी और संविधान की धाराओं और उपधाराओं के पीछे उनके क्या विचार थे, हम इसकी बहुत सी बातों को स्वीकार करते हैं, और बहुत सी बातों को नहीं मानते। कोई भी व्यक्ति संशोधन करने के हमारे अधिकार को छीन नहीं सकता।

रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों का सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों की मनोभूमिका में पूर्ण निरीक्षण किया जाना चाहिये। भला हम कैसे जान सकते हैं कि सरकार क्या सोच रही है।

श्री एस० एस० मोरे : वे स्वयं अपने मन की बात को नहीं जानते।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: मैं उदाहरण दूंगी। हमें बतलाया गया है कि विधि मंत्री दहेज विधेयक तथा अन्य सामाजिक विधेयकों को रखने की पद्धति पर विचार कर रहे हैं। हम सब विधेयक की मांग कर रहे हैं, परन्तु उस की बातों पर अभी तक कोई विधि नहीं है। सरकार के विचार करने में हमें विश्वास नहीं है। उसके द्वारा हमारे विधेयकों का परीक्षण हो, तब हमारे विधेयक सदन में आएं, हमें यह बात सहय नहीं है।

रिपोर्ट में यह जो बात कही गई है कि लोकहित की महत्वपूर्ण बातों को उठाने वाले विधेयकों की आज्ञा दी जा सकती है। विधेयक प्रस्तुत करना हमारा अधिकार है, और हमारे इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता यह 'आज्ञा दी जा सकती है" का प्रश्न नहीं है। यह तो हमारा अधिकार है।

लोक हित की महत्वपूर्ण बातों का परीक्षण संविधान के उपबन्धों की दृष्टि से किया जाय, ऐसा कहा गया है। परन्तु वर्तमान जनता की मांग और चालू विचारों का निर्णय कौन करेगा ? रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सामाजिक प्रगति को रोकने वाली बातों को दूर करना चाहिये। आप सामाजिक प्रगति की बात तो करते हैं परन्तु ऐसी बातों को हटाना नहीं चाहते। हम सदस्य होने के नाते, प्रगतिशील समाज की उन वर्तमान आवश्यकताओं और मांगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो संविधान के विरुद्ध जाती हैं। उस मामले को रखने के लिये हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये, अतः हम इस रिपोर्ट का विरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले के लिये यह प्रथम अवसर है। एक समिति नियुक्त की गई है और उसने कुछ सिफारिशें की हैं। किसी और दिन आधा घंटा अधिक दिया जायगा, ताकि सदन के सम्मुख सब दृष्टिकोण रखे जायें। अगले उपलब्ध दिवस इस पर वाद विवाद होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसके लिये आधा घंटा पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभापति महोदय से भी इस का वर्णन करूंगा, और श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती को अगले दिन पांच मिनट और बोलने की अनुमति दी जायेगी। सदस्यों को यह विचार नहीं करना चाहिये कि यह रिपोर्ट उनके मार्ग में बाधा बनकर खड़ी होगी। इस सिपारिश पर सदस्यों का मत लिया जायेगा। वर्तमान नियम ७२ के अधीन यदि विधेयक प्रस्तुत करने के प्रस्ताव का विरोध होता है,

तो सभापति महोदय उचित समझ कर प्रस्तुत करने वाले सदस्य और विरोध करने वाले सदस्य के संक्षिप्त विवरणात्मक वक्तव्य की अनुमति देने के पश्चात, अधिक वाद विवाद के बिना ही प्रश्न को प्रस्तुत करेंगे और यह तो केवल सुझाव रखे हैं। वर्तमान नियमों के अधीन भी सदस्यों का कोई महत्वपूर्ण प्रधिकार नहीं छीना जाता। इस के अतिरिक्त यह रिपोर्ट सदन पर बाध्य नहीं। मैं सीधे इन प्रस्तावों को एक एक कर के सदन के सामने रख सकता हूं, जो इस रिपोर्ट के समान हैं। इस के सम्बन्ध में कोई गलत धारणा नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह पहली बार सदन के सामने आई है, अतः हमें अगली बार इस पर बाद विवाद करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं सभापति महोदय से कहूंगा कि सदन की इच्छा इस पर वाद विबाद करने की है क्योंकि यह सदस्यों को दिये गये अधिकार का अपहरण करने के सम्बन्ध में होने के कारण महत्वपूर्ण विषय है।

श्री राधवाचारी (पेनुकोंडा) : क्या सामान्य रीति के अनुसार ऐसा केहोता है कि विधेयक प्रस्तुत करने के समय कोई आपत्ति नहीं होती ?

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होता। पिछले अभिलेख देख लीजिये। इस्पात विधेयकों के मामले में, उनका विरोध किया गया था और उन को फैंक दिया गया था।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

निवारक निरोध अधिनियम की कार्यवाई की रिपोर्ट

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं सदन पटल पर निवारक निरोध अधिनियम १९५० की ३० सितम्बर १९५२ से ३० सितम्बर १९५३ तक के समय की कार्यवाई की रिपोर्ट की एक प्रति रखता हूं। पुस्तकालय में रखी गई है। [देखिये संख्या एस-२०६/५३]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या अगली बार बोल सकती हैं। विशिष्ट समय यथासमय निश्चित किया जायेगा।

अब सदन की बैठक स्थगित होती है और पुनः सोमवार को डेढ़ बजे होगी।

इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार, १४ दिसम्बर, १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।